सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

उत्तराखण्ड शासन

मैनुअल-5

भाग-3

खण्ड-दो

मैनुअल संख्या	मैनुअल का नाम	पृष्ठ संख्या
(1)	(2)	(3)
5.	लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना	-

राजस्व विभाग

जिला कार्यालय नैनीताल

प्राक्कथन

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्वों के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 प्रभावी किया गया है । प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध रहेगी,ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जाएगा तो आधारभूत सूचनाएँ इन मैनअल में ही उपलब्ध हो जाएगी तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य श्रोतों का आश्रय लेना होगा ।

राजस्व विभाग जिला कार्यालय नैनीताल द्वारा अधिनियम की धारा–4 में निर्धारित 17 मैनुअलों के अर्न्तगत विभागीय विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान पर केंद्रित कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है । यद्यपि प्रारम्भिक स्तर पर यह कार्य एक अभिनव तथा चुनौतीपूर्ण कार्य हैं तथापि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुरूप 17 मैनुअलों को तैयार करने में सहभाग करना एक सुखःद अनुभव भी हैं । जिला कार्यालय नैनीताल से सम्बन्धित 17 मैनुअलों को निम्नवत् भागों में विभाजित किया गया है ।

1–	भाग–एक	मैनुअल सं0–	1, 2, 3 एवं 4
2–	भाग–दो	मैनुअल सं0–	5
		खण्ड–	I, II, III
3–	भाग–तीन	मैनुअल सं0–	6, 7 एवं 8
4–	भाग–चार	मैनुअल सं0–	9, 10, 11 एवं 12
5–	भाग–पॉच	मैनुअल सं0–	13,14,15,16 एवं 17

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किए गए उक्तानुसार मैनुअलस का स्वरूप एक प्रारम्भिक अवस्था है,जिसको भविष्य में निरन्तर अद्यावधिक किया जायेगा तथा मैनुअलस् को कम्प्यूटरीकृत कर बेबसाइट में भी उपलब्ध कराया जाएगा,ताकि जन सामान्य को सम्बन्धित जानकारियॉ/सूचनाए सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके ।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त 17 मैनुअलस् को उत्तरांचल शासन के निर्देशों तथा माननीय उत्तरांचल सूचना आयोग के मार्गदर्शन में तैयार करवाया जा सका ।

स्थान : नैनीताल ।
दिनांक नवम्बर 2006

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

जे0ए0

क0सं0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	विवरण	पृ0सं0
1	272 / xvii(2) / 2006, दि0 30—03—06 महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग।	राज्याधीन सेवाओ में कार्यरत महिला अधिकारियो एवं कर्मचारियों के यौन उत्पीडन रोकने हेतु सचिव, महिला सशक्तिकरण एव बाल विकास विभाग उत्तराचल को नोडल अधिकारी नामित किया जाना।	14
2	44—एक(1) / xxxvi(1) / 2006—6—एक (2) / 06, दि0 15 अप्रैल 2006 न्याय अनुभाग—1	प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन (शेट्ठी आयोग)द्वारा की गयी संस्तुति एव उस कम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1022 / 1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एव अन्य बनाम् यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे दिनॉक 21 मार्च 2002, दिनॉक 06.12. 2005 एवं दिनॉक 07—02—2006 को पारित आदेश के संदर्भ में उत्तरांचल राज्य न्यायिक सेवा / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते / सुविधायें प्रदान किया जाना।	15 से 19
3.	3508 / रा0नि0आं0क0प0 / उपाध्यक्ष / 2006—07, दि0 08—05—2006 राज्य मंत्री उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी	उत्तरांखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियो को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	20—21
4.	445 / xiii—11 / 289(2)2003, दि0 05 जुन 2006, कृषि एवं विपणन अनुभाग—2	अधिसूचना। समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हडताल निषिद्ध किया जाना।	22—23
5.	3001 / xx(4)—47 / उ0आन्दो0 / 2005, दि0 08 जून 2006, गृह अनुभाग—4	कार्यालय ज्ञाप। राज्य निर्माण आन्दोलनकारी कल्याण परिषद में सृजित किये गये एक अतिरिक्त पद पर शेर सिंह दिगारी को उपाध्यक्ष नामित किया जाना।	24
6.	3000 / xx(4)—47 / उ0आन्दो0 / 2005, दि0 08 जून 2006, गृह अनुभाग—4	कार्यालय ज्ञाप। राज्य निर्माण आन्दोलनकारी कल्याण परिषद में सृजित किये गये एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाना।	25
7.	3008 / xx(4)—47 / उ0आन्दो0 / 2005, दि0 09 जून 2006, गृह अनुभाग—4	कार्यालय ज्ञाप। रा0नि0आ0क0प0 में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त श्री शेर सिंह दिगारी को प्रदत्त सुविधाओं के सम्बन्ध में।	26—27
8.	1380 / xx(1) / 298 / जलपुलिस / 2006, गृह अनुभाग—1	उत्तराखण्ड राज्य जल पुलिस की स्थापना, पदों का सृजन विषयक।	28—29
9.	1378 / 6 / xx / (1) / थानाचौकी / इक्का0 कार0 80 / 2005, दि0 17 जून 2006,	उत्तरांचल राज्य के तहसील स्तर के 19 थानों का उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर	3[illegible]

	गृह अनुभाग–1	पर उच्चीकरण कर पदों का सृजन विषयक ।	
10.	1443 / XX–(1) / 210 / पुलिसयातायात / 2003, दि0 24 जून 2006, गृह अनुभाग–1	राज्य में यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि पदों का सृजन विषयक।	32-33
11	अभि0नि0 / अनु0–दो / 37 / 2006 / 344 / 06, दि0 27 / 28 जून 2006, पुलिस मुख्यालय 12 सुभाष मार्ग देहरादून।	बजट आवटन।	34-35
12.	1489 / XX–(1) / 11 / पु0ई0नि0 / 2006,दि0 30 जून 2006 गृह अनुभाग–1	उत्तरांचल राज्य के विभिन्न जनपदों में पुलिस थाना / चौकियों / देखरेख चौकियों की स्थापना पदों का सृजन ।	36-45
13	1518 / XX–(1) / 116 / सुरक्षा / 2005, दि0 04 जुलाई 2006 गृह अनुभाग–2	किसी पडोसी देश की अकस्मात् / अल्पकाल मे बहुत अधिक संख्या में विदेशी नागरिकों / विस्थापितों के आगमन पर निर्धारित प्रकिया (SOP) के संबन्ध में।	46-54
14.	1370 / आयोग / 2006–07, दि0 27–07–2006, उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग देहरादून।	जाति के सबन्ध में सूची के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रकरणों में कार्यवाही कर मा0 आयोग को अवगत कराने के संबन्ध में।	55-65
15.	अभि0नि0 / अनु0–दो / 37 / 2006 / 407, दि0 08 अगस्त 2006, अभियोजन निदेशालय।	बजट आवंटन।	66-67
16.	1831 / XX(1) / 243 / सुरक्षा / 2002, दि0 11 अगस्त 2006, गृह अनुभाग	कार्यालय ज्ञाप। श्री अनिल के0 रतूड़ी, पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊ क्षेत्र के स्थान पर पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिक्षेत्र को पदेन सदस्य नामित किया जाता हैं। भूनेष विष्ट के आत्मदाह किये जाने के संबन्ध में प्रकरण की जांच हेतु।	68
17.	3504 / XX(3)–32 / सी0बी0आई0 / सी0बी0सी0आई0डी0 / 2006,दि0 24 अगस्त 2006, गृह अनुभाग–3	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को विवेचनाएं स्थानान्तरित करते समय प्रस्तुत सुझावों / प्रस्तावों के संबन्ध में।	69-74
18.	54–एक(1)xxxvi(1) / 2006–6–एक(2) / 06, दि0 25 अगस्त 2006, न्याय अनुभाग–1	प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्ठी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस कम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1022 / 1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 21 मार्च 2002, दि0 06–12–2005 एवं 07–02–2006 को पारित आदेश के सन्दर्भ में उत्तरांचल राज्य न्यायिक सेवा / उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते / सुविधायें प्रदान किया जाना	75-83

19.	08–नो–(एल)/xxxvi(1)/2006/924 (48)/92, दि0 25 अगस्त 2006 न्याय अनुभाग–1	श्री यशवन्त सिंह, नोटरी पब्लिक,तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के नोटरी प्रमाण पत्र के नवीनीकरण विषयक।	84–85
20.	2016/XX–1/03/इ0कागठन/2005, दि0 30–08–2006 गृह अनुभाग–1	अधिसूचना/सुरक्षा मुख्यालय, उत्तरांचल हेतु विभिन्न पदो का सृजन।	86–90
21	8450/अधि0–एक–207 दि0 20 अगस्त 2006, आबकारी विभाग।	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन या उससे अधिक जेल मे निरूद्ध रहें/घायल हुए आन्दोलनकारियो को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	91
22	10–नो–(एल)/xxxvi(1)/06–924(9)/90, दि0 31 अगस्त 2006 न्याय अनुभाग–1	अधिसूचना नियुक्ति। के0सी0 राम आर्य को नोटरी पंजिका में सम्मिलित किये जाने विषयक।	92–94
23.	12–नो–(एल)/xxxvi(1)/06–924(9)/90, दि0 31 अगस्त 2006 न्याय अनुभाग–1	अधिसूचना नियुक्ति। महेश चन्द्र का नाम नोटरी पंजिका में सम्मिलित किये जाने विषयक।	95–97
24.	सी0जी0–6/होगा/2005/453, दि0 01 सितम्बर 2006 होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय।	होमगार्ड्स में वर्दियो की नीलामी की राशि के सम्बन्ध में।	98
25.	2032/XX(1)/132/विविध/2006, दि0 01–09–2006 गृह अनुभाग–1	BLACK LIST CIRCULAR NO 57/2006(Issued under New Guidelines)	99–106
26.	2777/XX(2)/109/परीक्षा/2002, दि0 22 सितम्बर 2006 गृह अनुभाग	अधिसूचना शक्ति। आई0आई0टी0 अनुदेश परीक्षा में केन्द्राध्यक्षों को अधिकार दिया जाना।	—
27.	3729/XX(3)/–03/पुलिस/2006 दि0 25–09–2006 गृह अनुभाग–3	न्यायिक प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अभियुक्तों एवं याचिकाकर्ताओं के स्थाई पता एवं पारिवारिक स्थिति के सत्यापन के संबन्ध में।	107–126
28.	837/XX(5)/–06–13 हो0गा0/02 दि0 29 सितम्बर 2006 गृह अनुभाग–5	उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 में संशोधन।	127–128
29.	अ0नि0नि0/अनु0–3/77(ओ0) [illegible]/2005/215/2006, दि0 29 सितम्बर 2006 पुलिस मुख्यालय देहरादून।	[illegible] पदधारियों के पत्र जो [illegible] निर्गत [illegible] वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना हैं।	129
30.	835/ XX–6/41/वि0रा0/2006 दि0 09 अक्टूबर 2006, गृह अनुभाग–6	विधिवत् निर्गत पासपोर्ट एवं वीजा के अंतर्गत वर्तमान में विदेश (यू0के0/अन्य देश) में रहने [illegible] प्रमाण पत्र की मांग किये जाने के सम्बन्ध में।	130
31.	1774/13/70–श्रम/01, दि0 11 अक्टूबर 2006, श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विभाग।	अधिसूचना। श्री एस0 के0 [illegible] को [illegible] अधिकारी नियुक्त किया जाना।	131
32.	702/19(1)/2006 दि0 29 सितम्बर	महत्वपूर्ण प्रकरणों में शासन को भेजे जाने	

	2006, राजस्व विभागं	वाले संदर्भ विषयक।	132
33	2752/XXX(2)/2006, दि0 27 अक्टूबर 2006, कार्मिक अनुभाग–2	उत्तरॉचल फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसियशन द्वारा आहूत हड़ताल में शामिल किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध उत्पीडनात्मक कार्यवाही न किये जाने के सवन्ध में।	133
34.	287/ix(38)/2006–07/ह0प0/अनु0/सचा0/2006–07,दि0 16 अक्टूबर 2006, नागरिक उड्डयन विभाग।	राज्य के स्वामित्व वाली हवाई पट्टी गौचर (चमोल), पिथौरागढ (नैनीसैनी), चिन्यालीसौढ (उत्तरकाशी) की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निजी संस्थाओं को अनुबन्धित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।	134-135
35.	4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006, दि0 08 नवम्बर 2006 गृह अनुभाग–4	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलकारीयों को सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में।	136-137
36.	4206/XX(4)–269/कारा–03/2006 दि0 08 दिसम्बर 2006 गृह अनुभाग–4	कारागारों पर सर्दी के दौरान अलाव जलाने एव वन्दियों को अतिरिक्त एक चाय दिये जाने के सम्बन्ध मे।	138
37.	352/एक–815/03–04/2006–2007, दि012–07–2006 युवा कल्याण निदेशालय।	आदेश। तैनाती	139-140
38.	1385/आठ–9–3(17)/87, दि0 31 मार्च 1987 गृह (पुलिस) अनुभाग–9	उत्तर–प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबन्धित वादों के अभियोजन हेतु लोक अभियोजन/अपर लोक अभियोजन हेतु नियुक्त किये गये ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों/अपर लोक अभियोजन की सुरक्षा व्यवस्था ।	141
39.	1269/तीस–2/2004, दि0 11 अगस्त 2004 कार्मिक अनुभाग–2	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	142-143
40.	417/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, दि0 27 जनवरी 2005	अधिसूचना विधायी परिशिष्ट ।	144-145
41	279/1/2005–06/107/2003, दि0 19 फरवरी 2005 ऊर्जा विभाग।	अधिसूचना।	146
42	अभि.नि./179/2003–2005, दि0 24 फरवरी 2005, पुलिस मुख्यालय देहरादून।	कार्यालय ज्ञाप। न्यायालय के आपराधिक वादों में परीक्षण के दौरान माल मुकदमाती प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।	[illegible]
43	84–एक(1)/छत्तीस(-)/न्यायअनु0/2005, दि0 03 मार्च 2005 न्याय विभाग।	प्रत्येक जमानतनामों पर रू0 10/– (दस रुपये) का अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प लगाया जाना।	[illegible]
44.	1514(एल)/मु0रा0अ0/05, दि0 10 मार्च	राजस्व पुलिस संवर्ग में भिन्न [illegible]	[illegible]

	2005, राजस्व विभाग।	अधिकारियों को पदों के विपरीत नामित किया जाना।	
45.	766 / एक–1–2001, दि0 09 मई 2001 कार्मिक विभाग–1	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन के सबन्ध में	152
46	1798 / XX(6)–34 / विविध / 2005, दि0 22 जुलाय 2005 गृह अनुभाग–6	छात्र बीजा एवं चिकित्सा बीजा प्रदान किये जाने के सबन्ध में।	153-161
47	1446 / XX–1 / 485 / सुरक्षा / पर्व / 2004, दि0 03 अगस्त 2005 गृह अनुभाग–2	माह अगस्त 2005 के मुख्य पर्वो / त्योहारों पर सुरक्षा।	162-164
48.	530 / 18(1) / 2005, दि0 06 अगस्त 2005 राजस्व विभाग।	कार्यालय ज्ञाप। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाना।	165-166
49.	1579 / XX(1) / 102 / विधान सभा उप निर्वाचन / 2005, दि0 25 अगस्त 2005 गृह विभाग	अधिसूचना (शक्ति) कोटद्वार विधान सभा उप निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकार दिया जाना।	167
50.	1577 / XX(4)–13 / उ0आन्दो0 / 2005, दि0 25–08–2005 गृह अनुभाग–4	उत्तरांखण्ड आन्दोलन के दौरान घायल / जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किया जाना।	168-169
51	1579 / XX(1) / 102 / विधान सभा उप निर्वाचन / 2005, दि0 अगस्त 2005 गृह विभाग।	अधिसूचना (शक्ति) कोटद्वार उप निर्वाचन क्षेत्र हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों को अतिरिक्त अधिकार दिया जाना।	170-171
52.	851 / 246 ix / 2005, दि0 28 अगस्त 2005 परिवहन विभाग।	अधिसूचना / संशोधन। श्री ब्रजेश नवानी एवं श्री हरस्वरुप को तात्कालिक प्रीााव से अग्रिम आदेश तक गैर सरकारी सदस्य नामित किया जाना।	172
53.	548 / XX(5) / 05–23 अभि0 / 05, दि0 29–08–05 गृह अनुभाग–5	विज्ञप्ति / तैनाती । श्री देवीदत्त जोशी अभियोजन अधिकारी बागेश्वर को सतर्कता अधिष्ठान, सेक्टर नैनीताल में रिक्त अभियोजन अधिकारी के पद पर तैनात किया जाना।	173
54.	1669 / XX(4)–19 / उ0आन्दोलन / 2005, दि0 06–09–2005 गृह अनुभाग–4	उत्तरांखण्ड राज्य आन्दोलनकारीगों को राजकीय सेवा में नियुक्ति के सम्बन्ध में।	174
55.	1739 / XX(1) / गनर / 307 / 2005, दि0 12 सितम्बर 2005, गृह अनुभाग–1	गनर / शैडो प्राप्त महानुभावों / अति विशिष्ठ व्यक्तियों / अन्य व्यक्तियों के जीवन भय विषयक आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में	175
56.	1742 / XX(2) / 80 / विविध / 2002, दि0 13 सितम्बर 2005 गृह अनुभाग–2	तिब्बती नागरिकों का भारत में अनिवासित आगमन एवं तिब्बती मूल के नागरिकों के पंजीकरण / नियंत्रण के नियम में की गयी कार्यवाही के संबन्ध में	176-177
57.	2565 / पीस–1 / 2004–2005, दि0 20 सितम्बर 2005, आयुक्त कुमाऊं मण्डल नैनीताल।	तिब्बती मूल के नागरिकों के पंजीकरण के संबन्ध में दिशा निर्देश :	178
58.	1765 / XX(1) / 08 / चौकी / स्थापना / 2005, दि0 20 सितम्बर 2005	जनपद नैनीताल में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हंसपुर खत्ता की स्थापना के सम्बन्ध में।	179-180

	गृह अनुभाग–1		
59.	241 / xxii / 2005, दि0 23 सितम्बर 2005 सूचना अनुभाग–	विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्त विज्ञापनो एव अन्य सूचनाओ का प्रकाशन सूचना विभाग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध मे।	181
60.	2125 / XX(4)–3 / उ0आन्दो0 / 2005, दि0 27 सितम्बर 2005 गृह अनुभाग–4	उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान घायल / जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	182-183
61	1927 / XX(1) / 11 / विविध / 2005, दि0 06 अक्टूबर 2005, गृह अनुभाग–1	**Smugglers and Fochange Exchange Manipulators (Forfeiture of Proper ty) Act 1976 (SAFEMA) and NDPS Act 1985.**	184-186
62.	1957 / XX(6)–46 / विविध / 2005, दि0 07 अक्टूबर 2005, गृह अनुभाग–6	विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी / अभियोजन चलाये जाने के संबन्ध में सूचना का प्रेषण।	187-194
63.	1951 / XX(2) / रासुका–04 / 2002, दि0 13 अक्टूबर 2005, गृह अनुभाग।	अधिसूचना। उत्तरांचल के जिलो मे घटनाओं को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को अतिरिक्त अधिकार दिया जाना।	195
64.	536 / xvii(1)–2 / 2005–321(समाज कल्याण) / 2002, दि0 13 अक्टूबर 2005 समाज कल्याण अनुभाग–2	भिक्षावृत्ति की प्रथा के उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्यवाही किए जाने के सम्वन्ध में।	196
65.	अभि0 नि0 / 25(1)–विविध–02, दि0 25 अक्टूबर 2005, अभियोजन निदेशालय।	परिपत्र ज्ञाप। अपराध अनुसंधान विभाग के मुकदमों का अभियोजन जिलों में कार्यरत अभियोजकों द्वारा गंभीरता से किया जाने संबन्धित।	197
66.	अभि0नि0–अनु0–एक / 39 / 2004, दि0 28 अक्टूबर 2005 पुलिस मुख्यालय भवन देहरादून।	जनपदीय अभियोजन कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 2004–05 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान के संवन्ध में।	198
67.	अभि0नि0 / अनु0–तीन–20(विविध) / 2005, दि0 31 अक्टूबर 2005 पुलिस मुख्यालय भवन देहरादून।	परिपत्र ज्ञाप। जनपद मुख्यालय से दूरस्थ स्थान पर स्थापित विशेष न्यायालयों मे अभियोजन कार्य की मांग पर शासकीय वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धित।	199
68.	174 / 01 / निर्माण / 05–06, दि0 14 नवम्बर 2005, महानिरिक्षक कारागार।	पुरानी बैरक 6,7 तथा [illegible] के स्थान पर एक नई बैरक निर्माण करने हेतु पुरानी कारागार के मुख्यद्वार को खोलने की अनुमति के संबन्ध में।	200
69.	3060 / XX / (1) / 32 / थाना / 2005, दि0 17 नवम्बर 2005 गृह अनुभाग–1	जनपद नैनीताल में थाना बेतालघाट की स्थापना के सम्बन्ध में।	201-202
70.	54 XXXi(13)जी / 36(43) / 2003, दि0 18 नवम्बर 2005 सामान्य प्रशासन विभाग।	राजकीय / सैनिक / केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की अंत्येष्टि के अवसर पर शवपेटिका या अर्थी पर राष्ट्रीय झण्डा लपेटने का सही तरीका।	203-204

71.	656 / गृह–1 / 315 / 03, दि0 22 नवम्बर 2003 गृह अनुभाग	सरकारी गाडियों पर राष्ट्रीय झण्डे का सही प्रदर्शन।	२०८-२१०
72	638 / xvii(1)–2 / 2005–104 (महिला कल्याण)दि0 23 नवम्बर 2005 समाज कल्याण अनुभाग–2	अधिसूचना। विधिवत नये किशोर न्यायालयों के गठन होने तक पूर्ववत कार्य करते रहने की अनुमति दिये जाने विषयक।	२११
73.	446 / औ0वि0 / आई0टी0 / पी.एस / 05 दि0 28 नवम्बर 2005 औधोगिक विकास / सूचना प्रौधोगिकी	राज्य में स्थापित हो रही औधोगिक इकाईयो मे स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत लोगों को समायोजित किया जाना ।	२१२
74	2399 / XX(3)–366 / विविध / 2005, दि0 30 नवम्बर 2005, गृह अनुभाग–3	तहसील रानीखेत के पटवारी क्षेत्र नाफण में स्वर्ग आश्रम विनसर महादेव के प्रबन्धक श्री ललित मोहन दुर्गापाल के अपहरण के सम्बन्ध में।	२१६-
75	2404 / XX(4)–45 / उ0आन्दोलन / 2005, दिनॉक 30 नवम्बर 2005 गृह अनुभाग–4	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल / जेल गये आन्दोलनकारियो को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	२१७
76.	3267 / XX(2)–04, रा0सु0का0 / 2003 दि0 09 दिसम्बर 2005 गृह अनुभाग–2	अधिसूचना। परामर्शदात्री समिति का गठन किये जाने सम्बन्धित।	२१८-२१९
77.	3266 / XX(2)–100 / सुरक्षा / 2006, दि0 09 दिसम्बर 2005 गृह अनुभाग–2	ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में।	२२०
78.	144 / vi / 2005–12(3)2004, दि0 17 दिसम्बर 2005, पर्यटन विभाग।	कार्यालय ज्ञाप । अराजपत्रित पर्यटन कर्मचारी संघ उत्तरांचल को मान्यता प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।	२२१
79.	2559 / XX(4)–82 / कारा0 / 2005, दि0 21 दिसम्बर 2005 गृह अनुभाग।	कार्यालय ज्ञाप। श्री मो0 यार खॉं पुत्र श्री अली यार खॉं निवासी ग्राम अलीनगर पो0 शहदौरा, तहसील किच्छा को जेल विजिटर के रूप में दो वर्ष के लिए नामित किया जाना।	२२२
80.	764 / XX(05)–06 अभि0 / 03, दि0 22 दिसम्बर 2005 गृह अनुभाग–5	अभियोजन विभाग के विभागीय ढॉचे को कार्मिक प्रबन्धन नियमों के अनुरूप संशोधन किया जाना।	२२३-२२४
81.	193 / vi-i / 2005, दि0 24 दिसम्बर 2005, कल्याण अनुभाग	उत्तरांचल प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबन्ध में।	२२५-२२६
82.	860 / xvii(1)–2 / 2005–08(35) / 2005, दि0 02–01–2006 समाज कल्याण अनुभाग–2	किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जनपदों में गठित किशोर न्याय बोर्डों में नामित गैर सरकारी सदस्यों / सामाजिक कार्यकर्ताओं को मानदेय भुगतान के संबन्ध में।	२२७
83.	10 / XX(2) / रासुका–04 / 2005, दि0 04 जनवरी 2006, गृह अनुभाग–2	अधिसूचना। विभिन्न जिलों में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम ।	२२८-२२९
84.	57 / XX(4)–82 / कारा0 / 2005, दि0 10	कार्यालय ज्ञाप। श्री नन्दन हरबोला निवासी के [illegible] तिलोक नगर, हल्द्वानी जिला	२३०

	जनवरी 2006, गृह अनुभाग-4	नैनीताल को जेल विजिटर के रूप मे दो वर्ष के लिए नामित किया जाना।	
85.	665/xvii(1)-2/2005-06(39)/2005, दि0 18 जनवरी 2006, समाज कल्याण अनुभाग-2	विकलांग कार्मिकों को अनुमन्य वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के संबन्ध में।	231-232
86.	269-1/जेल सुरक्षा-पीएस/05, दि0 18 जनवरी 2006 महानिरीक्षण कारागार उत्तरांचल।	जेल में आपत्तिजनक सामग्री पर कढाई से प्रतिबन्ध लगाने विषयक।	233
87	अभि0नि0-2/46(लेखा)-बजट-2005-06/05/50 दि0 27 जनवरी 2006, अभियोजन निदेशालय।	बजट आवंटन।	234-236
88.	30/xx(1)/132/निर्माण/वन भूमि ह0/2005, दि0 27 जनवरी 2006, गृह अनुभाग-1	नव सृजित थाना चोरगलियां मे 0.40 है0 वन भूमि का पुलिस विभाग को हस्तांतरित किया जाना।	237
89.	43/xxiv-2/2006, दि0 31 जनवरी 2006, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5	अधिसूचना। उत्तरांचल शिक्षा विभाग में हडताल पर रोक सम्बन्धित।	238-239
90.	सी-2837/दहेजप्रतिषेध-946/2005-06, दि0 03 फरवरी 2006, आई0सी0डी0एस0 उत्तरांचल।	कार्यालय ज्ञाप। श्री मानव कल्याण समिति को एतद्द्वारा मान्यता प्रदान किया जाना।	240
91.	अभि0नि0/अनु0-एक/132(रा0नि0)/2005/69106, दि0 06 फरवरी 06 पुलिस मुख्यालय।	संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नति दिये जाने विषयक।	241
92	1-सात-एल/xxxvi(I)/2006-128 जी/01, दि0 18 फरवरी 2006 न्याय अनुभाग-2	जिला नैनीताल की तहसील रामनगर मे स्थापित सिविल जज (जू.डि.) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता।	-
93.	3779/xvii(2)/2005, दि0 28 फरवरी 2006, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग।	महिला यौन शोषण राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना।	242-
94.	268/म.नि.का./2006, दि0 28 फरवरी 2006,	कार्यभार ग्रहणक। एस0 राजू महानिरीक्षक कारागार।	243
95.	अभि0नि0-अनु0-2/46(लेखा बजट-2005-06)/05/148, दि0 06 मार्च 2006, अभियोजन निदेशालय।	बजट आवंटन।	244-245
96.	अभि0नि0/अनु0-एक/151(मु0अ0अ0)/05/154/06, दि0 08 मार्च 06, पुलिस मुख्यालय देहरादून।	आदेश। अभियोजन अधिकारी, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के रिक्त पद पर पदोन्नति विषयक।	[illegible]
97.	702/XXX-2/2006 दि0 07 मार्च 2006, कार्मिक अनुभाग-2	कार्यालय ज्ञाप। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के नामांकन हेतु एक समिति के गठन सम्बन्धित।	[illegible]
98.	204/न्यायविभाग/86(1)/2006-267-एक(1)/04, दि0 08 मार्च 2006, न्याय विभाग।	उत्तरांचल सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 2005 (उत्तरांचल अधि0 सं0 1/2006) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रवेश	248-249

		का प्रयोग करके 22 मार्च 2006 को इस अधि0 के प्रवृत्त किये जाने की तारीख नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।	
99.	381 / xx(5) / 06–23 अभि0 / 05, दि0 23 मार्च 2006, गृह अनुभाग	विज्ञप्ति स्थानान्तरण। श्री देवी दत्त जोशी अभियोजन अधिकारी को सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल में तथा श्री कशर सिंह अभियोजन अधिकारी को अभियोजन विभाग के जनपद नैनीताल मुख्यालय में तैनात किये जाने सम्बन्धित	250
100	593 / xx(3) / 03 / सी0बी0सी0आई0 डी0 / 2006, दि0 23 मार्च 2006 गृह अनुभाग–3	मु0अ0सं0–672 / 04,फौ0वा0सं0–164 / 06, सरकार बनाम रोहित आदि थाना रामनगर नैनीताल की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में।	251
101	224 / xxxi(13) / 18(14) / 2006, दि0 23 मार्च 2006 सामान्य प्रशासन विभाग।	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन।	252-25[illegible]
102.	764 / xx(1)–546 / सुरक्षा / 2006, दि0 25 मार्च 2006 गृह अनुभाग–1	भारत नेपाल सीमा पर सड़कों के निर्माण के संबंध में।	[illegible]-256
103. ✓	यूईपीपीसीबी / एचओ / 104 / 06 / 2044, दि0 31–03–2006 पर्यावरण संरक्षण विभाग।	ध्वनि प्रदूषण कानून।	257-266
104.	408 / vi / 2006–3(16)2005,दि0 04 अप्रैल 2006 पर्यटन अनुभाग।	प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों व महत्वपूर्ण बस व रेलवे स्टेशनों आदि पर पर्यटकों की सहायता,सुरक्षा व सहयोग हेतु पर्यटक पुलिस एवं सहायता सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बंध में।	267
105.	283 / xvii(1)–2 / 2006–08(07) / 2006, दि0 10 अप्रैल 2006, समाज कल्याण अनुभाग–2	अधिसूचना। राजकीय संप्रेक्षण गृह पौड़ी को 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के किशोरों हेतु अस्थाई रूप से बाल गृह नामित किया जाना।	268
106.	1058 / xxxii / 2006, दि0 07 अप्रैल 2006 कार्मिक अनुभाग–2	[illegible] आन्दोलनकारियों [illegible] सेवायोजन [illegible]	269
107.	697 / xx(4) / [illegible] / 2006 दि0 07 अप्रैल 2006 गृह अनुभाग–3	[illegible] 07 [illegible] आन्दोलनकारियों को समूह ग तथा घ के पदों पे सेवायोजित किए जाने के संबन्ध में।	270
108.	893 / xx(2) / 130 / सुरक्षा / 2006, दि0 15 अप्रैल 2006 गृह अनुभाग–2	प्रदेश के विभिन्न भागों में त्योहारों, [illegible] आदि में सुरक्षा [illegible] की व्यवस्था के संबंध में।	[illegible]
109.	352 / पी0एस0-सुरा / 2006, दि0 17 अप्रैल 2006	[illegible] सुरक्षा किये जाने विषयक।	[illegible]

110	92/XVII(2) 2006-07, दि0 26-04-06, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।	बाल विवाह की रोकथाम।	-
111.	अभि0नि0/अनु0-दो/37/2006/292/06, दि0 11 मई 2006, पुलिस मुख्यालय भवन	अजट आवंटन।	..
112	931/XX(3)-35/सी0बी0सी0आई0डी0/2006 दि0 21 मई 2006 गृह अनुभाग-3	श्री त्रिलोक नाथ भट्ट क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी खण्ड विकास कार्यालय नैनीताल के लापता होने सम्बन्धी प्रकरण की जाँच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने सम्बन्धी।	२८०
113	25-नो-एल/न्याय अनुभाग/2002, दि0 19-08-2002 न्याय अनुभाग।	अधिसूचना, नियुक्ति। श्री विक्रम सिंह नेगी को कालाढूंगी तहसील में नोटरी नियुक्त किया जाना।	२८१
114.	24-नो-एल/न्याय ... 19-08-2002 न्याय अनुभाग।	... को हल्द्वानी तहसील मे नोटरी नियुक्त किया जाना।	२८२
115.	26-नो-एल/न्याय अनुभाग/2002, दि0 19-08-2002 न्याय अनुभाग।	अधिसूचना, नियुक्ति। श्री घनश्याम बडोला को हल्द्वानी तहसील मे नोटरी नियुक्त किया जाना।	२८३
116.	27-नो-एल/न्याय अनुभाग/2002, दि0 19-08-2002 न्याय अनुभाग।	अधिसूचना, नियुक्ति। श्री कैलाश चन्द्र जोशी को हल्द्वानी तहसील में नोटरी नियुक्त किया जाना।	२८४
117.	3-नो/न्याय अनु0/2002, दि0 21 अगस्त 2002, न्याय अनुभाग।	अधिसूचना। नोटरी नियुक्ति से संबन्धित।	२८५
118	..../दस-35/दुर्घटना/राहत/2002, दि0 ... अक्टूबर 2002 परिवहन विभाग।	वाहन दुर्घटनाओं में सहायता राशि का आवंटन।	२८६-२८६
119.	35/187/गृह-1/2002, दि0 02 नवम्बर 2002 गृह विभाग।	अधिसूचना। उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी।	२८९
120.	618/वि0अनु-5/स्टाम्प/... नवम्बर 2002, वित्त अनुभाग।	... जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रयोजनार्थ निष्पादित बन्धक विलेखों पर रू0 70 प्रति हजार स्टाम्प शुल्क के स्थान पर रू0 5.00 लाख तक के ऋणों पर स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान करने की सशर्त स्वीकृति प्रदान किये जाने संबन्धित।	२९०
121.	2226/स0क0/02-52(सम्बन्ध [illegible])/2002, दि0 06 [illegible] 2002, समाज कल्याण अनुभाग।	अधिसूचना। [illegible] अधिनियम 1976 [illegible] में लागू रहेगी।	[illegible]
122.	6709/श्रम सेवा/7-श्रम/2002, दि0 28 नवम्बर 2002, श्रम सेवायोजन विभाग।	अधिसूचना। श्रम विभाग के अधीन [illegible] श्री [illegible] को [illegible]	

		अधिनियमों में उल्लिखित मुख्य निरीक्षक उत्तराचल की शक्तियो का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं।	—
123.	1913 / चि–2–2002–440 / 2002, दि0 31 दिसम्बर 2002 चिकित्सा अनुभाग–2	जन्म–मृत्यु पंजीकरण योजना के अर्न्तगत राज्य तथा जिला स्तर पर अर्न्तविभागीय(Interdepartmental) समन्वय समिति का गठन।	293-295
124.	405 / नौ–1–सि0 / 2003, दि0 31 जनवरी 2003, सिचाई विभाग।	कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय मुख्य अभियन्ता सिंचाइ विभाग उत्तरांचल को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धित।	296
125.	439 / नौ–1–सि0 / 2003, दि0 10 फरवरी 2003, सिंचाई विभाग।	कार्यालय ज्ञाप। सिचाई विभाग उत्तरांचल को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धित।	297
126.	442–सक–03–87(समाजकल्याण) / 2002 दि0 18 फरवरी 2003, समाज कल्याण अनुभाग।	कार्यालय ज्ञाप। उत्तरांचल राज्य हज समितियों में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाना।	298-299
127.	3041 / स0क0 / 2003–35(समाज कल्याण) / 2002, समाज कल्याण अनुभाग।	कार्यालय ज्ञाप। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किये जाने विषयक।	300

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग
संख्या–272/XVII(2)/2006
देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2006

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666/1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित ओदश दिनांक 13 अगस्त, 1997 के अनुपालन में राज्य स्तर पर राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के संबंध में उचित कार्यवाही हेतु जो समिति गठित की गयी है, उक्त समिति में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु उचित दिशा निर्देश दिये जाने के संबंध में राज्य के सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तरांचल को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

(एम0 रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

संख्या– 272/XVII(2)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उत्तरांचल।
5. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तरांचल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
8. उत्तरांचल राज्य महिला अयोग, उत्तरांचल।

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

संख्या : 44–एक(1)/XXXVI(1)/2006–6–एक(?)

प्रेषक,

पू0सी0 ...,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

अनुभाग--1 देहरादून, दिनांक 15 अप्रैल, 2006

विषय : प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्ठी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 21 मार्च, 2002, दिनांक 06.12.2005 एवं दिनांक 07–2–2006 को पारित आदेश के संदर्भ में उत्तरांचल राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधायें प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्ठी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति तथा उस क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 21 मार्च, 2002, दिनांक 06.12.2005 एवं दिनांक 07–2–2006 को पारित आदेश के संदर्भ में निम्नानुसार भत्ते/सुविधायें अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की गयी है :-

वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता

प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 1 पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

/जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी

[illegible]/स्थान की श्रेणी	अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर।	75
शेष जिले	50

नोटः— जिन न्यायिक अधिकारियो के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तद्नुसार ही किया जायेगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियो के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह [illegible] लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

2. आतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा।

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी	मासिक भत्ता (रूपये में)
1.	जिला जज/अपर जिला जज	1000
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	750
3.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	500

3. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रू0 5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

4. समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

दूरभाष सुविधा

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यालय में टेलीफोन एस.टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपर्युक्त अधिकारियों को निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी :–

क0 सं0	अधिकारी की श्रेणी	2 माह के लिये निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	3000	[illegible]
2.	अतिरिक्त जिला जज/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	2000	[illegible]
3.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट	2000	1000
4.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	1500	750

6. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति

न्यायिक अधिकारियों को विजली एवं पानी के बिलों की धनराशि का आधा भुगतान न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 202–एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में देय होगा। जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों के आवासों के बिजली तथा पानी के बीजक का 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात न्यायिक अधिकारी को जैसे ही बिजली व पानी का बीजक प्राप्त हो, वह उसका भुगतान करेगा और भुगतान के उपरान्त बीजक और भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर उसकी आधी धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा कर दी जायेगी।

7. आवास/मकान किराया भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निःशुल्क आवास शासनादेश संख्या 202–एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों को शासकीय आवास आबंटित होने की स्थिति में उन्हें शासकीय आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात उनसे शासकीय आवास के साथ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आवास प्रदान किए जाने पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

8. अतिरिक्त प्रभार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिये दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

<u>अवकाश नकदीकरण</u>

न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नकदीकरण लेने की सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश लेने के लिये अधिकारी को बाध्य नहीं किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 2 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

10. <u>अवकाश यात्रा सुविधा</u>

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिये 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने गृह जनपद के लिये अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिये प्रथम 4 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

11. <u>एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान</u>

न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहाई के बराबर धनराशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजन को सरकारी अस्पतालों/औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों/औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रु0 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

2- उपर्युक्त आदेश दिनांक 21 मार्च, 2002 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिये इन भत्तों/सुविधाओं का उपभोग करने के लिये यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति

सुनिश्चित की जायेगी तथा ... में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत ... भुगतान का ... किया जायेगा।

3— उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये शासनादेश ... एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 ... अन्य आदेश तत्काल ... समझे जायेंगे।

4— उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 164 दिनांक 25 मार्च, 2006 ... प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(यू0सी0 ध्यानी)
सचिव,

पृष्ठांकन संख्या ... 2)/06, तद्दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

... सचिव/सचिव।
... ।
...
... तरांचल, देहरादून।
... उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
... कारी, उत्तरांचल।
... धिकारी उत्तरांचल।
... उत्तरांचल शासन, देहरादून।
...

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव

कार्यालय ....
50 - सी ग्रीन व्यू ... बल... देहरादून
फोन व फैक्स ...135 - 2669708

पत्रांक: 3508, ...0आं0क0प्र0... ध्यक्ष / 2006–07   दिनांक: 18.05.06

ADM/...

1. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांचल।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल। (नैनीताल)

विषयः उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल गये आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1270 / तीस–2 / 2004 दिनांक 11 अगस्त, 2005 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 05 वर्ष का अधिमान दिया जाये तथा अगले 05 वर्षों (चयन वर्ष 2004–05 से चयन वर्ष 2008–2009) के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाये।

बहुधा यह देखा है कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम अवधि के लिए जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। कृपया अपने विभाग में रिक्त पदों पर चयन हेतु सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। पूर्व में प्रेषित विज्ञप्तियों में संशोधन करते हुए 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण एवं भविष्य में होने वाले सीधी भर्ती के सभी चयनों में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण आगणित करने की कार्यवाही करें। इसके साथ ही वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर किये गये चयनों में यदि राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है, तो उसकी सूचना भी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा आपके विभाग में रिक्त पदों की संख्या से भी अवगत करायें।

(ऊषा नेगी)

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल
सं0 4 / 20-न्याय0सं0 / 2006, दिनांक: जून 27, 2006
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष जनपद नैनीताल
2- मूल प्रति गार्ड फाईल,

(3)

प्रतिलिपि पत्र संख्या शून्य दि0 8–5–06 प्रेषक श्री यू0एस0 ध्यानी अपर महाधिवक्ता उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल प्रेषित सेवा में जिलाधिकारी नैनीताल।

----00----

आपके जिले के विभिन्न विभागों की कई अपीलें माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित हैं इन अपीलों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावशाली कदम न उठाये जाने के कारण अनावश्यक स्थगन हो रहे हैं, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा कई बार कड़ी आपत्ति व रूख भी अपनाया गया है ।

यह अत्यन्त खेद की बात है कि हमारे कर्यालय से बराबर सम्बन्धित विभागों को लम्बित वादों में की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया जाता रहा है, किन्तु किसी भी विभाग द्वारा सहयोग न मिलने से अपीलें में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है । भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित कई अपीलें इस तरह की हैं कि प्रति उत्तरदाता के लिये सम्मन का प्रकाशन अखबार में किया जाना है । ऐसी भी अपीलें हैं जिनमें प्रतिउत्तरदाता की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर उनके वारिसान का प्रतिस्थापन किया जाना जरूरी है । सूचना के अभाव में (जो विभाग को ही देनी है) अपीलें में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि कई अपीलें में अत्यधिक धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और अपीलें में उचित पैरवी न होने से माननीय न्यायालय का आदेश राज्य सरकार के खिलाफ हो सकता है जिससे सरकार को भारी नुकसान हो सकता है ।

अतः सम्बन्धित विभाग/विभागों को जिनकी अपीलें माननीय न्यायालय में लम्बित हैं, अपने स्तर से उचित निर्देश देने की कृपा करें ताकि सरकार की ओर से उचित एवं प्रभावशाली पैरवी हो सके । संबंधित विभागों के पैरोकार हमारे कार्यालय से सम्पर्क करें ताकि उचित पैरवी हो सके ।

----00----

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल ।

संख्याः र–207/29–रा0स0/2006 दिनांक मई 16, 2006

1– प्रतिलिपि समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष जनपद नैनीताल

2– प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल ।

3– प्रतिलिपि समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद नैनीताल ।

4– प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी संग्रह/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/स्थानीय निकाय/सीलिंग/नाजरात/भू–लेख (पर्वतीय/मैदानी)/नाजरात/बिल्स/न्याय सहायक/खाम/मनोरंजन/निबन्धन/स्टाम्प जिला कार्यालय नैनीताल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

देखा अनुपालन करें
R.K. [illegible] रखें।

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 445/XIII--II/289(2)2003
देहरादून: दिनांक: 05 जून, 2006

जिलाधिकारी
नैनीताल

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम,1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिये गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तरांचलके मुख्य परिसर तथा वाह्य शोध एवं प्रसार इकाईयों, फार्म सहित समस्तश्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,
3/6/06
(पी0के0महान्ति)
सचिव

वर्ष 2005-06
विभाग ADM/OC/JA
पत्रावली सं0 ....
क्रम सं0 ....
रजिस्टर सं0 2861
दिनांक 13/6/06

संख्या 445/XIII--II/289(2)2003 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्रह, उत्तरांचल।
2. कुलपति, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरांचल।
5. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
6. सूचना निदेशक, उत्तरांचल।

आज्ञा से,
(विजय ढौंडियाल)
अपर सचिव

संख्या :445/XIII--II/289(2)2003 दिनांकित

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणाल, रूड़की हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को इसके निर्गत होने की तिथि के असाधारण गजट (विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड – ख) अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें। अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रतिलिपि भी संलग्न है। असाधारण गजट की 100 प्रतियाँ शासन को कृपया उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,
(विजय ढौंडियाल)
अपर सचिव

Seen / d.f.

D:\manoj\notification.doc- M

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. ..445../XIII-II/289(2)/2006, dated ... 2006

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
KRISHI MARKETING ANUBHAG
NO. 445/XIII-II/289(2)/2006
Dehradun : Dated : 05 June, 2006

WHEREAS, the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do, the Governor, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 hereby prohibits strike with immediate effect for six months in all categories of staff of G.B. PANT UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY, PANTNAGAR including its headquarters, out station research and extension units and the farm and under sub-section (2) of section 3 of the said Act directs that this order be published in Gazette.

By Order,
3/6/06
(P.K.Mohanti)
Secretary

D:\anand\notification.doc 39

(10)

उत्तरांचल शासन,
गृह अनुभाग–4,
संख्या: 3001 / XX(4)–47 / उ0आन्दो0 / 2005
देहरादून:: दिनांक:: 08 :: जून, 2006

ADM/OC/JA

जिलाधिकारी
नैनीताल.

2933
17/6/06

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, कार्यालय ज्ञाप संख्या–3000 / XX(4)–47 / उ0आन्दो0 / 2005, दिनांक 08 जून, 2006 द्वारा "राज्य निर्माण आन्दोलनकारी कल्याण परिषद" में सृजित किये गये एक अतिरिक्त उपाध्यक्ष पद पर श्री शेर सिंह दिगारी को नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या: 3001 / XX(4)–47 / उ0आन्दो0 / 2005 ::तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य सचिव।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. सम्बन्धित महानुभाव।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन,
गृह अनुभाग-4,
3000 / XX(4)-47 / उ0आन्दो0 / 2005
देहरादून:: दिनांक:: 08 :: जून, 2006

जिलाधिकारी
नैनीताल.

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, कार्यालय ज्ञाप संख्या-428 / गृह-2-5 / उ.आ / 2004 दिनांक 27 फरवरी, 2004 द्वारा गठित "राज्य निर्माण आन्दोलनकारी कल्याण परिषद" में एक अतिरिक्त उपाध्यक्ष का पद सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या: 3000 / XX(4)-47 / उ0आन्दो0 / 2005 ::तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

16 JUN 2006

उत्तरांचल शासन,
गृह अनुभाग-
संख्या-3003 / XX(4)-47 [illegible] आन्दो0 / 2005
देहरादून:: दिनांक:: 0[illegible] 2006

कार्यालय ज्ञाप

अधो[illegible]री को यह कहने का नि[illegible] हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-3001/[illegible])-47/उ0आन्दो0/2005, दिनांक 08 जून, 2006 द्वारा "राज्य नि[illegible] [illegible]ोलनकारी कल्याण परिषद" के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त श्री शेर सिंह [illegible]री को निम्नलिखित वेतन, भत्तो/स्टाफ व अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी:-

(1) उक्त मह[illegible]भाव को रूपये 2500/- प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

(2) पदीय क[illegible]यों के निर्वहन में उक्त महानुभाव को एक निजी सचिव, एक वैयक्तिक [illegible]हायक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्राप्त होंगे। स्टाफ की सम्पूर्ति [illegible]बन्धित परिषद/विभाग द्वारा विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कार्मिकों [illegible] और विभागों के अन्तर्गत [illegible]र्मिक उपलब्ध न होने की दशा में स्थानी[illegible] रोजगार कार्यालय से अर्ह अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त करते हुए चयन के [illegible]ध्यम से समवर्ती (Coterminous) रूप में नियमानुसार की जायेगी।

(3) उक्त मह[illegible]भाव को सुरक्षा के लिये [illegible] अं[illegible]क उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) पदीय कर्त[illegible]ों के निर्वहन में सड़क द्वारा यात्रा करने की दशा में उक्त महानुभाव [illegible] किराये का वाहन अनुमन्य कराया जायेगा। उक्त वाहन के लिए प्रतिमा[illegible] 150 लीटर ईंधन अनुमन्य होगा।

(5) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रेल द्वारा यात्रा करने पर उक्त महानुभाव को उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक वर्थ अनुमन्य होगी।

(6) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में वायुयान द्वारा यात्रा किये जाने की स्थिति में उक्त महानुभाव को वायुयान में उपलब्धता की दशा में एक्जीक्यूटिव क्लास में एक सीट अनुमन्य होगी।

(7) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में मुख्यालय वहाँ माना जायेगा जहाँ सम्बन्धित परिषद का कार्यालय होगा। मुख्यालय से बाहर ऐसी यात्राओं में रूपये 250/- प्रतिदिन के अनुसार दैनिक भत्ता देय होगा तथा श्री दिगारी, ऐसी यात्राओं के यात्रा बिलों के लिये स्वयं नियंत्रक प्राधिकारी होंगे।

(8) मानदेय/वेतन, वाहन, पर्सनल स्टाफ, यात्रा भत्ता इत्यादि का व्यय भार सम्बन्धित परिषद द्वारा वहन किया जायेगा।

(9) पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी यात्राओं के दौरान उक्त महानुभाव को किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना सर्किट हाऊस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा होगी। स्थानीय सद्भाव सम्बन्धित परिषद के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

(10) यह आदेश गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय सं -92/XXI/2006, दिनांक 08-[illegible]-2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव।

संख्या-300[illegible]/1/XX(4)-47/उ0आन्दो0/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल।
3. अपर सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
4. श्री शेर सिंह [illegible]गारी, उपाध्यक्ष, राज्य निर्माण आन्दोलनकारी कल्याण परिषद, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
4/6/06
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या:–1380 / xx–() / 20() / जल पु() / 2005

Ap 10/06

जिलाधिकारी
चमोली

प्रेषक,

एस0एस0 ()लिया,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 17 : जून 2006

विषयः– उत्तरांचल राज्य जल पुलिस की स्थापना, पदों का सृजन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–डीजी–दो–200–2005 दिनांक 27अक्टूबर 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य में जल पुलिस के निम्न 72 अस्थाई पदों के सृजन की दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	मुख्य आरक्षी	09	3200–85–4900
2.	आरक्षी	36	3050–75–3950–80–4590
3.	मोटर बोट चालक	09	3050–75–3950–80–4590
4.	गोताखोर(चतुर्थ श्रेणी)	18	2550–56–2660

2– उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें।

3– उक्त समस्त पद धारकों को जल पुलिस का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4– बोट चालक की नियुक्ति बोट क्रय करने के उपरान्त ही की जायेगी ।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2055–पुलिस–00–109–जिला पुलिस–03–जिला पुलिस मुख्य–00 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–685 / XXVII(5)/2006 दि0 16.06.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

संख्या यथोपरि एवं तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिक्षेत्र,नैनीताल।/गढ़वाल परिक्षेत्र पौढ़ी गढ़वाल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. वित्त अनुभाग–1
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया
अनु सचिव।

2991........
-6..2006

संख्या -1378/6/XX/(I)/ थाना चौकी/इका0का0ग00/2005

एस0एस0 टोलिया,
अनु सचिव,
उत्तरांचल ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल शासन।

अनुभाग—1 देहरादून : दिनांक 17 : जून 2006

विषय— उत्तरांचल राज्य के तहसील स्तर के 19 थानों को उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर पर उच्चीकरण कर पदों का सृजन विषयक।

महोदया,

उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या—डीजी—दो—177—04 दिनांक अप्रैल 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य के निम्न जनपदों के तहसील मुख्यालयों के 19 थानों को उपनिरीक्षक स्तर से निरीक्षक स्तर में उच्चीकृत करते हुए इन थानों हेतु निरीक्षक के 19 अस्थाई पदों वेतनमान 6500—10500 के सृजन की दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

जनपद	थानों का नाम जिन्हें निरीक्षक स्तरपर उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।
देहरादून	1—विकासनगर 2— कैन्ट 3— मसूरी 4— पटेल नगर 5— डोईवाला।
हरिद्वार	6—लक्सर 7— मंगलौर 8—गंगनहर 9—रानीपुर
पौड़ी गढवाल	10—श्रीनगर 11—लैंसडाउन
चमोली	12—चमोली
रूद्रप्रयाग	13—रूद्रप्रयाग
उधम सिंह नगर	14—बाजपुर 15— जसपुर
नैनीताल	16—रामनगर 17— लालकुऑ 18— भंवाली
अल्मोड़ा	19— रानीखेत

2— उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय—समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—2007 के आय व्ययक के अनुदान संख्या—10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2055—पुलिस—00—109—जिला पुलिस—03—जिला पुलिस मुख्य की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 684/XXVII(5)/2006 दि0 16 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

संख्या यथोक्त एवं तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिक्षेत्र,नैनीताल।/गढ़वाल परिक्षेत्र पौड़ी गढ़वाल।
5. समस्त जिलाधिकारी, देहरादून ,हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल,चमोली,रूद्रप्रयाग,उधमसिंहनगर, नैनीताल , अल्मोड़ा
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, देहरादून ,हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल ,चमोली ,रूद्र। उधमसिंहनगर , नैनीताल , अल्मोड़ा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
8. वित्त अनुभाग (1)।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिय

अनु सचिव।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल

सं0 2991/20-न्या0स0/2006, दिनांक: जून 29, 2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल,
2. परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर
3. मूल प्रति गार्ड फाईल,

29-6-06

प्रभारी अधिकारी
कृते जिला मजिस्ट्रेट,

28/6/06

29/6/06

प्राप्ति ... 5 JUL 2006

संख्या:-1431 / XX-(I)/210/पुलिस यातायात/2003

क,

ए0एस0 टो...
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

वर्ष ..2005-06..
... 04/2006
...
...
... 4003
... 3/7/06

में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल।

अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : 24 जून 2006

विषय:- राज्य में यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि, पदों का सृजन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-डीजी-दो-177-2002 दिनांक 22 जून 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य में यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि करते हुए निम्न विवरणानुसार कुल 287 अस्थाई पदों के सृजन की दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित पद			
		निरी0	उ0नि0	हे0का0	का0
1	पौडीगढ़वाल	—	01	03	10
2	टिहरी गढ़वाल	—	01	02	—
3	रूद्र प्रयाग	—	01	03	15
4	चमोली	—	01	02	—
5	उत्तरकाशी	—	01	02	—
6	उधमसिंहनगर	—	01	05	30
7	अल्मोड़ा	—	—	01	20
8	बागेश्वर	—	01	01	05
9	पिथौरागढ़	—	01	03	10
10	चम्पावत	—	01	03	15
11	देहरादून	01	03	06	60
12	हरिद्वार	01	02	03	60
13	नैनीताल	—	01	01	10
	कुल योग	02	16	34	235

समस्त पदों का कुल योग -287 पद

2- उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 को आय व्ययक के अनुदान संख्या—10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2055—पुलिस 00—109—जिला पुलिस—यातायात व्यवस्थापन—00 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—683 / XXVII(5)/2006 दिनांक जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
अनुसचिव।

संख्या यथोक्त एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिक्षेत्र,नैनीताल।/गढ़वाल परिक्षेत्र पौड़ी गढ़वाल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल ।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
8. वित्त अनुभाग—1।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल
पृ0 4003/xx-सि0पे0/2006, दिनांक जुलाई 2006
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल
2- मूल प्रति गार्ड फाईल

मुख्य कोषाधिकारी
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल
7/7/06

14/7/06

प्राप्ति की तिथि 21 JUL 2006

अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय भवन,12 सुभाष मार्ग,
उत्तरांचल,देहरादून।

दिनांक 9/...

पत्रांक: अभि0नि0/अनु0–द... /2006/... दिनांक ...

सेवा में,

जिलाधिका...,
नैनीताल ।

विषय– बजट आ... ।

वित्तीय वर्ष ... –10 लेखाशीर्षक 2055 पुलिस प्रशासन, 800 ... व्यय,0... अभियोजन अधिष्ठान–आयोजनेत्तर, के ... शासन के ... सं0 519/XX(05) 06–07अभि0/बजट/0... दिनांक 2 ... 2006 तथा शासनादेश ...0559/XX(...)/... 6 दिनांक 22–5–2006 के कम में स्वीकृत बजट को ... प्रकार आवंटित किया जाता है ।

क0सं0	मद का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग	बजट रजि0 में प्रविष्टि का कमांक
1–	01 वेतन	240000	–	240000	69
2–	03 महंगाई भत्ता	100000	–	100000	69
3–	04 यात्रा भत्ता	–	–	–	69
4–	05 स्थानान्तरण भत्ता	–	–	–	69
5–	06 अन्य भत्ते	30000	–	30000	69
6–	07 मानदेय	–	–	–	69
7	08 कार्यालय व्यय	–	5000	5000	69
	09 विद्युत व्यय	–	–	–	69
	10 जलकर/जलप्रभार	–	–	–	69
	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	–	4000	4000	69
	12 कार्या... ...करण	–	–	–	69
	13 टेलीफोन व्यय	10000	–	10000	69
	14 ... कारों/मोटर गाड़ियों का कय	–	–	–	69
	...गाड़ियों का अनु0और ...ल आदि काकय	–	–	–	69
15	17किराया,उपशुल्क और कर–स्वामित्व	–	–	–	69
16–	26 मशीनें और सज्जा/उपकरण /सयत्र	–	–	–	69
17–	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	–	–	69
18–	29 अनुरक्षण	–	–	–	69
19–	42 अन्य व्यय	–	–	–	69
20–	44 प्रशिक्षण व्यय	–	–	–	69
21–	45 अवकाश यात्रा व्यय	–	–	–	69
22–	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफट वेयर कय	–	–	–	69
23–	47 कम्प्यूटर अनु0/तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	–	–	–	69
24–	48–महंगाई भत्ता	120000	–	120000	69
	योग:–	500000	9000	509000	69

(रू0 नौ हजार मात्र)

(बी0डी0जोशी)
वित्त नियंत्रक,अभियोजन,
उत्तरांचल,देहरादून।

कमशः 2/–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1– बरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
2– मुख्य अभियोजन अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– कार्यालय प्रति ।

(बी०डी०जोशी)
वित्त नियंत्रक,अभियं
उत्तरांचल,देहरादू

सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल
सं० ... /XX-2005-06/2006 दिनांक अगस्त 8, 2...
1- प्रतिलिपि मुख्य अभियोजन अधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2 मूल प्रतिलिपि गार्ड फाईल।

प्रमुख अधिकारी
कृते सचिव, महाधिवक्ता,
नैनीताल
7/8/06.

8-8-06

संख्या:– 1460 / XX–(1) / 11 / पाई0नि0 / 2006

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 30 जून 2006

विषय उत्तरांचल राज्य के विभिन्न जनपदों में पुलिस थाना/ चौकियों /देखरेख चौकियों की स्थापना पदों का सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–डीजी–दो –52–2005(15) दिनांक 11मार्च 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य के विभिन्न जनपदों में कुल 106 पुलिस चौकियों /देखरेख चौकियों का नियमितीकरण करते हुए संलग्न विवरणानुसार 1148 निम्न अस्थाई पदों के सृजन की दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	उप निरीक्षक ना0 पु0	67	5500–175–9000
2.	हेड कानि0	110	3200–85–4900
3.	कानि0	906	3050–75–3950–80–4590
4.	कानि0 (चालक)	4	3050–75–3950–80–4590
9.	अनुगामी	61	2550–55–2660–60–3200

2– उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2055–पुलिस–00–109–जिला पुलिस –03–जिला पुलिस मुख्य –00की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 748 /XXVII(5)/2006 दि0 28 जून 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

Thana Chouki Nirman- 63

संख्या यथोक्त एवं तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3 पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिरीक्षक,गढ़वाल / कुमाऊँ परिक्षेत्र।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, / पुलिस अधीक्षक उत्तरांचल।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, / कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
8. वित्त अनुभाग–1।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

[illegible] थाना/ चौकियों/ देखरेख चौकियों का नियमितीकरण ,पदों का सृजन

जनपद/परिक्षेत्र का नाम	क्र0 सं0	प्रस्तावित थाना व चौकी	प्रस्तावित जनशक्ति					
			निरी0	उ0नि0	हे0का0	कानि0	का0चा0	अनुगामी
देहरादून	1	थाना नेहरू कालोनी		2	2	14	1	1
	2	रि0पु0 चौकी जोगीवाला		1	1	8		1
	3	रि0पु0 चौकी त्रिवेणीघाट		1	1	14		1
	4	रि0पु0 चौकी जौलीग्राट		1	1	14		1
	5	रि0पु0 चौकी लालतप्पड़		1	1	14		1
	6	रि0पु0 चौकी नया गांव		1	1	14		1
	7	रि0पु0 चौकी सेलाकुई		1	1	14		
	8	रि0पु0 चौकी सभावाला		1	1	14		1
	9	रि0पु0 चौकी नालापानी		1	1	14		1
	10	रि0पु0 चौकी श्यामपुर		1	1	14		1
	11	रि0पु0 चौकी डिफेन्स कालोनी		1	1	14		1
	12	देख–रेख पुलिस चौकी विकास नगर बाजार			1	4		
	13	देख–रेख पुलिस चौकी इन्दिरानगर			1	4		
हरिद्वार	14	थाना बुग्गावाला		2	2	14	1	1
	15	थाना बहादराबाद		2	2	14	1	1
	16	रि0पु0 चौकी नारसन		1	2	14		
	17	रि0पु0 चौकी कोर्ट रोशनाबाद (देख–रेख पुलिस चौकी)		1	1	-		
	18	रि0पु0 चौकी खड़खड़ी		1	1	14		1
	19	रि0पु0 चौकी औद्योगिक क्षेत्र रोशनाबाद		1	1	14		1
	20	रि0पु0 चौकी सुल्तानपुर		1	1	14		1
	21	रि0पु0 चौकी इकबालपुर		1	1	14		1
	22	रि0पु0 चौकी धनौरी		1	1	14		1

25	रि0पु0 [illegible]		1				
26	रि0पु0 चौकी चण्डी घाट		1	1	14		1
27	रि0पु0 चौकी कस्बा लक्सर		1	1	14		
28	रि0पु0 चौकी जगजीतपुर		1	1	14		
29	रि0पु0 चौकी काली नदी		1	1	14		
30	रि0पु0 चौकी कस्बा मंगलौर		1	1	14		1
31	रि0पु0 चौकी रायसी		1	1	14		1
32	रि0पु0 चौकी फेरूपुर		1	1	14		1
33	रि0पु0 चौकी लंढोरा		1	1	14		1
34	रि0पु0 चौकी हरीकी पैड़ी		1	1	14		1
35	रि0पु0 चौकी सोत–ए		1	1	14		1
36	रि0पु0 चौकी सोत–बी		1	1	14		
37	रि0पु0 चौकी मण्डावर		1	1	14		
38	रि0पु0 चौकी भिक्कमपुर		1	1	14		1
39	रि0पु0 चौकी गोर्वधनपुर		1	1	14		
40	रि0पु0 चौकी औद्योगिक क्षेत्र		1	1	14		1
41	रि0पु0 चौकी रेल ज्वालापुर		1	1	14		
42	रि0पु0 चौकी कलियर						
43	देख–रेख चौकी सप्तऋषि	——	-	1	4		

24	रि0पु0 चौकी ईमली खेड़ा, भगवानपुर						
25	रि0पु0 चौकी लखनौता		1	1	14		[illegible]
26	रि0पु0 चौकी चण्डी घाट		1	1	14		[illegible]
27	रि0पु0 चौकी कस्बा लक्सर		1	1	14		1
28	रि0पु0 चौकी जगजीतपुर		1	1	14		1
29	रि0पु0 चौकी काली नदी		1	1	14		1
30	रि0पु0 चौकी कस्बा मंगलौर		1	1	14		1
31	रि0पु0 चौकी रायसी		1	1	14		1
32	रि0पु0 चौकी फेरूपुर		1	1	14		1
33	रि0पु0 चौकी लंढोरा		1	1	14		1
34	रि0पु0 चौकी हरीकी पैड़ी		1	1	14		1
35	रि0पु0 चौकी सोत–ए		1	1	14		1
36	रि0पु0 चौकी सोत–बी		1	1	14		1
37	रि0पु0 चौकी मण्डावर		1	1	14		[illegible]
38	रि0पु0 चौकी भिक्कमपुर		1	1	14		[illegible]
39	रि0पु0 चौकी गोर्वधनपुर		1	1	14		1
40	रि0पु0 चौकी औद्योगिक क्षेत्र		1	1	14		[illegible]
41	रि0पु0 चौकी रेल ज्वालापुर		1	1	14		[illegible]
42	रि0पु0 चौकी कलियर		1	1	14		
43	देख–रेख चौकी सप्तऋषि			1	4		

	44.	देख–रेख चौकी मड़ा मगलौर						
	45	देख–रेख चौकी लिथोप्रेस			1	4		
	46	देख–रेख चौकी बसवाखेड़ा मंगलौर			1	4		
	47	देख–रेख चौकी पुरानी तहसील			1	4		
	48	देख–रेख चौकी रौड़ी बेलवाला			1	4		
	49	देख–रेख चौकी सेक्टर –1 रानीपुर			1	4		
	50	देख–रेख चौकी दक्ष प्रजापति कनखल			1	4		
	51	देख–रेख चौकी जेल रोशनाबाद			1	4		
	52	देख–रेख चौकी गनेशपुर गंगनहर			1	4		
	53	देख–रेख चौकी कोतवाली बाजार			1	4		
	54	देख–रेख चौकी सिविल लाईन रूड़की			1	4		
	55	देख–रेख चौकी सेक्टर –4 रानीपुर			1	4		
	56	देख–रेख चौकी मायापुर			1	4		
	57	देख–रेख चौकी औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद,			1	4		

	59	रि0पु0 चौकी संबदरखाल						
	60	देख–रेख चौकी श्रीनगर			1	4		
	61	देख–रेख चौकी रामझूला			1	4		
	62	देख–रेख पौड़ी बाजार			1	4		
टिहरी गढ़वाल	63	रि0पु0 चौकी ढालवाला		1	1	5		1
	64	रि0पु0 चौकी हिण्डोलाखाल		1	1	8		1
	65	देख–रेख चौकी दुगड्डा			1	4		
	66	देख–रेख चौकी बछेलीखाल			1	4		
	67	देख–रेख चौकी जाजल			1	4		
चमोली	68	रि0पु0चौकी लामबगड़		1	1	8		1
	69	रि0पु0चौकी मारवाड़ी		1	1	8		
	70	रि0पु0चौकी घाघरिया		1	1	8		
	71	रि0पु0चौकी मंडल		1	1	8		1
	72	देख–रेख चौकी जुम्मा			1	4		

	73	देख–रेख चौकी टंगणी			1	4		
	74	देख–रेख चौकी सिमली			1	4		
रूदप्रयाग	75	रि0पु0चौकी केदारनाथ		1	1	8		1
	76	रि0पु0चौकी फाटा		1	1	8		1
	77	देख–रेख चौकी रामबाड़ा			1	4		
उत्तरकाशी	78	रि0पु0चौकी चिन्यालीसौड़		1	1	8		1
	79	रि0पु0चौकी डामटा		1	1	8		1
	80	रि0पु0चौकी नौगांव		1	1	8		1
	81	रि0पु0चौकी डुण्डा		1	1	8		1
	82	रि0पु0चौकी भटवाड़ी		1	1	8		1
	83	देख–रेख चौकी बाजार कोतवाली			1	4		
	84	देख–रेख चौकी गेवला			1	4		
	85	देख–रेख चौकी पुरोला बाजार			1	4		

[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	87	रि0पु0 चौकी चकरपुर (भारत–नेपाल सीमा में प्रस्तावित)		1	1	8		1
	88	देख–रेख चौकी पैगा			1	4		
	89	देख–रेख चौकी आदर्श नगर			1	4		
	90	देख–रेख चौकी चूकापुल			1	4		
	91	देख–रेख चौकी आवास–विकास			1	4		
	92	देख–रेख चौकी टाण्डा उज्जौन			1	4		
	93	देख–रेख चौकी कलकत्ता फार्म			1	4		
	94	देख–रेख चौकी ट्रांजिट कैम्प			1	4		
	95	देख–रेख चौकी सूतमिल			1	4		
	96	देख–रेख चौकी पुल भट्टा			1	4		
	97	देख–रेख चौकी रम्पुरा			1	4		
नैनीताल	98	रि0पु0 चौकी ट्रांसपोर्ट नगर		1	1	8		1

	99	रि0पु0 चौकी गर्जिया		1	1	8		1
चम्पावत	100	देख–रेख चौकी चम्पावत बाजार			1	4		
अल्मोड़ा	101	रि0पु0चौकी मिसकोट		1	1	8		1
	102	रि0पु0चौकी ताकुला		1	1	8		1
	103	रि0पु0चौकी भिकियासैण		1	1	8		1
	104	देख–रेख चौकी लालकुर्ती			1	4		
	105	देख–रेख चौकी एन0टी0डी0			1	4		
पिथौरागढ़	106	रि0पु0 चौकी सिल्थाम		1	1	8		1
				67	110	906	4	61

शीर्ष प्राथमिकता/परम गोपनीय
संख्या 1518 /XX(1)/116/सुरक्षा/2005

प्रेषक,

एस0एस0टोलिया,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 4 जुलाई 2006

विषयः किसी पड़ोसी देश से अकस्मात्/अल्पकाल में बहुत अधिक संख्या में विदेशी नागरिकों/विस्थापितों के आगमन पर निर्धारित प्रकिया (SOP) के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त गोपनीय पत्र संख्या 11014/3/2006 B.M. III दिनांक 12.01.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (प्रति समस्त अनुलग्नकों सहित संलग्न)

भारत सरकार द्वारा अपने उक्त पत्र के साथ विषय वर्णित परिस्थितियों में उत्पन्न होने की दशा में एक Standard Operating Procedure (SOP) तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई है कि संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करके उन्हें अवगत कराया जाए।

उक्त के संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त SOP का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शासन को विस्तृत आख्या अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

(81)

MOST IMMEDIATE
BY SPEED POST

No.11014/3/2006-BM.III
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, 12th January, 2006.

To

The Home Secretary,
Government of Assam (GAUWAHATI),
West Bengal (KOLKATA),
Manipur (IMPHAL),
Tamil Nadu (CHENNAI),
Bihar (PATNA),
Uttar Pradesh (LUCKNOW),
Uttranchal (DEHRADUN).

Sir,

I am directed to refer to append herewith a copy of the SoP (Standard Operating Procedure) for dealing with large scale exodus of people/refugees from any neighbouring country into India over a short period. This was prepared in consultation with concerned Central Ministries/Departments and the State Governments and also has the approval of the Union Home Secretary.

2. State Governments may please see and take necessary action on the points concerning them and furnish a report to this Ministry.

3. This may please be attended to on Priority.

Yours sincerely

(Sushil Kumar)
Under Secretary to the Government of India

DRAFT SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE) FOR DEALING WITH LARGE SCALE EXODUS OF PEOPLE/REFUGEES FROM ANY NEIGHBOURING COUNTRY INTO INDIA OVER A SHORT PERIOD

1. PURPOSE

The purpose of SOP is to develop the crisis management plan/standard operating procedure for dealing with large scale exodus of people from neighbouring countries into India over a short period. The plan should provide for action to be taken by the Ministry of Home Affairs to deal with situation and to coordinate assistance required from other Departments/Ministries/State Governments.

2. SCOPE OF THE SOP

This SOP provides guidelines to deal with the problems arising out of large scale influx of people from Bangladesh, Myanmar, Nepal and Sri Lanka into India due to major earthquakes, cyclone, tornado or major breakdown of law and order or imminent threat thereof.

3. REACTION TO THE SCENARIO OF LARGE SCALE INFLUX OF REFUGEES.

The key to successful response involves proper and timely coordination with all concerned agencies. The following steps are proposed to be taken by Government of India in case of large scale exodus of people from any neighboring country:-

i) The concerned Indian Mission, RAW and Border Guarding Forces should provide sufficient advanced information about the large-scale exodus of people to India.

ii) The Cabinet Committee on Security (CCS) should be apprised of the likelihood of large-scale influx of

people from the neighbouring country and the measures to be taken to deal with the emergent situation.

iii) *There should be timely and prompt information flow at all levels to deal with the situation effectively.*

iv) The Control room of MHA would be informed about the large influx of people by the quickest possible means. The telephone numbers (landline and mobile) of the Control room of MHA should be available with the district administration of all districts situated on the country's International Border as well as with the concerned Divisions in MEA and Indian Missions (through MEA) in concerned Ministries.

v) The Border Guarding Forces will permit the influx of people from neighbouring countries only after getting permission from the Ministry of Home Affairs. They will look after these people for the maximum period of 72 hours. After that, they will be the responsibility of the concerned State Government who will make necessary arrangements for their temporary stay. The total expenditure will be borne by the Central Government.

vi) Joint Secretary (FFR) in MHA shall be the Nodal Officer for dealing with large-scale influx of people from the neighbouring countries. The Nodal Officer will immediately inform the Home Minister, External Affairs Minister, Defence Minister, Home Secretary, Foreign Secretary, Defence Secretary, Secretary (BM) and JS (DM) of the developing situation who would brief the National Crisis Management Committee.

vii) The Nodal Officer shall also coordinate with the Chief Secretary of State Governments, Border Guarding Forces, IB, Indian Missions and the concerned territorial divisions in MEA to assess the type of help and quantum of assistance required for relief and temporary stay of such people.

viii) Each State shall draw up its own crisis management plan/SOP to deal with large-scale influx of people from the neighbouring countries.

4. **RELIEF ASSISTANCE IN CAMPS**

i) The existing infrastructure and open grounds to provide temporary/semi permanent accommodation should be identified by the District Administration. The existing medical facilities, water supply facilities, electricity supply facilities and other civic amenities should also be identified in advance to accommodate the Migrants/Refugees.

ii) A preliminary local inquiry should be conducted by the local police authorities about the antecedents of the refugees and their list maintained.

iii) The refugees should be screened by the Intelligence Bureau, Border Guarding Forces and the local police authorities in detail to segregate the militants, if any who might mingle with the refugees. These agencies should utilize the information, available with them regarding the militants, insurgents and terrorists to ensure that such elements should not enter the country.

iv) The refugees should be kept in quarantine for a limited period before shifting them to camps. The Ministry of Health should decide the quarantine period.

v) The refugees should be vaccinated by the medical team. The medical assistance to the needy refugees should be organized by the District Authorities in the Primary Health Centers and Government Hospitals located nearby.

vi) After screening by the police authorities, the District officials should register the refugees in the admission register after verifying the documents, if available, such as identification card, family card, school record etc. and other details such as name of the refugees, age, occupation, address in their country.

vii) A Control room will be located at each camp. This control room should be equipped with modern communication facilities to enable the people from neighbouring country as well as the officials on duty to communicate effectively. The information about the people should be put on the Internet to enable their acquaintances in neighbouring countries to know about them.

viii) After the registration is over, the refugee families should be photographed to record the identity of each member and paste the photograph in the Identity Card. One copy of the Identity Card should be given to the refugees and another copy should be retained in the office. They should be accommodated in various refugees camps depending on the availability of the accommodation.

ix) Every camp should be provided with boarding & lodging, drinking water facility, medical facility, sanitary facility, electricity etc. Necessary security arrangements should also be made. The scale of ration and other facilities should be as per the existing norms of MHA.

x) Separate camps should be maintained for females and girls. The camp should be properly illuminated with proper bath and Latrines etc.

xi) The refugees should not be allowed to move away from the camps. A proper movement control should be exercised.

xii) The Ministry of External Affairs should take up with the neighbouring country, the issue of repatriation of people to their respective countries at the earliest.

xiii) The people/influx now seek shelter in India may prefer to stay back especially if they are from the minorities or political opposition. The MEA would take up the question of repatriation and pursue it through its Missions in the respective countries. Once the situation returns to normalcy in their respective countries, people should be immediately repatriated to their respective countries through diplomatic channel.

5. **ASSISTANCE FROM OTHER MINISTRIES**

The Nodal Officer shall tie up arrangements with the following Ministries as well as the State Governments to make necessary arrangements: -

(a) **CENTRAL GOVERNMENT**

(i) **MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

To deploy adequate forces to avoid such crisis as breakdown of law and order and to provide specialized teams for first-aid and support to district administration.

(ii) **MINISTRY OF HEALTH**

The Ministry should nominate Nodal Officer who would guide the various agencies with regard to making necessary arrangements to avoid spread of academic and to make necessary medical facilities. It would be expedient if nodal officers are nominated to border areas to deal with such crisis situations.

(iii) **MINISTRY OF DEFENCE**

The Joint Secretary (G)/Director (G) in the Ministry of Defence shall be the Nodal Officer who will coordinate deployment of adequate forces, if required.

(b) **STATE GOVERNMENTS**

i) **POLICE /DISTRICT ADMINISTRATION**

The SP & District Collector of the border district must be informed at the very onset of influx of people from the neighbouring countries.

ii) **HOSPITAL**

Nearest civil PHC hospital be alerted to remain ready for any contingency. It should have all emergency medicines/First Aid etc.

iii) TRANSPORT

Nearest district transport authority should be made responsible for passengers.

iv) SECURITY FORCES

Nearest available Commandant/SP be informed to keep his forces ready for assistance to the Border Guarding Forces. Adequate number of diesel/electric generators should be kept ready for use by the local district administration..

MONITORING THE SITUATION

The Nodal Officer, MHA shall monitor the situation gh MHA Control Room and submit reports to Home tary/Home Minister. The situation report shall also be to the Joint Secretary (Disaster Management) for sing the National Crisis Management Committee.

Director General of the concerned Border Guarding s shall take appropriate action to monitor the large and inform MHA of the situation on the regular basis.

****

उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
21/23 ई0सी0 रोड, देहरादून

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल
उत्तरांचल ।

पत्रांक 1370 /आयोग/2006–07 दिनांक 31/7/200

महोदय,

कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 145, दि0 31.03.1995 तथा शासनादेश सं0 4578/26.3.95–4(256)/94, दि0 17 अक्टूबर, 1995 के अनुसार " अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अनुमन्य " आर्थिक सहायता सम्बन्धी दिग्दर्शिका तथा संविधान की "पांचवी अनुसूची" के "धारा 24" के "भाग 24" में उत्तरांचल में निवासरत अनुसूचित जाति की श्रेणी तथा संविधान की "छठी अनुसूची" के "धारा 25" के "भाग 21" में उत्तरांचल में निवासरत अनुसूचित जनजाति की श्रेणी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

कृपया अपने जनपद में संलग्न दिग्दर्शिका एवं संलग्न जाति सम्बन्धी सूची के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रकरणों में कार्यवाही कर मा0 आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

सचिव
उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अनुमन्य

आर्थिक सहायता सम्बन्धी

कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या

145 दि. 31.03.1995 तथा

शासनादेश सं. 4578/26.3.95-4(256)/94

दि. 17 अक्टूबर, 1995 के अनुसार

दिग्दर्शिका

उत्तरांचल सरकार

उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग

21/23 ई.सी. रोड, देहरादून

द्वारा

जनहित में प्रकाशित

ह विवरण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर गैर ुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा कारित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सम्बन्धी जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 के नियम 12 का उद्धरण

जनपद प्रशासन द्वारा किये जाने वाले उपाय :

(1) जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक उस क्षेत्र या स्थल पर जहाँ अत्याचार कारित किया गया है जीवन की क्षति व सम्पत्ति की हानि को आंकने जायेंगे तथा पीड़ितों, उनके पारिवारिक सदस्यों व आश्रितों की जो अनुतोष के हकदार हैं एक सूची तैयार करेंगे।

(2) पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित [illegible] सूचना रिपोर्ट क्षेत्र से सम्बन्धित पुलिस थाना की पुस्तिका में पंजीकृत हुआ है तथा ऐसे रोक-थाम के उपाय करेगा जैसा वह उचित व आवश्यक समझे।

(3) पुलिस अधीक्षक, स्थल निरीक्षण के पश्चात् एक अन्वेषण अधिकारी की तुरन्त नियुक्ति करेगा एवं क्षेत्र में ऐसे पुलिस बल को अभिनियोजित करेगा तथा ऐसे रोक–थाम के उपाय करेगा जैसा वह उचित व आवश्यक समझे।

(4) जिलाधिकारी या उप खण्डाधिकारी या कोई अन्य शासकीय मजिस्ट्रेट अत्याचार से पीड़ितों, उनके परिवारिक सदस्यों व आश्रितों को तुरन्त नकद या वस्तु में या दोनों में अनुतोष उस मानक के अनुसार जैसा इन नियमों से उपावद (उपाबंध–I सपठित उपाबंध–II) में हो, की व्यवस्था करेगा। ऐसे शीघ्र अनुतोष में भोजन, जल, वस्त्र, शरण, चिकित्सकीय सहायता, यातायात सुविधा एवं अन्य आवश्यक मदद जो मानव जाति के लिए आवश्यक हो, भी शामिल होगा।

(5) अत्याचार से पीड़ितों या उसके (स्त्री / पुरूष के) आश्रित उपधारा (4) के अन्तर्गत मृत्यु या सम्पत्ति की क्षति या हानि के सम्बन्ध में दिया गया अनुतोष तत्समय प्रवृत्त

... दावा करने के किसी अन्य ...र के अलावा होगा।

... उपनियम (6) में उल्लिखित पुनर्वास सुविधा व अनुतोष जिलाधीश या ...खण्डाधिकारी या कोई अन्य शासकीय मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों से उपाबद्ध अनु... में दिये गये मानकानुसार दिया जायेगा।

(7) पीड़ितों को दिये गये पुनर्वास सुविधा व अनुतोष की रिपोर्ट विशिष्ट न्यायालय को ... जिलाधिकारी या उपखण्डाधिकारी या अन्य शासकीय मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रसारित किया जायेगा। यदि विशिष्ट न्यायालय संतुष्ट है कि अन... की अदायगी पीडित या उसके (स्त्री/पुरूष के) आश्रित को समय पर न... की गयी या अ... क्षतिपूर्ति की राशि पर्याप्त नहीं थी या अनुतोष या क्षतिपूर्ति के मात्र एक भाग की अदायगी की गयी, यह अनुतोष के या सहायता की किसी अन्य वस्तु की पूर्ण या आशतः अदा करने के लिए आदेश कर सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत परिभाषित अपराध के ...स्वरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुतोष की निम्नवत राशि सम्बन्धी विवरण ...

उपबन्ध–1

अनुसूची

(नियम 12(4) द्रष्टव्य)

अनुतोष राशि हेतु सन्नियम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत अपराध के नाम	अनुतोष की निम्नवत् राशि
1. अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ ... खाना धारा 3(1)(i)	प्रत्येक पीड़ित को अपराध की प्रकृति व गम्भीरता पर आश्रित होते हुए तथा दरिद्रता अपमान क्षति व मानहानि के अनुरूप 25,000 रुपये का अधिक। अदायगी निम्न प्रकार से की जायेगी।

नेत या क्षुब्ध करना ...)(ii)	(i) 25 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। (ii) 75 प्रतिशत जब अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त दोष सिद्ध किये जाते हैं।
3. अनादर सूचक कार्य धारा 3(1)(iii)	
4. भूमि का विधि विरूद्ध कब्जा या कृषि कार्य आदि धारा 3(1)(iv)	अपराध की प्रकृति व गम्भीरता पर आश्रित होते हुए कम से कम 25,000 रुपये।
5. भूमि परिसर व जल सम्बन्धी धारा 3(1)(v)	भूमि/परिसर/जलापूर्ति प्रत्यावर्तित कर दी जायेगी। जहां आवश्यक हो सरकारी मूल्य की पूर्ण अदायगी की जायेगी जब न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जायेगा।
6 बेगार, बलात् श्रम या बंधुआ मजदूर धारा 3(1)(vi)	प्रत्येक पीडित को कम से कम 25,000रुपये एफ.आई.आर. स्तर पर 25 प्रतिशत तथा अवर न्यायालय में दोषसिद्धि पर 75 प्रतिशत की अदायगी।
7. मताधिकार सम्बन्धी धारा 3(1)(vii)	अपराध की प्रकृति व गम्भीरता का आश्रय लेते हुए 20,000 रुपये से ऊपर।
8. मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियां धारा 3(1)(viii)	25,000 रुपये या वास्तविक खर्चे व क्षति की प्रतिपूर्ति या जो भी अभियुक्त के परीक्षण के निर्णय के पश्चात कम है।
9. मिथ्या व तुच्छ सूचना धारा 3(1)(ix)	अपराध की प्रकृति व गम्भीरता पर आश्रित होते हुए प्रत्येक पीड़ित को 25,000 रुपये तक। 25 प्रतिशत की अदायगी जब आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये तथा बाकी दोष सिद्धि पर।
10. अपमान, अभित्रास व हीनता धारा 3(1)(x)	

सी महिला की लज्जा भंग करना धारा 3(1)(xi)	अपराध के प्रत्येक पीडित को 50,000 रुपये धनराशि का 50 प्रतिशत चिकित्सकीय परीक्षण पश्चात तथा बाकी 50 प्रतिशत परीक्षण के निष्कर्ष पर देय।
12. किसी महिला का लिंगीय शोषण धारा 3(1)(xii)	
13. जल का प्रदूषण धारा 3(1)(xiii)	1,00,000 रुपये तक या सामान्य सुविधा के प्रत्यावर्तन का पूर्ण मूल्य, जिसमें सफाई शामिल है, जबकि जल प्रदूषित है। जनपद प्रशासन द्वारा जो उचित समझा जाये उस स्तर पर अदायगी की जायेगी।
14. रास्ते के रुढिगत अधिकार का अस्वीकार धारा 3(1)(xiv)	1,00,000 रुपये तक या रास्ते के अधिकार के प्रत्यावर्तन का पूर्ण मूल्य एवं सहे गये नुकसान की पूर्ण क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, 50 प्रतिशत की अदायगी, जब न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तथा 50 प्रतिशत अवर न्यायालय में दोषसिद्धि पर।
15. निवास–स्थान को छुडवाना धारा 3(1)(xv)	क्षेत्र/रुकने के अधिकार का प्रत्यावर्तन तथा प्रत्येक पीडित को 25,000 रुपये की क्षतिपूर्ति एवं सरकारी खर्चे पर जीवन का पुनः निर्माण, यदि नष्ट कर दिया गया हो, पूर्णतः देय होगा जब कि अवर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है।
16. मिथ्या साक्ष्य देना धारा 3(2)(i) व (ii)	कम से कम 1,00,000 रुपये या सहे गये नुकसान या क्षति के पूर्ण क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत न्यायालय में आरोप पत्र जब प्रस्तुत किया जाता है तथा 50 प्रतिशत अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर देय होगा।
17. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 18 वर्ष या अधिक	प्रत्येक पीड़ित और या उसके आश्रितों को अपराध की प्रकृति व गम्भीरता का आश्रय लेते हुए कम से कम

..वास से दण्डनीय ..राध कारित करना धारा 3(2)	50,000 रुपये। यह राशि भिन्न होगी यदि विशिष्ट रूप से अनुसूची में अन्यथा उल्लिखित है।
18. लोकसेवक के हाथों उत्पीड़न धारा 3(2)	सहे गये नुकसान, अपहानि या क्षति के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत न्यायालय में आरोपपत्र जब प्रेषित किया जाता है तथा 50 प्रतिशत अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर होगा।
19. अक्षमता/शारीरिक व मानसिक अक्षमता की परिभाषा कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार अधि. सू.स. 4-2-/83-एच.डब्लू. III, दि. 6-8-1986 तथा समय-समय पर संशोधित/अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध II पर है।	
(क) 100 प्रतिशत असमर्थता	
(i) परिवार का गैर कमाई वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000 रुपये का 50 प्रतिशत एफ.आई.आर. पर तथा 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर एवं 25 प्रतिशत अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर।
(ii) कमाई वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,00,000 रुपये का 50 प्रतिशत एफ.आई.आर. चिकित्सकीय परीक्षण स्तर पर, 25 प्रतिशत जब नयायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तथा 25 प्रतिशत अवर न्यायालय में दोषसिद्धि पर देय होगा।
(ख) जहाँ असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	दर जो (क) (i) व (ii) में ऊपर वर्णित है उसी अनुपात में कम कर दिया जायेगा, अदायगी का स्तर भी वही

		होगा। तो भी, परिवार के गैर कमाई वाले सदस्य को 15,000 रुपये से कम नहीं तथा कमायी वाले सदस्य को 30,000 रुपये से कम नही।
20.	हत्या / मृत्यु	
	(क) परिवार का गैर कमायी वाला सदस्य	प्रत्येक मामले मे कम से कम 1,00,000 रुपये। शव परीक्षण के पश्चात 75 प्रतिशत तथा अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर 25 प्रतिशत की अदायगी।
	(ख) परिवार का कमायी वाला सदस्य	कम से कम 2,00,000 रुपये प्रत्येक मामले में। शव परीक्षण के पश्चात 75 प्रतिशत तथा अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर 25 प्रतिशत।
21	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार व गैंग बलात्कार, स्थायी असमर्थता व डकैती।	ऊपरी मदों के अन्तर्गत अनुतोष राशि के अलावा, अत्याचार की तिथि के तीन माहो में निम्नलिखित रूप से अनुतोष की व्यवस्था की जा सकती है। (i) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की प्रत्येक विधवा / या अन्य आश्रितों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेन्शन या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या यदि आवश्यक हो पूर्णतः क्रम द्वारा कृषित भूमि, एक घर की व्यवस्था। (ii) पीड़ितों के बच्चों का भरण–पोषण व शिक्षा का पूरा खर्च। बच्चों को आश्रम, विद्यालयों / आवासीय विद्यालयों में प्रविष्ट कराया जा सकता है। (iii) तीन महीनों के समय के लिए बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, खाद्य दाल वाले बीजों इत्यादि की व्यवस्था।
22.	पूर्णतया विनष्ट / जले घर	सरकारी खर्चे पर ईंट / पत्थर के पक्के मकान, जहां वे विनिष्ट या जला दिये गये हैं, को बनवाये या दिये जायेंगे।

पांचवी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन

(अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में, –

(क) पैरा 2 में, " 23 " अंकों के स्थान पर " 24 " अंक रखे जाएंगें ,
(ख) अनुसूची में, भाग 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

" भाग 24 – उत्तरांचल "

अगरिया
बधिक
बादी
बहेलिया
बैगा
बैसवार
बजनिया
बाजगी
बलहर
10. बलाई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुष
14. बांसफोड़
15. बरवार
16. बसोर
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भंतू
21. भूईया
22. भुइयार
23. बोरिया
24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव
25. चेरो
26. दबगर
27. धांगड़
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी

33. दुसाध
34. धरमी
35. धारिया
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हबूड़ा
39. हरी
40. हेला
41. कलाबाज
42. कंजड़
43. कपड़िया
44. करवल
45. खरैता
46. खरवार (बनवासी को छोड़कर)
47. खटीक
48. खरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. लालबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. परहिया
59. पासी, तरमाली
60. पतरी
61. सहरिया
62. सनोरिया
63. सांसिया
64. शिल्पकार
65. तुरैहा । "।

छठी अनुसूची

(धारा 25 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में, –

(1) पैरा 2 में, " 20 " अंकों के स्थान पर " 21 "

(2) अनुसूची में, भाग 20 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

" भाग 21 – उत्तरांचल "

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जौनसारी
4. राजी
5. थारू । "।

अभियोजन निदेशालय,
से मुख्यालय भवन,12 सुभाष मार्ग,
उत्तरांचल,देहरादून।

पत्रांक: अभि0नि0/अनु0–दो/37/ 407   दिनांक 8 अगस्त,2006

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

विषय– बजट आवंटन ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक 2055 पुलिस प्रशासन, 800 अन्य व्यय,03 अभियोजन अधिष्ठान–आयोजनेत्तर, के अन्तर्गत शासन के आदेश सं0 519/XX(05) 06–07अभि0/बजट/06 दिनांक 2–5–2006तथा शासनादेश सं0559/XX(05)06–07अभि0/बजट/06 दिनांक 22–5–2006 के कम में स्वीकृत बजट को निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है ।

क0सं0	मद का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग	बजट [illegible] में प्रविष्टि का कमांक
1–	01 वेतन	240000	–	240000	69
2–	03 महंगाई भत्ता	100000	–	100000	69
3–	04 यात्रा भत्ता	–	–	–	69
4–	05 स्थाना0यात्रा भत्ता	–	–	–	69
5–	06 अन्य भत्ता	30000	–	30000	69
6–	07 मानदेय	–	–	–	69
7–	08 कार्यालय व्यय	[illegible]	–	5000	69
8–	09 विद्युत व्यय	–	–	–	69
9–	10 जलकर/जलप्रभार	–	–	–	69
10–	11 लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	[illegible]	–	4000	69
11–	12 कार्या0फर्नीचर एवं उपकरण	–	4000	4000	69
12–	13 टेलीफोन व्यय	10000	–	10000	69
13–	14 स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का कय	–	–	–	69
14–	15गाडियों का अनु0और पेट्रोल आदि काकय	–	–	–	69
15–	17किराया,उपशुल्क और कर–स्वामित्व	–	–	–	69
16–	26 मशीनें और सज्जा/उपकरण /सयत्र	–	–	–	69
17–	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	–	–	69
18–	29 अनुरक्षण	–	–	–	69
19–	42 अन्य व्यय	–	–	–	69
20–	44 प्रशिक्षण व्यय	–	–	–	69
21–	45 अवकाश यात्रा व्यय	–	–	–	69
22–	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर कय	–	–	–	69
23–	47 कम्प्यूटर अनु0/तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	–	–	–	69
24–	48–महंगाई भत्ता	120000	–	120000	69
	योग:–	509000	4000	513000	69

(रू0 चार हजार मात्र)

(बी0डी0जोशी)
वित्त नियंत्रक,अभियोजन,
उत्तरांचल,देहरादून।

कमशः 2/–

–2–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1– बरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
2– मुख्य अभियोजन अधिकारी मा0उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– कार्यालय प्रति ।

(बी0डी0जोशी)
वित्त नियंत्रक,अभियोजन,
उत्तरांचल,देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल
सं० 766/XX-न्याय स०/2006, दिनांक : सितम्बर, 20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– मुख्य अभियोजन अधिकारी मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल
2– मूल प्रति गार्ड फाईल

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी नैनीताल
8/9/06

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग
संख्या–1831/XX(1)/243/ ...II/2002
देहरादून:दिनांक: 11 अ...

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

एतद्द्वारा एम0बी0ए0डिग्री ... हल्द्वानी के ... विद्यार्थियों द्वारा आत्मदाह किये जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच हेतु गठित समिति में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 ... 200... द्वारा श्री ... रतूड़ी, पुलिस महानिरीक्षक, कुमांयू परिक्षेत्र के स्थान पर पुलिस महानिरीक्षक, कुमांयू परिक्षेत्र को ~~सदस्य~~ प्रतिनिधि नामित किया जाता है।

भवदीय

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1-- प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री,उत्तरांचल।
2-- आयुक्त, कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
3-- पुलिस महानिरीक्षक, कुमांयू परिक्षेत्र, नैनीताल।
4-- क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, हल्द्वानी ।
5-- सचिव, शिक्षा,उत्तरांचल शासन।
6-- जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल।

आज्ञा से,
11/9/...
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या–504/XX(3)–32/CBI/CBCID/2006

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

1–पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल, देहरादून।
2–समस्त जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक: 24 अगस्त, 2006

विषय:– राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को विवेचनाएं स्थानान्तरित करते समय प्रस्तुत सुझाव/प्रस्तावों के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री ब्रह्म दत्त, अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के अ. शा. पत्र संख्या–228/23/2006 ADV.II दिनांक 02 अगस्त 2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छाया प्रति संलग्न)

उक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली को स्थानान्तरित की जानी वाली विवेचनाओं के प्रस्ताव/सुझाव कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारुप एवं निर्देशानुसार ही शासन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,
24/8/06
(मंजुल कुमार जोशी)

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री ब्रह्म दत्त, अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके अ. शा. पत्र संख्या–228/23/2006-ADV.II दिनांक 02 अगस्त 2006 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
24/8/06
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

दिनांक 11/8/2006

Brahm Dutt
अपर सचिव
Additional Secretary
Tele : 23093668
Fax : 23094001

भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
NORTH BLOCK, NEW DLEHI-110001

D.O. No. 228/23/2006-AVD.II

Dated: August 2, 2006

Sub: - References made by the State Government for CBI inquiry/Investigation

*****

Dear Shri Ramachandran,

As per the provisions of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946, consent of the concerned State Government is required to enable the Central Government to extend the powers and jurisdiction of Special Police Establishment to that State under Section 5 of DSPE Act, 1946.

2. It has been observed that while forwarding matters for CBI investigation, State Governments usually send a copy of notification issued under Section 6 of DSPE Act, 1946, without giving relevant details of the case. This often results in delay in transferring the case to the Central Bureau of Investigation for Investigation.

3. In order to enable this Department to examine the feasibility of undertaking investigation by the CBI and to avoid delay in processing the case, it is suggested that the State Government should send a self-contained note along with the notification under Section 6 of the DSPE Act, 1946. A proforma for the self-contained note is enclosed.

4. The State Governments are further requested that when a case has been referred to CBI, pending the decision of the Central Government, the investigation by the local State Police must continue and should not be stopped or delayed in anticipation of the case being taken over by CBI for investigation. It may also be mentioned that CBI generally takes up a case in which an FIR has already been registered by the local Police. In addition, CBI may also take up an enquiry and register a Preliminary Enquiry in special circumstances. However, there is no provision to make an informal enquiry into any matter.

5. It is requested that the guidelines contained in this letter may please be followed by the State Governments while referring cases to the Central Government for investigation by the CBI.

With kind regards,

सं. 477 /प्र.स.गृह/200
दिनांक 18/8/200
प्र. सचिव गृह

Yours sincerely,

(Brahm Dutt)

Shri M. Ramachandran,
Chief Secretary,
Government of Uttaranchal,
Dehradun.

10.8.2006
मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन
अ० सचिव, गृह (CM)

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव-गृह
उत्तरांचल शासन
11/8/06

Proforma for making reference to Central Government
for CBI inquiry/investigation – 71 -

1.	Brief facts of the case to be investigated. (Details as regards the crime – what, how, when, where and by whom may invariably be indicated)	
2.	Copy of the FIR (if a case has already been registered by the local police) If FIR is in local language, the English translation may be provided.	
3.	Result of investigation done by the local police, including details of seizures/arrest made and the present status of the arrested accused i.e. whether on bail or in custody.	
4.	Details of court case, if any, filed in the matter.	
5.	Justification for referring the matter to CBI including inter-state or transnational ramifications.	
6.	Reasons regarding local/ State Police not being in a position to investigate the matter.	
7.	Whether the State Government will be ready to place resources-manpower and logistic support including camp office and vehicles at the disposal of CBI, in case required, in connection with the investigation of the case.	

दिनांक 09--1--2007 को गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी 2007) मनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यकमों की रूप--रेखा तैयार किये जाने हेतु सांय काल 3:00 बजे से जिला कार्यालय के सभागार कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही ।

-----000-----

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी 2007) मनाये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यकमों की रूप--रेखा निर्धारित की गई :--

1-- प्रभात फेरी :---

नैनीताल :-- प्रातः 08:00 बजे रामलीला स्टेज मल्लीताल से प्रारम्भ होकर 09:00 बजे प्रातः गॉधी चौक तल्लीताल मे विसर्जित होगी। प्रभात फेरी मे समस्त नागरिको के द्वारा भाग लिया जायेगा तथा नैनीताल में स्थित सभी कार्यालय के समस्त अधिकारी /कर्मचारी इस प्रभात फेरी में अनिवार्य रूप से भाग लेंगें।

संयोजकः--- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् नैनीताल/परगनाधिकारी, नैनीताल/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल/नगर शिक्षा अधिकारी नैनीताल/श्री दुर्गादत्त रूवाली/श्री प्रताप गैया/श्री देब सिंह मेर/श्री किशन लाल साह/श्री सूरज कर्नाटक/श्री मौ0 युसून/श्री ललित साह/श्री गिरीश चन्द्र जोशी/प्रबन्धक, गॉधी आश्रम,, तल्लीताल/मल्लीतल/ /अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, नैनीताल/शारदा संघ, नैनीताल/आर्य समाज, नैनीताल/युगमंच, राष्ट्रीय लोक मंच, आचार्य नरेन्द्र देव शिक्षा संस्थान/श्री सतोष कुमार साह, एम0बी0ए0 क्लब, नैनीताल।

भीमतालः-- भीमताल में प्रभात फेरी प्रातः 08:00 बजे से होगी। इसमें स्वतंत्रता सेनानियो, सम्भ्रान्त नागरिको तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र--छात्राओं द्वारा भाग लिया जायेगा।

संयोजकः-- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत,भीमताल।

हल्द्वानीः--_हल्द्वानी मे प्रभात फेरी 06:30 बजे प्रभात फेरी रामलीला ग्राउन्ड से प्रारम्भ होकर मुख्य मार्ग होते हुए शहीद चौक में समापत होगी। इसमे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सम्भ्रान्त नागरिकों तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र--छात्राओं द्वारा भाग लिया जायेगा।

संयोजकः-- अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, हल्द्वानी/अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल/परगनाधिकारी, हल्द्वानी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी

धारी, कौश्या कुटौली ,रामनगर, कालॉढुगी, बेतालघाट एवं लालकुऑ क्षेत्रों में सम्बन्धित परगनाधिकारी उपरोक्तानुसार अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यकम सुनिश्चित करेंगें।

2-- ध्वजारोहणः-- प्रातः 09:30 बजे_सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण किया जायेगा एवं संकल्प का स्मरण तथा राष्ट्रगान किया जायेगा। प्रत्येक नागरिक भी अपने--अपने घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज का मर्यादानुसार प्रयोग कर सकते हैं। मल्लीताल में ध्वजारोहण रामसेवक सभा में व्यापार मण्डल एवं नागरिको द्वारा तथा तल्लीताल में गॉधी चौक में नगर के सम्भ्रान्त नागरिको द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।

संकल्प

हम भारत के लोग अपने देश की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाये रखने के लिये तथा उसके नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिये तथा उन सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता का दृढ संकल्प लेते हैं।

3-- माल्यार्पण-- तल्लीताल स्थित गॉधी चौक में गॉधी जी की मूर्ति तथा मल्लीताल स्थित पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी की मूर्ति में माल्यार्पण का कार्यकम प्रातः 10:35 बजे किया जायेगा। इस सम्बन्ध मे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद , नैनीताल माल्यार्पण हेतु मालाओं एवं सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मोहन लाल साह बालिका विद्या मन्दिर मे स्थित श्री मोहन लाल साह जी की मूर्ति पर सफाई एवं माल्यार्पण की व्यवस्था प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, मोहन लाल साह बालिका विद्या मन्दिर, मल्लीताल, नैनीताल द्वारा की जायेगी।

संयोजक:— अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल / प्रधानाचार्य / प्रबन्धक, मोहन लाल साह, बालिका विद्या मन्दिर, मल्लीताल, नैनीताल

4— <u>पुलिस परेड:—</u>

नैनीताल में मल्लीताल फ्लेट में प्रातः काल 11:00 बजे से पुलिस परेड प्रारम्भ होकर 12:30 बजे समाप्त होगी। इस अवसर पर ध्वजारोहण हेतु मुख्य अतिथि के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल सभी को अलग से सूचित करेंगें। निदेशक, सौंग एण्ड ड्रामा, नैनीताल परेड के साथ एक दो प्रोग्राम दिये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / सी0ओ0 सिटी, नैनीताल से सम्पर्क कर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगें

<u>संयोजक:—</u> पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल / क्षेत्राधिकारी, पुलिस, नैनीताल / निदेशक, सौग एण्ड ड्रामा / अवैतनिक सचिव, डी0एस0एस, नैनीताल

हल्द्वानी:— 'हल्द्वानी में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की छात्र / छात्राओं / एन0सी0सी0 / कैडेटो तथा अन्य सांस्कृतिक दलों द्वारा रूट मार्च किया जायेगा और इस कार्यक्रम को भी भव्य रूप दिया जायेगा। परगनाधिकारी हल्द्वानी / रामनगर अपने–अपने परगने में सुविधानुसार उक्तानुसार कार्यक्रम सुनिश्चित करेगें और यदि उचित समझें तो इस सम्बन्ध में अलग से एक बैठक कर लेंगें।

इस प्रकार धारी / कौश्यॉ कुटौली मे भी सम्बन्धित परगनाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत, रूटमार्च एवं अन्य कार्यक्रम करायेंगें और इसे भव्य रूप देंगें।

<u>संयोजक:—</u> परगनाधिकारी, हल्द्वानी / सह जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल / अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक ,नैनीताल / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी / क्षेत्रीय कीडा अधिकारी, हल्द्वानी / परगनाधिकारी,धारी / कौश्या कुटौली / रामनगर।

5— <u>शिक्षण संस्थाओं में खेद–कूद:—</u> पूर्व की भॉति इस वर्ष भी जिन शिक्षण संस्थाओं में शीतकालीन अवकाश नहीं हैं, खेलकूदों का आयोजन परम्परागत ढंग से सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके साथ ही विशेष कार्यकमों का आयोजन भी कराया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल दिनांक 25–1–2007 को नैनीताल बोट हाऊस क्लब के मैदान में पैंटिग प्रतियोगिता का आयोजन प्रातः 11:00 बजे से करवाना सुनिश्चित करेंगें तथा पुरूष्कार आदि की व्यवस्था कोआपरेटिव बैंक, नैनीताल द्वारा की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल इसे सुनिश्चित करायेंगें और कोआपरेटिव बैक, नैनीताल से भी सम्पर्क करेंगें।

<u>संयोजक:—</u> जिला शिक्षा अधिकारी / प्रबन्धक, कोआपरेटिव बैंक,

6— प्रातः 09:00 बजे हल्द्वानी स्टेडियम से मैराथन रेस प्रारम्भ होगी, जो [illegible] रोड [illegible] होते हुए पुनः स्टेडियम मे वापस आकर समापत होगी। परगनाधिकारी, हल्द्वानी एवं क्षेत्रीय कीडा अधिकारी, हल्द्वानी इस रेस का संचालन करेंगे। पुलिस अधीक्षक, नगर हल्द्वानी उक्त अवधि में यातायात नियंत्रित किये जाने हेतु समुचित पुलिस व्यवस्था करेंगें, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

संयोजक:— परगनाधिकारी, हल्द्वानी / क्षेत्रीय कीडाअधिकारी, हल्द्वानी / पुलिस अधीक्षक, नगर, हल्द्वानी ।

हल्द्वानी:— अपरान्ह 02:30 बजे के कार्यक्रमों का आयोजन परगनाधिकारी / तहसीलदार, / अधिशासी अधिकारी , हल्द्वानी अपने स्तर से कार्यक्रम सुनिश्चित करायेंगें।

संयोजकः— परगना मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी / तहसीलदार, हल्द्वानी / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, परिषद, हल्द्वानी / संस्थापक ग्रीन सीटी, हल्द्वानी।

— जिला कारागार, नैनीताल एवं उप कारागार, हल्द्वानी में कार्यक्रमः—

प्रातः काल 11:00बजे जिला कारागार, नैनीताल एव उप कारागार, हल्द्वानी में राष्ट्रीय पर्व में प्रासंगिकता के आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विचार गोष्टी से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें तथा नारी निकेतन हल्द्वानी, कुष्ठ आश्रम, मोतीबाग, हल्द्वानी ,कुष्ठ आश्रम, रामनगर में भी कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों में सी0डी0एस0 के सदस्यों को भी भागीदार बनाया जाय।

संयोजकः— नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी / परगना मजिस्ट्रेट, रामनगर / अधीक्षक / जेलर, उप कारागार, हल्द्वानी / अधीक्षक / जेलर, जिला कारागार, नैनीताल / व्यवस्थापक, नारी निकेतन, हल्द्वानी / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल ।

इसके अतिरिक्त मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुये लोगों को प्रेरणा दी जाय कि देश और समाज का *निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता हैं, घृणा से नही, मेल जोल से होता हैं, बैर—भाव से नही, एक —दूसरे के धर्म का आदर* करने से होता है, अनादकर करने से नही।

बढते प्रदूषण तथा जनसंख्या के विस्फोट ने हमारी विकास यात्रा को बहुत दुष्प्रभावित किया हैं, सुखी भविष्य के लिये सीमित परिवार तथा स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता को रेखांकित किया जॉय।

जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा अधीक्षक, नगर, हल्द्वानरी एवं समस्त परगनाधिकारी, जनपद में शहर के अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों में भी राष्ट्रीय पर्व गणतन्त्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यकमों का आयोजन करायेंगें।

उकत के अतिरिक्त समस्त शासकीय कार्यालयों एवं निजी भवनों में बिजली की मालाओं द्वारा प्रकाश व्यवस्था किये जाने की अपील भी की गई । तथा सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत,जनपद— नैनीताल गणतंत्र दिवस पर दो दिन पूर्व सफाई अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगें।तथा गणतंत्र दिवस पर शराब की दुकाने बन्द रहेगी, जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल कृपया इसे सुनिश्चित करायेंगें ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(भूपिन्दर कौर)
जिलाधिकारी, नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

संख्या— 51 / स0न्याय0स0 / 2007 / दिनांक 17 जनवरी, 2007,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया कार्यकमों की रूपरेखा के अनुसार समस्त कार्यकम आयोजित करने का कष्ट करें :—

1— समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, जनपद नैनीताल ।
2— समस्त महानुभाव / संयोजकगण उपरोक्त ।
3— मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल ।
4— समस्त परगनाधिकारी / तहसीलदार जनपद नैनीताल ।
5— जिला शिक्षा अधिकारी / अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, नैनीताल।
6— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद नैनीताल ।
7— जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा को स्थानीय समाचार—पत्रों मे निःशुल्क व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
8— आशुलिपिक, जिलाधिकारी, नैनीताल।

18—1—07

(भूपिन्दर कौर)
जिलाधिकारी नैनीताल ।

संख्या : 54–एक(1)/XXXVI(1)/2006–6–एक(2)/06

ADM/OC/JA

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आ...,
सचिव, न्याय एवं वि... परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 25 अगस्त, 2006

विषय : प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्ठी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस क्रम में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 21 मार्च 2002, दिनांक 06.12.2005 एवं दिनांक 07.2.2006 को पारित आदेश के संदर्भ में उत्तरांचल राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधायें प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 44–एक(1)/XXXVI(1)/2006–6–एक(2)/06 दिनांकित 15 अप्रैल, 2006 के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की जिज्ञासा की गई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न स्थिति पर निम्नानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्गत स्पष्टीकरण को तद्नुसार पढ़ा जाय :–

पूर्व प्राविधान	स्पष्टीकरण
1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता	1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता
(1) प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।	(1) प्रत्येक जिला जज, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
(2) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 1 पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।	(2) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 1 पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।
(3) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल	(3) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल

क्रमशः

देय होगा, जिसके प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी :–

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर ।	75
शेष जिले	50

नोटः– जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तद्नुसार ही किया जायेगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

2. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी	मासिक भत्ता (रूपये में)
1.	जिला जज/अपर जिला जज	1000
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	750
3.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	500

देय होगा, जिसके प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी :–

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर ।	75
शेष जिले	50

नोटः– जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तद्नुसार ही किया जायेगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

स्पष्टीकरण :

"प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक" का तात्पर्य पेट्रोल/डीजल के क्रय रसीद से है ।

2. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी	मासिक भत्ता (रूपये में)
1.	जिला जज/अपर जिला जज	1000
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	750
3.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	500

क्रमशः

3. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रू0 5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

4. समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

5. दूरभाष सुविधा

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस.टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी :—

क0 सं0	अधिकारी की श्रेणी	2 माह के लिये निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1.	जिला जज/सत्र न्यायाधीश	3000	2000
2.	अतिरिक्त जिला जज/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	2000	1000

3. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रू0 5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 1.11.1999 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

4 समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

5. दूरभाष सुविधा

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस.टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी :—

क0 सं0	अधिकारी की श्रेणी	2 माह के लिये निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1.	जिला जज/सत्र न्यायाधीश	3000	2000
2.	अतिरिक्त जिला जज/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	2000	1000

क्रमशः

3.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट	2000	0
4.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	1500	750

<u>6. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति</u>

न्यायिक अधिकारियों को बिजली एवं पानी के बिलों की धनराशि का आधा भुगतान न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 202–एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में देय होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों के आवासों के बिजली तथा पानी के बीजक की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात न्यायिक अधिकारी को जैसे ही बिजली व पानी का बीजक प्राप्त हो, वह उसका भुगतान करेगा और भुगतान के उपरान्त बीजक और भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर उसकी आधी धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा कर दी जायेगी।

7. <u>आवास/मकान किराया भत्ता</u>

न्यायिक अधिकारियों को निःशुल्क आवास शासनादेश संख्या 202–एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों को शासकीय आवास आबंटित होने की स्थिति में उन्हें शासकीय आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात उनसे शासकीय आवास के साथ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आवास प्रदान किए जाने पर मकान किरागा भत्ता देय नहीं होगा।

3.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट	2000	1000
4.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	1500	750

<u>6. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति</u>

न्यायिक अधिकारियों को बिजली एवं पानी के बिलों की धनराशि का आधा भुगतान न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 202–एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में देय होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों के आवासों के बिजली तथा पानी के बीजक की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात न्यायिक अधिकारी को जैसे ही बिजली व पानी का बीजक प्राप्त हो, वह उसका भुगतान करेगा और भुगतान के उपरान्त बीजक और भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर उसकी आधी धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा कर दी जायेगी।

7. <u>आवास/मकान किराया भत्ता</u>

न्यायिक अधिकारियों को निःशुल्क आवास शासनादेश संख्या 202–एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों को शासकीय आवास आबंटित होने की स्थिति में उन्हें शासकीय आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात उनसे शासकीय आवास के साथ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आवास प्रदान किए जाने पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

क्रमशः

'जिन न्यायिक अधिकारीगण को उनके आवेदन के उपरान्त भी सरकारी आवास उनकी प्रास्थिति के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे अपनी प्रास्थिति के अनुरूप आवास किराये पर लेने के लिए अधिकृत होगें एवं सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा औचित्य प्रमाण पत्र निर्गत करने पर न्यायिक अधिकारी किराये की रसीद उपलब्ध कराकर प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगें।

जिन न्यायिक अधिकारीगण को उनके आवेदन करने पर उनकी प्रास्थिति (Status), जो शासनादेश संख्या 1257/दो-4-451(2)/91 टी0सी0, दिनांक 09 जून, 1995 से निर्धारित है, के अनुसार सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें निजी आवास में रहने पर भी उत्तरांचल शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आवास किराया भत्ता देय होगा।"

8. <u>अतिरिक्त प्रभार भत्ता</u>

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिये दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

8. <u>अतिरिक्त प्रभार भत्ता</u>

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे पद का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिये दिया जाता है तथा इस अवधि में उस अधिकारी को अतिरिक्त पद के कार्य का निष्पादन करना पड़ता है, तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

9. <u>अवकाश नकदीकरण</u>

न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नकदीकरण लेने की सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश लेने के लिये अधिकारी को बाध्य नही किया

9. <u>अवकाश नकदीकरण</u>

न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नकदीकरण लेने की सुविधा अनुमन्य होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 2 वर्ष की अवधि 1.11.1999 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

क्रमशः

ोगा। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 2 वर्ष की अवधि मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

I. <u>अवकाश यात्रा सुविधा</u>

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की वधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध ोगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने लिये 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी था सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा ा उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक धिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने ह जनपद के लिये अवकाश यात्रा सुविधा नुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिये थम 4 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ ानी जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु ल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की न्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

जिन वर्षों की अवधि हेतु अवकाश नकदीकरण देय होगा, उस अवधि में सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी के खाते में अर्जित अवकाश की गणना अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में की जायेगी, अर्थात शासनादेश निर्गत होने के पूर्व के उक्त अवधि के अर्जित अवकाश को अवकाश नकदीकरण की गणना के सम्बन्ध में लैप्स हुआ नहीं समझा जायेगा।

"अवकाश नकदीकरण" के "कर मुक्त" भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गई है, परन्तु कर मुक्त करना केन्द्र सरकार का विषय है । अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में केन्द्र सरकार को ऐसे न्यायिक अधिकारीगण के सेवा काल में देय अवकाश नकदीकरण पर कर मुक्त करने हेतु सन्दर्भ प्रेषित किया जा चुका है ।

10. <u>अवकाश यात्रा सुविधा</u>

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा भारत में किसी स्थान तक आने–जाने के लिए उपलब्ध रहेगी । अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिये 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने गृह जनपद के लिये अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा की अवधि 1.11.1999 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्रमशः

	अवकाश यात्रा सुविधा लेते समय अर्जित अवकाश लेने के लिए न्यायिक अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि जितनी अवधि अवकाश यात्रा में आवश्यक हो ले सकेंगे एवं उतनी अवधि का ही अर्जित अवकाश कुल अवशेष अर्जित अवकाश से घटाया जायेगा ।
11. <u>एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान</u> न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहाई के बराबर धनराशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।	11. <u>एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान</u> न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहाई के बराबर धनराशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।
12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति / चिकित्सा भत्ता न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजन को सरकारी अस्पतालों / औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों / औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों / आदेशों के अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रू0 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।	12. चिकित्सा सुविधा / चिकित्सा भत्ता न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजन को सरकारी अस्पतालों / औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों / औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा राज्य के विधान सभा के सदस्य को देय सुविधा, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम 1980 की धारा 18–ए एवं उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अनुसार समय–समय पर देय है, अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रू0 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

क्रमशः

	चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा भत्ता कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण के साथ-साथ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को भी अनुमन्य होगा ।
पूर्व में प्राविधान नहीं ।	13. <u>भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/मोटर वाहन क्रय/कम्प्यूटर क्रय के लिए अग्रिम</u> :- न्यायिक अधिकारीगण को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत के लिए अग्रिम राशि की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या : 537/वि.अनु.-1/2004 दिनांकित 16 जुलाई, 2004 एवं मोपेड/ओटो साईकिल/मोटर-साईकिल/स्कूटर/मोटर कार अग्रिम की धनराशि की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या : 538/वि.अनु.-1/2004 दिनांकित 16 जुलाई, 2004 तथा कम्प्यूटर क्रय के लिए अग्रिम की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या : 538ए/वि.अनु.-1/2004 दिनांकित 16 जुलाई 2004 द्वारा अनुमन्य होगी।
पूर्व में प्राविधान नहीं ।	14. <u>विशेष वेतन</u> :- उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार, न्यायालय समय के पश्चात, प्रशासनिक कार्य करने वाले, न्यायिक सेवा के सदस्यों को विशेष वेतन देय होगा।
पूर्व में प्राविधान नहीं ।	15. <u>पर्वतीय भत्ता</u> :- न्यायिक अधिकारीगण को पर्वतीय भत्ता समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा ।
पूर्व में प्राविधान नहीं ।	16. <u>गृह सहायक भत्ता</u> :- न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को गृहकार्य के सम्बन्ध में रू0 1250/- मात्र प्रतिमाह गृहकार्य सहायक भत्ता के रूप में देय होगा।

क्रमशः

2— उपर्युक्त आदेश दिनांक 21 मार्च, 2002 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिये इन भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिये यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।	2— उपर्युक्त आदेश दिनांक 1.11.1999 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिये इन भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिये यथास्थिति, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

2— शासनादेश के प्रत्येक प्रस्तर में जहाँ-जहाँ न्यायिक अधिकारी, जिला जज, सत्र न्यायाधीश, अपर जिला जज, अतिरिक्त जिला जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिविल जज(सि0डि0), चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज(जू0डि0) एवं मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ उनके सन्दर्भ में समकक्ष अधिकारी भी पढ़ा जायेगा अर्थात जो न्यायिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा जो प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति के दौरान शासनादेश में उपलब्ध सुविधायें तदनुसार अनुमन्य होंगी ।

3— शासनादेश संख्या 44—एक(1)/XXXVI (1)/2006—6—एक(2)/06 दिनांकित 15 अप्रैल, 2006 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय ।

4— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 504/XXVI(5)/2006, दिनांक 25.8.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव न्याय एवं विधि परामशी।

<u>संख्या : 54—एक(1)(I)/XXXVI(1)/2006—6—एक(2)/06, तद्दिनांक.</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
2— विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री।
3— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के निजी सचिव।
4— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
5— निदेशक, कोषागार निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
6— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल,, माजरा, देहरादून।
7— समस्त जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8— समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
9— वित्त अनुभाग—5/कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
10— एन.आई.सी/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव, न्याय।

संख्याः 08–नो–(एल.) / xxxvi(1) / 2006 / 924(48) / 92

प्राप्ति का दिनांक 29 AUG

2005-06

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1ः देहरादून : दिनांक : 25 अगस्त, 2006

विषयः श्री यशवन्त सिंह, नोटरी पब्लिक, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के नोटरी प्रमाण पत्र के नवीनीकरण विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–170 / xiv–1–2006, दिनांक 30–05–06 जो श्री यशवन्त सिंह, नोटरी पब्लिक, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के प्रार्थना–पत्र नोटरी प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण हेतु अग्रसारित किये गये हैं का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सिंह, नोटरी पब्लिक, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल का नोटरी प्रमाण–पत्र दिनांक 20.06.2006 से अग्रिम पांच वर्षो के लिए नवीनीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है । तदानुसार नवीनीकृत नोटरी प्रमाण–पत्र सम्बन्धित नोटरीज को हस्तगत किये जाने के लिए संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं । कृपया प्राप्ति की सूचना भेजने का कष्ट करें ।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)
सचिव ।

संख्याः–08–नो–(एल) / xxxvi(I) / 2006–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिलाधिकारी, नैनीताल ।
2– सम्बन्धित नोटरी ।
3– एन.आई.सी. / गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

Seen / Dif.

रजिस्ट्रेशन नम्बरः— 72(01)/2001

"प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र"

श्री यशवंत सिंह, जिन्होंने अपना सामान्य वृत्तिका पता—एडवोकेट, 6—891 आनन्द बाग, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तरांचल घोषित किया है, को नोटरी ऐक्ट, 1952 (ऐक्ट संख्या—53, 1952) और तद्धीन बनाये गये नोटरीज रूल्स, 1956 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दिनांक 20.06.2006 से पांच वर्ष की अग्रेत्तर अवधि के लिए जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।

यह दिनांक .08.06 को मेरे द्वारा तथा उत्तरांचल सरकार की मोहर लगा कर दिया गया ।

विभाग A.D.M./06/FA

— 86 —

पत्र सं० 6669
दिनांक 7/9/06

संख्या: 2016 / XX-1 / 03 / इ0का गठन / 2005

AD m / 06

जिलाधिकारी नैनीताल।

एस0एस0 टोलिया,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक,
पुलिस मुख्यालय उत्तरांचल,
देहरादून।

गृह अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 30 अगस्त 2006

विषयः अभिसूचना /सुरक्षा मुख्यालय,उत्तरांचल हेतु विभिन्न पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःइण्ट–नियतन–48/204 दिनांक 18 जनवरी, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल पुलिस अभिसूचना /सुरक्षा जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित होगा , हेतु पूर्व से स्वीकृत् 708 पदों, शासनादेश संख्या 327/ XX-1/ 57/अग्नि0 चौकियाँ /2005 दिनांक 22 फरवरी 2004 द्वारा स्वीकृत् 75 पदों , महामहिम राज्यपाल राजभवन नैनीताल, मा0 मुख्यमन्त्री, माननीय उच्च न्यायालय, विधान सभा सुरक्षा सचिवालय सुरक्षा तथा उत्तरांचल निवास की सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न सुरक्षा कर्मियों की कुल 140 पदों के अतिरिक्त अभिसूचना/सुरक्षा मुख्यालय हेतु 86 पदों तथा अभिसूचना/सुरक्षा की जनपद इकाईयों हेतु 132 पद, इस प्रकार कुल 218 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 1141 पदों एवं भारतीय सेवा संवर्ग के काडर रिव्यू में स्वीकृत् 02पद आई0पी0एस0 एवं पी0पी0एस0 संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक के 04 पद तथा पुलिस उपाधीक्षक के 10 पदों जिनकी स्वीकृति शासनादेश संख्या/1047/गृह–1/2001 दिनांक 3–1–2001 एवं शासनादेश संख्याः 69 एवं 285/गृह–1/2002 दिनांक 4–10–2002 व 18–9–2002 द्वारा प्रदान की गई है ,को सम्मिलित करते हुए, निम्न विवरणानुसार अभिसूचना /सुरक्षा विभाग के ढाँचे में पदों के सृजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1/06

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना /सुरक्षा	22400–525–24500/ 18400–500–22400 (आई0पी0एस0 संवर्ग के अनुसार)	01	अभिसूचना/सुरक्षा विभाग के कार्यालयाध्यक्ष
2	पुलिस उपमहानिरीक्षक,अभिसूचना/सुरक्षा	16400–450–20900 आई0पी0एस0 संवर्ग के अनुसार)	01	मुख्यालय हेतु
3	अपर पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना ,मुख्यालय	10000–325–15200	01	मुख्यालय हेतु
4	अपर पुलिस अधीक्षक ,सुरक्षा, मुख्यालय	10000–325–15200	01	मुख्यालय हेतु
5	अपर पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना, विशेष शाखा, हल्द्वानी ।	10000–325–15200	01	कुमाँयू रीजन हेतु
6	अपर पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना, विशेष शाखा, देहरादून ।	10000–325–15200	01	गढवाल रीजन हेतु
7	पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना	8000–275–13500	01	मुख्यालय हेतु
8	पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा	8000–275–13500	01	मुख्यालय हेतु
9	मण्डलाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक)	8000–275–13500	01	देहरादून हेतु
10	मण्डलाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक)	8000–275–13500	01	हरिद्वार हेतु
11	मण्डलाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक)	8000–275–13500	01	उत्तरकाशी

Seen / G.F.

मण्डलाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक)	8000–275–13500	01	हल्द्वानी
मण्डलाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक)	8000–275–13500	01	जोशीमठ
मण्डलाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक)	8000–275–13500	01	पिथौरागढ
मण्डलाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक)	8000–275–[illegible]	01	उधमसिंह नगर
पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा	8000–275–13500	01	टिहरी डैम

क्षक स्तर तक के 708 पद जो उत्तर प्रदेश से आवंटन में प्राप्त हैं का विवरण

निरीक्षक	6500–200–10500	41	15 निरीक्षक एलआईयू/एण्टीहाईजेकिंग हेतु तथा 26 एसआईओ विशेष शाखा गढवाल व कुँमायू के लिए
वरिष्ठ/उपनिरीक्षक	5500–175–9000	154	106 एलआईयू हेतु तथा 48 (एएसआईओ) विशेष शाखा गढवाल व कुँमायू के लिए
मुख्य आरक्षी	3250–85–4900	223	137 एलआईयू हेतु तथा 86 विशेष शाखा गढवाल व कुँमायू के लिए
आरक्षी	3050–75–3950–80–4590	228	132 एलआईयू हेतु तथा 96 विशेष शाखा गढवाल व कुँमायू के लिए
आरक्षी चालक	3050–75–3950–80–4590	09	विशेष शाखा गढवाल व कुमॉयू हेतु
उप निरीक्षक (एम)/स्टैनो	5500–175–9000	09	विशेष शाखा गढवाल व कुमॉयू हेतु
उप निरीक्षक (एम) लिपिक	5500–175–9000	11	06 एलआईयू तथा 05 विशेष शाखा गढवाल व कुमॉयू हेतु
सहायक उपनिरीक्षक (एम) लिपिक	4000–100–6000	16	05 एलआईयू तथा 11 विशेष शाखा गढवाल व कुमॉयू हेतु
चतुर्थ श्रेणी	2550–55–2660–60–3200	17	07 एलआईयू तथा 10 विशेष शाखा गढवाल व कुमॉयू हेतु
भारत नेपाल सीमा में अभिसूचना संकलन हेतु स्वीकृत 75 पदों का विवरण			
निरीक्षक	6500–200–10500	01	भारत–नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र के लिए
वरिष्ठ/उपनिरीक्षक	5500–175–9000	11	भारत–नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र के लिए
मुख्य आरक्षी	3250–85–4900	21	भारत–नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र के लिए
आरक्षी	3050–75–3950–80–4590	36	भारत–नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र के लिए
आरक्षी चालक	3050–75–3950–80–4590	05	भारत–नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र के लिए
अनुगामी	2550–55–2660–60–3200	01	भारत–नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र के लिए

सुरक्षा ड्यूटी हेतु अभिसूचना एवं सुरक्षा विभाग के 140 अधिकारी/कर्मचारियों के पदों का विवरण

1	पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा	8000–275–13500	01	महामहिम राज्यपाल की सुरक्षा हेतु
2	पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा	8000–275–13500	01	माननीय मुख्यमन्त्री की सुरक्षा हेतु
3	निरीक्षक	6500–200–10500	10	04 निरीक्षक महामहिम राज्यपाल, 04 निरीक्षक माननीय, मुख्यमन्त्री, 01 निरीक्षक नैनीताल राजभवन तथा 01 निरीक्षक विधानसभा की सुरक्षा ड्यूटी हेतु
4	वरिष्ठ/उपनिरीक्षक	5500–175–9000	41	16 वरिष्ठ उपनिरीक्षक महामहिम राज्यपाल, 21 वरिष्ठ उपनिरीक्षक माननीय, मुख्यमन्त्री, 01 वरिष्ठ उपनिरीक्षक नैनीताल राजभवन तथा 02 वरिष्ठ उपनिरीक्षक विधानसभा एवं 01 वरिष्ठ उपनिरीक्षक उत्तरांचल निवास की सुरक्षा ड्यूटी हेतु
5	मुख्य आरक्षी	3200–85–4900	10	03 मुख्य आरक्षी महामहिम राज्यपाल, 02 मुख्य आरक्षी नैनीताल राजभवन तथा 03 मुख्य आरक्षी विधानसभा एवं 02 मुख्य आरक्षी उत्तरांचल निवास की सुरक्षा ड्यूटी हेतु
6	आरक्षी	3050–75–3950–80–4590	44	16 आरक्षी महामहिम राज्यपाल, 11 आरक्षी माननीय मुख्यमन्त्री, 06 आरक्षी नैनीताल राजभवन तथा 03 आरक्षी विधानसभा एवं 04 आरक्षी उत्तरांचल निवास एवं 04 माननीय उच्च न्यायलय नैनीताल की सुरक्षा ड्यूटी हेतु
7	आरक्षी शैडो	3050–75–3950–80–4590	02	विधानसभा की सुरक्षा हेतु
8	मुख्य आरक्षी चालक	3200–85–4900	02	01 महामहिम राज्यपाल, एवं 01 माननीय मुख्यमन्त्री जी की सुरक्षा ड्यूटी हेतु
9	आरक्षी चालक	3050–75–3950–80–4590	29	13 महामहिम राज्यपाल, एवं 13 माननीय मुख्यमन्त्री, 02 उत्तरांचल निवास तथा 01 मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की सुरक्षा ड्यूटी हेतु

अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय हेतु 86 पदों का विवरण

1	निरीक्षक	6500–200–10500	06	1,2,3,4,5 व 6 प्रत्येक अनुभाग हेतु एक–एक
2	वरिष्ठ उपनिरीक्षक	5500–175–9000	09	अनुभाग 5 व 6 के लिए दो–दो तथा अनुभाग 1,2,3,4 एवं 9, प्रत्येक के लिए एक–एक
3	मुख्य आरक्षी	3200–85–4900	19	अनुभाग एक–1, दो –2, तीन–1, चार–2, पांच–4, छः–2, सात–3, आठ–1 एवं नौ–3
4	आरक्षी	3050–75–3950–80–4590	14	अनुभाग एक–1, दो –1, तीन–1, चार–1, छः–1, सात–2, एवं नौ–6 तथा टेलीफोन ड्यूटी हेतु–1
5	डाक रनर (आरक्षी)	3050–75–3950–	02	डाक ड्यूटी हेतु

5		80—4590		
6	आरक्षी चालक	3050—75—3950—80—4590	0?	राजपत्रित अधिकारियों का सहवर्ती स्टाफ
7	पुलिस उपाधीक्षक (एम)	8000—275—13500	01	अनुभाग सात (स्थापना व आंकिक शाखा) एवं अनुभाग आठ के पर्यवेक्षण हेतु
8	निरीक्षक (एम)/ अनुभाग अधिकारी	6500—200—10500	01	अनुभाग सात (स्थापना व आंकिक शाखा) एवं अनुभाग आठ हेतु
9	निरीक्षक (एम)/ गोपनीय सहायक	6500—200—10500	01	अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना/सुरक्षा के गोपनीय सहायक
10	उप निरीक्षक (एम)	5500—175—9000	02	स्थापना व आंकिक शाखा के लिए 1—1
11	उप निरीक्षक (एम) स्टे.	5500—175—9000	05	अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय के अधिकारीगणों का सहवर्ती स्टाफ
12	सहायक उपनिरीक्षक (एम)	4000—100—6000	04	अनुभाग एक, छः, सात तथा नौ, प्रत्येक के लिए 1—1
13	ओ0पी0 (कार्यालय चपरासी)	2550—55—2660—60—3200	02	कार्यालय हेतु
14	अर्दली प्यून	2550—55—2660—60—3200	10	अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय के अधिकारीगणों का सहवर्ती स्टाफ
15	लाइनमैन	2550—55—2660—60—3200	01	मुख्यालय की विद्युत/स्विच बोर्ड आदि की व्यवस्था हेतु

स्थानीय अभिसूचना इकाईयों हेतु 132 पदों का विवरण

1	पुलिस उपाधीक्षक	8000—275—13500	01	स्थानीय अभिसूचना इकाई देहरादून हेतु
2	निरीक्षक	6500—200—10500	03	स्थानीय अभिसूचना इकाई देहरादून, हरिद्वार तथा उधमसिंह नगर प्रत्येक के लिए 1—1
3	उपनिरीक्षक	5500—175—9000	23	एलआईयू देहरादून—8, हरिद्वार—2, उधमसिंह नगर—6, पिथौरागढ—3, चमोली—3, उत्तरकाशी हेतु —1
4	मुख्य आरक्षी	3200—85—4900	22	एलआईयू देहरादून—5, हरिद्वार—3, उधमसिंह नगर—4, पिथौरागढ—4, चमोली— हेतु —6
5	आरक्षी	3050—75—3950—80—4590	77	एलआईयू देहरादून—10, हरिद्वार—10, अल्मोडा—6, उधमसिंह नगर—15, पिथौरागढ—10, चमोली—15, पौढी—5 तथा उत्तरकाशी हेतु—6
6	आरक्षी चालक	3050—75—3950—80—4590	01	एलआईयू देहरादून हेतु
7	उप निरीक्षक (एम) स्टैनो	5500—175—9000	01	एलआईयू देहरादून हेतु
8	सहायक उपनिरीक्षक (एम)	4000—100—6000	01	एलआईयू पौढी हेतु
9	कार्यालय चपरासी	2550—55—2660—60—3200	03	एलआईयू अल्मोडा, पौढी एवं उत्तरकाशी हेतु 1—1

2—उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय —समय पर अनुमन्य किये गये महंगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–इस सम्बन्ध में होनेवाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक" 2055 –पुलिस—00–101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता–03–अभिसूचना, 04–सुरक्षा व्यवस्था तथा 06–भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तन्त्र एवं सुदृढ़ीकरण की सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 887 /XXVII(I)/2006 दिनांक 30 अगस्त 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव ।

संख्या यथोक्त एवं तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. पुलिस महानिदेशक , उत्तरांचल।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना /सुरक्षा ।
5. पुलिस महानिरीक्षक,गढ़वाल/ कुमाऊँ परिक्षेत्र।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तरांचल।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
9. वित्त अनुभाग–1।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,देहरादून।

ADM/04 JA

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

जिलाधिकारी
देहरादून
08/04

देहरादून,दिनांकःअगस्त,30 2006

विषयः— उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन या उससे अधिक जेल में निरुद्ध रहे/घायल हुए आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तरांचल शासन ने अपने पत्र संख्या 2037/तेइस/2006/50/2002 दिनांक 18.08.2006 के साथ भारत सरकार के पत्र संख्या 27/4/2004--एस0आर0(एस) दिनांक 02.08.2006 संलग्न करते हुए आबकारी विभाग उत्तरांचल हेतु कार्मिकों की अन्तिम आवंटन सूची प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिक अभी उत्तर प्रदेश से कार्यमुक्त होकर आने हैं और उन्हें भी विभाग में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत ही समायोजित किया जाना है। उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल से कार्मिकों को अन्तिम रूप से उत्तरांचल में योगदान करने के पश्चात ही तदनुसार उपलब्ध रिक्तियों का विवरण भेजा जाना सम्भव होगा।

अतः इस कार्यालय के पत्र संख्या 9806/आ0-एक0--207/दिनांक 20.01.2005 जो क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी,देहरादून एवं प्रति आपको पृष्ठांकित की गयी थी के साथ उपलब्ध करायी गयी रिक्तियों के विवरण को निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2005-06
विभाग ADM/04/JA
....
....
.... 6648
दिनांक........6/9/06

भवदीय

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

8451-77

संख्या /आ0--एक0-207/सेवा0रा0आ0/2006/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव,आबकारी,उत्तरांचल शासन को उनके पत्र संख्या 2037/तेइस/2006/50/2002 दिनांक 18.08.2006 के सन्दर्भ में।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
3. समस्त सेवायोजन अधिकारी,उत्तरांचल।

Seen/EP.

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

8/9/06

उत्तरांचल शासन
न्याय अनुभाग-1
संख्या:-10-नो- (एल)/xxxvi(I)/06-924(9)/90
देहरादून : दिनांक : 31 अगस्त, 2006

अधिसूचना
नियुक्ति

नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के न शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल श्री के.सी.राम आर्य, अधिवक्ता दिनांक31.08.2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए जिला नैनीताल की सील हल्द्वानी के लिए नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के म 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं श्री के.सी.राम आर्य का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये री पंजिका में प्रविष्टि कर ली जाय ।

आज्ञा से,
(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव एवं विधि परामर्शी ।

संख्या: 10-नो-(एल)/ xxxvi (I)/2006-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

नोटरी प्रमाण-पत्र के साथ जिला न्यायाधीश, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध करा दें ।

जिलाधिकारी, नैनीताल ।

श्री के.सी.राम आर्य, अधिवक्ता, जिला नैनीताल, उत्तरांचल को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर व मुहर नमूने की तीन प्रतियाँ जिला न्यायाधीश, नैनीताल के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (20 प्रतियाँ) ।

एन.आई.सी./गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

Uttaranchal Shasan
Nyaya Anubhag- 1(Appointments)

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No 10-No-L/XXXVI(1)/06-924(9)/90.

NOTIFICATION

Appointment

No.10 -No-L /XXXVI(I)/ 2006
Dated- 31 August, 2006

In exercise of the powers under section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri K.C.Ram Arya, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 31.08.2006 for Tehsil Haldwani of District Nainital and in exercise of the powers under Sub-Rule (4) of Rule-8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name Shri K.C.Ram Arya be entered in the register of Notaries maintained under Section-4 of the said Act.

By order,

(Smt.Indira Ashish)
Secretary & L.R.

रजिस्ट्रेशन नम्बरः– 26(10)/2006

"प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र"

श्री के.सी.राम आर्य, जिन्होंने अपना सामान्य वृत्तिका पता–एडवोकेट, भवन संख्या–4–134 गली नं0 2 राजेन्द्र नगर, हल्द्वानी, पो0ओ0 हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तरांचल घोषित किया है, को नोटरी ऐक्ट, 1952 (ऐक्ट संख्या–53, 1952) और तद्धीन बनाये गये नोटरीज रूल्स, 1956 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दिनांक31 .08.2006 से पांच वर्ष की अग्रेत्तर अवधि के लिए जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।

यह दिनांक 31.08.06 को
मेरे द्वारा तथा उत्तरांचल
सरकार की मोहर लगा कर
दिया गया ।

उत्तरांचल शासन
न्याय अनुभाग--1
संख्या:--12--नो--(एल)/xxxvi(I)/06--924(9)96
देहरादून : दिनांक : 31 अगस्त, 2006

अधिसूचना
नियुक्ति

नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या--53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल श्री महेश चन्द्र, अधिवक्ता को दिनांक31.08.2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए जिला नैनीताल की अधिकारिता के लिए नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री महेश चन्द्र का नाम उक्त अधिनियम की धारा--4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्टि कर ली जाय ।

आज्ञा से,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव एवं विधि परामर्शी ।

संख्या: 12--नो--(एल)/ xxxvi (I)/2006--तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- नोटरी प्रमाण--पत्र के साथ जिला न्यायाधीश, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रमाण--पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध करा दें ।
2-- जिलाधिकारी, नैनीताल ।
3-- श्री महेश चन्द्र, अधिवक्ता, जिला नैनीताल, उत्तरांचल को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर व मुहर नमूने की तीन प्रतियाँ जिला न्यायाधीश, नैनीताल के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
4-- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (20 प्रतियाँ) ।
5-- एन.आई.सी./गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

Seen
15/9/06

[illegible]ranchal Shasan
Nyaya An[illegible]bhag- 1(Appointments)

In pursuance of the pr[illegible]visions of Clause (3) of Article-348 of th[illegible] Constitution, the Governor is [illegible]leased to order the publicati[illegible] of followin[illegible] English Translation of Notifica[illegible]ion No 12-No-L/XXXVI(I)/0[illegible]-924(9)/90.

[illegible] OTIFICATION

Appointment

No.12 -No-L /XXXVI(I)/ 2006

Dated- 31 August, 2006

In exercise of the powers under section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Mahesh Chandra, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 31.08.2006 for Tehsil Haldwani of District Nainital and in exercise of the powers under Sub-Rule (4) of Rule-8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name Shri Mahesh Chandra be entered in the register of Notaries maintained under Section-4 of the said Act.

By order,

(Smt.Indira Ashish)
Secretary & L.R.

रजिस्ट्रेशन नम्बरः– 24(10)/2006

"प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र"

श्री महेश चन्द्र, जिन्होंने अपना सामान्य वृत्तिका पता–एडवोकेट, मार्फत श्री सुन्दर लाल आर्य, ग0नं0 3 कुल्यालपुरा, नवाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तरांचल घोषित किया है, को नोटरी ऐक्ट, 1952 (ऐक्ट संख्या–53, 1952) और तद्धीन बनाये गये नोटरीज रूल्स, 1956 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दिनांक31.08.2006 से पांच वर्ष की अग्रेत्तर अवधि के लिए जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।

यह दिनांक 31.08.06 को मेरे द्वारा तथा उत्तरांचल सरकार की मोहर लगा कर दिया गया ।

निदेशालय होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, उत्तरांचल

99, अशोक विहार, हरिद्वार बाई–पास रोड, देहरादून (फोन नं. 2674473)

पत्र संख्या- सीजी–6/होगा/2006/453 दिनांक: सितम्बर 01, 2006

1– जिला कमाण्डेन्ट नैनीताल
होमगार्ड्स, उत्तरांचल।

2– कमाण्डेन्ट,
जिला प्रशिक्षण केन्द्र,
होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी।

3– मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी।

4– उपनियन्त्रक,
नागरिक सुरक्षा, देहरादून।

नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स विभाग की विभिन्न मदों में भारत सरकार द्वारा बजट का 25 प्रतिशत आंशिक प्रतिपूर्ति की जाती है। 1994 से पहले 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती रही थी।

होमगार्ड्स में वर्दियों का न्यूनतम नीलामी मूल्य 10 प्रतिशत तथा अन्य साज–सज्जा का न्यूनतम नीलामी मूल्य 20 प्रतिशत है। 1994 से पूर्व क्रय की गयी वस्तुओं का नीलामी मूल्य का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार के खाते में तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में डाला जाय। किन्तु 1994 के पश्चात् क्रय की गयी साज–सज्जा का नीलामी मूल्य का 25 प्रतिशत भारत सरकार के खाते में 75 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में डाला जाय।

अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में कण्डमनेशन की धनराशि 75 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में तथा 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

1.9.2006

(योगम्बर सिंह)
ह०, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी,
निमित्त कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तरांचल, देहरादून।

मानवीय / तत्काल

संख्या 2032/XX(1)/132/विविध/2006

वर्ष 2005-06 OC/J.A.
विभाग
6743
दिनांक 12/9/06

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव, गृह,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

(1) पुलिस महानिदेशक,उत्तरांचल देहरादून।
(2) आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल ।
(3) समस्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तरांचल ।

गृह अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : 1/9/06 ~~अगस्त~~, 2006

विषय BLACK LIST CIRCULAR NO. 57/2006
(Issued under New Guidelines)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या:25018/37/2006-F.IV दिनांक 16 जून, 2006 की प्रति संलग्नक सहित आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है ।

संलग्नक– यथोपरि ।

भवदीय,
31/8/06
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव

38801/06.
180 1/8
10(12)/2006

SECRET/OUT TODAY
BY DIPLOMATIC BAG/CAT 'A'

GRADE-'B'

S(-)

No.25018/ 37 /2006-F.IV
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, Dated the

BLACKLIST CIRCULAR NO. 57 /2006 16 JUN 2006
(Issued under New Guidelines)

The Government of India have decided to place in Blacklist - 'B' 5 (Five), foreign national(s) whose particulars are given in attached ment(s)

Visa or transit visa for India should not be granted to him/her/them without prior nce to Ministry of Home Affairs of Central Government.

The foreigner(s) will remain in Blacklist for a period of ten years. The Originator eview his/her/their cases after retention for two years and every two years thereafter, nmend to the Review Committee in Foreigners' Division, MHA about further tion/down-gradation/deletion assigning reasons.

The Immigration Authorities of Central Government/State Governments/Union itory Administrations are requested that the said foreigner(s) should not be allowed to r India even if he/she/they tries/try to do so on the strength of valid travel documents ss the visa on his/her/their passport(s) mentions the number(s) and date(s) of ernment's authority under which the visa has been granted.

Mission should not ordinarily entertain any request for visa to the foreigner(s) ed in Blacklist **Grade-B** unless sufficient ground exists for making a prior reference.

D K S
(D.K. Sharma)
Under Secretary to the Government of India

No.25018/ 37 /2006 - F.IV

New Delhi, the 16 JUN 2006

01 All Indian Missions/Post abroad..

02. All State Government and Union Territory Administration.

03. F.R.R.O's of Delhi, Bombay and Calcutta.

04. CHIO, Chennai.

05. DIG (CID) of all State Governments and Union Territories.

06. Senior Superintendent of Police (FRO), Agra (UP).

07. Shri Balbhadra Singh Ratoure, DGP, CID(Intl.), PHQ, Jaipur(Raj).

07(a) Shri Praveen Sharma, FRO/Addl.SP, CID Zone, Jaipur.

08. Immigration Officer-in-charge, Trivandrum International Airport, Thiruvananthapuram.

09. Immigration Officer-in-charge, Hyderabad Airport, Hyderabad.

10. Immigration Officer-in-charge, Patna Airport, Patna (Bihar).

11. Immigration Officer-in-charge, Ahmedabad Airport, Ahmedabad.

12. Immigration Officer-in-charge, Rajasansi Airport, Amritsar (Pb.).

13. Immigration Officer-in-charge, Dabolim Airport, Dabolim (Goa).

14. Immigration Officer-in-charge, Tiruchirapalli Airport, Tiruchirapalli (Tamilnadu).

15. Immigration Officer-in-charge, Varanasi Airport, Varanasi (UP).

16. Immigration Officer-in-charge, Wagha Road Checkpost, Amritsar (Pb.).

17. Immigration Officer-in-charge, Raxaul Land Checkpost, Raxaul (Bihar).

18. Immigration Officer-in-charge, Moreh Checkpost, Manipur.

19. Immigration Officer-in-charge, Sanauli Land Checkpost, Gorakhpur. (UP).

20. Immigration Officer-in-charge, Haridaspur Land Checkpost, Haridaspur (West Bengal).

21. Immigration Officer-in-charge, Attari Rail Checkpost, Attari Railway Station, Amritsar (Pb.).

22. Deputy Commissioner of Police, Special Branch Office of the Commissioner of Police, Hyderabad (AP).

23. Immigration Officer-in-charge, Calicut Airport, Calicut.

24. Immigration Officer-in-charge, Cochin Airport, Cochin.

25. Immigration Officer-in-charge, Bangalore Airport, Bangalore.

26. Immigration Officer-in-charge, Lucknow Airport, Lucknow (UP).

27. Asstt.Director(I), Bureau of Immigration, Mahindra House, Amritsar.(Punjab).

28. Principal Secretary (Home), Govt. of Chattisgarh, D.K.S. Bhawan, Mantralya,Raipur.

29. Civil Authority, Air Immigration Check Post, LGBI Airport, Barjhar, Guwahati-15.

(D. K. Sharma)
Under Secretary to the Government of India.

9/8

›d of retention	: 10 years
›ew due	: After 2 yrs & ery 2 yrs thereaft

GRADE – 'B'

BLACKLIST (RCULAR NO. 167 /2006
(Issued under New Guidelines)

Paste photograph of the foreigner, if available

iiled particulars of blacklisted foreign national

Name of foreigner : LI CHUNZI

Sex : FEMALE

a) Father's name :

b) Husband's name : Piao chunxue

Nationality : Chinese

Date of birth : 14.05.1958

Place of birth : Longjin

) Mark of identification :

i) Passport particulars

Passport No.	Date of Issue	Validity	Place of Issue

) Referred by : FRRO Mumbai

Originator	Reference No.	Date	Name and Designation
FRRO & DCP/SB-II/CID, Mumbai	1333/DCP/SB-II/CID/Mumbai/05	**24.10.2005**	**Shri Dinesh Joshi, FRRO, Mumbai.**

) Any other relevant particulars: **Occupation** – Housewife, **Colour of Eyes/Hair-** Black/Black, **Held falsified Korean Passport, No. GN 0881436 issued on 19.12.2003 at Korea in the Name of MS. Song Young Soon (Korean name).**

) Reason for recommendation of Grade with justification: Travel on Falsified Korean Passport.

F. No. 25018/ 37 /2006 – F.IV

'retention	: 10 years
ue	: After 2 yrs & every 2 yrs thereafte

GRADE –'B'

BLACKLIST C CULAR NO. 57 /2006
(Issued under New Guidelines)

Paste photograph of the foreigner, if available

particulars of blacklisted foreign national

'ame of foreigner : ZENG HUA

ex : FEMALE

) Father's name :

) Husband's name : Chen Qi

lationality : Chinese

)ate of birth : 12.05.1983

'lace of birth : Fuzhou

Aark of identification :

'assport particulars

Passport No.	Date of Issue	Validity	Place of Issue

Referred by : FRRO Mumbai

Originator	Reference No.	Date	Name and Designation
FRRO & DCP/SB-II/CID, Mumbai	1333/DCP/SB-II/CID/Mumbai/05	**24.10.2005**	**Shri Dinesh Joshi, FRRO, Mumbai.**

Any other relevant particulars: **Occupation** – Housewife, **Colour of Eyes/Hair-** Black/Black, **Held falsified Korean Passport No. IC 0387887 issued on 12.07.2000 at Korea in the Name of MS. Son Hyun Seung, (Korean name).**

Reason for recommendation of Grade with justification: Travel on Falsified Korean Passport.

F. No. 25018/ 37 /2006 – F.IV

riod of retention : 10 years
view due : After 2 yrs & every 2 yrs thereafter

GRADE –'B'

BLACKLIST CIRCULAR NO. 57 /2006
(Issued under New Guidelines)

Paste photograph of the foreigner, if available

ailed particulars of blacklisted foreign national

Name of foreigner : PIAO SHENGJI

Sex : MALE

a) Father's name :

b) Husband's name :

Nationality : Chinese

Date of birth : 31.03.1968

Place of birth : Jinlin

Mark of identification :

Passport particulars

Passport No.	Date of Issue	Validity	Place of Issue

Referred by : FRRO Mumbai

Originator	Reference No.	Date	Name and Designation
FRRO & DCP/SB-II/CID, Mumbai	1333/DCP/SB-II/CID/Mumbai/05	24.10.2005	Shri Dinesh Joshi, FRRO, Mumbai.

Any other relevant particulars: **Occupation – ---, Colour of Eyes/Hair-** Black/Black, **Held falsified Korean Passport No. JR 2579562 issued on 08.10.2003 at Korea in the Name of Mr. Han Ui Soo, (Korean name).**

Reason for recommendation of Grade with justification: Travel on Falsified Korean Passport..

F. No. 25018/ 37 /2006 – F.IV

..od of retention	: 10 years
..view due	: After 2 yrs & every 2 yrs thereafter

GRADE –'B'

BLACKLIST CIRCULAR NO. 57 /2006
(Issued under New Guidelines)

Paste photograph of the foreigner, if available

Detailed particulars of blacklisted foreign national

i) Name of foreigner : CUI JIHUA

ii) Sex : FEMALE

iii) a) Father's name :

b) Husband's name : Piao Longfan

iv) Nationality : Chinese

v) Date of birth : 23.05.1975

vi) Place of birth : China

vii) Mark of identification :

viii) Passport particulars

Passport No.	Date of Issue	Validity	Place of Issue

ix) Referred by : FRRO Mumbai

Originator	Reference No.	Date	Name and Designation
FRRO & DCP/SB-II/CID, Mumbai	**1333/DCP/SB-II/CID/Mumbai/05**	**24.10.2005**	**Shri Dinesh Joshi, FRRO, Mumbai.**

x) Any other relevant particulars: **Occupation** – Company Employee, **Colour of Eyes/Hair**- Black/Black, **Held falsified Korean Passport No. DG 0966778 issued on 23.10.2003 at Korea in the Name of MS.** Chqi Jeong **Mee, (Korean name).**

xi) Reason for recommendation of Grade with justification: Travel on Falsified Korean Passport.

F. No. 25018/ 37 /2006 – F.IV

3/8

..iod of retention	: 10 years
..eview due	: After 2 yrs & every 2 yrs thereafter

GRADE –'B'

BLACKLIST CIRCULAR NO. 57 /2006
(Issued under New Guidelines)

Paste photograph of the foreigner, if available

..etailed particulars of blacklisted foreign national

i)	Name of foreigner	: HUANG AIZI
..)	Sex	: FEMALE
..i)	a) Father's name	:
	b) Husband's name	: Jin Chengeng
..)	Nationality	: Chinese
..)	Date of birth	: 17.12.1968
..i)	Place of birth	: Jiulin
..ii)	Mark of identification	:
..iii)	Passport particulars	

Passport No.	Date of Issue	Validity	Place of Issue

..) Referred by : FRRO Mumbai

Originator	Reference No.	Date	Name and Designation
FRRO & DCP/SB-II/CID, Mumbai	1333/DCP/SB-II/CID/Mumbai/05	**24.10.2005**	**Shri Dinesh Joshi, FRRO, Mumbai.**

..) Any other relevant particulars: **Occupation** – House Wife, **Colour of Eyes/Hair-** Black/Black, **Held falsified Korean Passport No. TM- 0513922 issued on 30.01.2003 at Korea in the Name of MS. Moon Sung Won, (Korean name).**

..) Reason for recommendation of Grade with justification: Travel on Falsified Korean Passport.

F. No. 25018/ 37 /2006 – F.IV

शीघ्र प्र. पत्र
न्यायालय प्रक.
संख्या 1309/XX(3)-03/पुलि /20

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

ADM/OC/२००

सेवा में

1.पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल, देहरादून।
2.समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग-3 देहरादून:दिनांक: 25/9/2006

विषय— न्यायिक प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अभियुक्तों एवं साक्षियों के स्थाई पता एवं पारिवारिक स्थिति के सत्यापन के संबन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री आई.बी. कर्ण, निदेशक (दिल्ली), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–14040/26/2006-UTP दिनांक अगस्त 2006 की संलग्नकों सहित छाया प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सर्व संबन्धित को निर्देश निर्गत करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री आई.बी. कर्ण, निदेशक (दिल्ली), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या–14040/26/2006-UTP दिनांक 14 अगस्त 2006 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

- 108 -

Most Immediate
Court Matter
By Speed Post

No. 14040/?/2006-UTP
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
****

North Block, New Delhi
Dated the 14th August, 2006

To

Shri M. Ramachandran,
Chief Secretary,
Govt. of Uttaranchal,
Dehradun.

Sub: Simplification of procedure regarding verification of addresses and family composition of the appellant/accused.

Sir,

I am directed to say that over the years the system of verifying the genuineness of contents of personal bonds of accused/sureties remained dependent on reports generally submitted by lower subordinates by sending them to the place of residence of accused/surety. The prevailing system has been suffering from many loopholes and many times, addresses provided by accused and/or their sureties as well as verification of family composition, grounds given in bail application etc. are found to be fictitious and later on these accused are able to jump the bail and find it convenient to escape from on going court proceedings. The Hon'ble High Court of Delhi vide their order dated 7.3.2006 in Crl. A. No. 186/1992 (Annexure –I) had directed the Additional Secretary, Ministry of Home Affairs, Union of India; the Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi; and the Commissioner of Police, Delhi to consider these aspects and submit a report. Accordingly, a Committee under the chairmanship of Special Secretary (IS) was constituted as per Annexure-II.

2. The Committee has submitted its report, which has been filed before the High Court of Delhi. A copy of the report is enclosed at Annexure- III.

3. All State Governments/UT Administrations are requested to kindly take necessary action to implement the recommendations of the Committee.

Yours faithfully,

(I.B. Karn)
Director (Delhi)
Tel: 23092670

Encl: As above

% 07.03.2006

Present: None for the appellant.
Mr.Ravinder Chadha with Mr.Jagdish Prasad for the respondent-State.

+Crl.A.186/1992

*

The office report indicates that surety could not be served as yet although it appears that surety Raghubir Singh had appeared and undertaken to produce the accused. As per the report submitted by the State today, the accused has not been found to be residing at the address given.

In these circumstances, let the proceedings under Section 82 read with Section 83 of Cr.P.C be initiated by the trial court. Steps be also taken for recovery of the surety amount.

We are increasingly finding that the verification of addresses or of the grounds on which appellants/accused are seeking suspension of sentence, is found to be not proper. This is more so in cases which are outside NCT of Delhi. Very often, after the sentence has been suspended and the appellant jumps the bail, the addresses of the accused or that of the surety, are found to be incorrect. The report received is that accused never resided there. The verification is generally done by deputing a Constable or an ASI from the local police station to visit outstation for verification of the family composition or the grounds set out in the bail application(s). Similar is the situation to bring the accused persons against

Date | Order

36
(49)

whom bailable or non bailable warrants are issued. Verification is done through police personnel who are sent outstation. Apart from expenses entail, excessive men hours are spent on travel etc.

Prima facie, it appears to us that with modern technical methods of communication being available, it may be possible to simplify the procedure with regard to verification of addresses, family composition and other family circumstances. This can be done with the cooperation of the police of the States outside the NCT of Delhi. This would have an important bearing on the administration of efficacy of the criminal justice system. In these circumstances, we direct that the Additional Secretary, Ministry of Home Affairs, UOI; Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi and the Commissioner of Police, Delhi to consider these aspects and submit a report before the next date of hearing.

Renotify on 27th March, 2006.

Copy of this order be endorsed to the Additional Secretary, UOI, Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi and the Commissioner of Police, Delhi.

Dasti.

Sd/-
Manmohan Sarin, J.
Sd/-
Manju Goel, J.

TRUE COPY

March 07, 2006
ssb

(15)

No.14040/ /2006-UTP
Government of India
Ministry of Home Affairs
*****

North Block, New Delhi
Dated the 20th April, 2006

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of a committee to examine the directions issued by the High Court of Delhi dated 7th March, 2006 in Crl.A.186/1992.

The undersigned is directed to say that in pursuance of the directions issued by the High Court of Delhi vide their order dated 7th March, 2006 in Crl.A.186/1992 (copy enclosed), it has been decided with the approval of the Home Secretary to constitute a Committee consisting of the following officers:

1	Special Secretary (IS), Ministry of Home Affairs.	-	Chairman
2	Principal Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi	-	Member
3	Director General of Police, Govt. of Maharashtra.	-	Member
4	Director General of Police, Govt. of Haryana	-	Member
5	Director General of Police, Govt. of Uttar Pradesh	-	Member
6	Commissioner of Police, Delhi	-	Member
7	Joint Secretary (Judicial-I), Ministry of Home Affairs.	-	Member
8	Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs	-	Member-Secretary

2.(i) The Committee will examine the issues regarding simplification of procedure using modern methods of communication with regard to verification of addresses, family composition and other family circumstances of appellant/accused in the light of the observations made by the High Court.

3. The Committee will submit its report within a period of two months.

(I.B. Karn)
Director (Delhi)
Telefax: 23092670

To

1. Dr. G.S. Rajagopal, Special Secretary (IS), Ministry of Home Affairs. North Block, New Delhi.
2. Shri Sanat Kaul, Principal Secretary (Home); Govt. of NCT of Delhi, Delhi Government Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
3. Dr. K.K. Paul, Commissioner of Police, Delhi Police Headquarters, I.P. Estate, New Delhi.
4. Dr. P.S. Pasricha, Director General of Police, Maharashtra, Mumbai
5. Shri Nirmal Singh, Director General of Police, Government of Haryana 9th Floor, Secretariat, Sector-6, Panchkula, Chandigarh.
6. Shri Bua Singh, Director General of Police, Government of Uttar Pradesh, Tilak Marg, Lucknow.
7. Shir P.K. Seth, Joint Secretary (Judicial-I, Department of Justice, Jaisalmer House, New Delhi.
8. Dr. K.S. Sugathan, Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.

Copy for information to:

1. Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
2. Chief Secretary, Government of Maharashtra, Mumbai.
3. Chief Secretary, Government of Haryana, Chandigarh.
4. Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

(I. B. Karn)
Director (Delhi)

Copy also for information to:

(i) PS to Home Secretary;
(ii) PS to Special Secretary (IS).

(I. B. Karn)
Director (Delhi)
Del Pol/Committees/OM

Report of the Committee constituted to examine the issue of simplification of verification of addresses and family composition of the appellant/accused.

The Hon'ble High Court of Delhi vide their order dated 7th February, 2006 in Crl A. No. 186/92 titled Mukesh Vs State and Crl. A. No. 189/92 titled Suresh Vs. State, inter alia, made observation/passed orders as follows:

> "We are increasingly finding that the verification of addresses or of the grounds on which appellants/accused are seeking suspension of sentence, is found to be not proper. This is more so in cases which are outside NCT of Delhi. Very often, after the sentence has been suspended and the appellants jumps the bail, the addresses of the accused or that of the surety, are found to be incorrect. The report received is that accused never resided there. The verification is generally done by deputing a constable or an ASI from the local police station to visit outstation for verification of the family composition or the grounds set out in the bail application. Similar is the situation to bring the accused persons against whom bailable or non-bailable warrants are issued. Verification is done through police personnel who are sent outstation. Apart from expenses entail, excessive men hours are spent on travel etc".
>
> "Prima facie, it appears to us that with modern technical methods of communication being available, it may be possible to simplify the procedure with regard to verification of addresses, family composition and other family circumstances. This can be done with the co-operation of the police of State outside the NCT of Delhi. This would

have an important bearing on the administration of efficacy of the criminal justice system. In these circumstances, we direct that the Additional Secretary, Ministry of Home Affairs, UOI; Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi and Commissioner of Police, Delhi to consider these aspects and submit a report before the next date of hearing."

2. In pursuance to the above directions, the Ministry of Home Affairs vide its OM. No. 14040/36/2006-UTP dated the 20th April, 2006 constituted a Committee consisting of the following officers:

1)	Special Secretary (IS), Ministry of Home Affairs	-	Chairman
2)	Principal Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi	-	Member
3)	Director General of Police, Govt. of Maharashtra	-	Member
4)	Director General of Police, Govt. of Haryana	-	Member
5)	Director General of Police, Govt. of Uttar Pradesh	-	Member
6)	Commissioner of Police, Delhi	-	Member
7)	Joint Secretary (Judicial-I), Ministry of Home Affairs	-	Member
8)	Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs.	-	Member-Secretary

3. The Committee was asked to examine the issues regarding simplification of procedure using modern methods of communication with regard to verification of addresses, family composition and other family circumstances of appellant/accused in the light of the observations made by the High Court. It was asked to submit a report within a period of two months.

4. Pursuant to further observations made by the Hon'ble High Court vide their order dated 25th April, 2006 that Committee did not have representations from States such as Bihar, Punjab etc., the Ministry of Home Affairs vide its OM. No. 14040/36/2006-UTP dated the 20th April, 2006 co-opted Directors General of Police of Bihar and Punjab as Members in the Committee.

5. The Committee in its meeting held on 11th May, 2006, held detailed discussions on the issue in the light of the observations/directions of the Hon'ble High Court. The view indicated by the participants in the meeting were as follows:

(i) The problem faced by the State of Bihar was that Thanas (Police Stations did not have computers and fax machines. The Superintendents were not in a position to keep track of the address of persons released on bail.

(ii) In UP, it took almost a week for the police personnel to verify the address of the accused given in the bail application. It was, therefore, necessary to inter-link police stations with district headquarters through 'POLNET'.

(iii) There is no mention of 'address' of the accused in Cr.P.C. It only states 'where the person ordinarily resides'.

(iv) Voters list, though it may not be up to date, could also be used for verifying the genuineness of the address given by the accused.

(v) The actual problem arises when the accused jumps the bail after giving a false address and disappears.

(vi) The role of police is before the trial only. After the trial, it is the responsibility of the Public Prosecutor or the Defence Counsel to ensure genuineness of the address before the accused is released on bail and if anything goes wrong, he should be held accountable.

6. In addition to the views expressed in the meeting the DIG(Law & Order) of Maharashtra Police has sent information about the amendments suggested in the Criminal Manual 1980 by the High Court of Bombay. This amendment proposes that –

5A. "To avoid abscondence of accused due to furnishing of bogus surety or surety bond by a stock surety, in addition to the proof as mentioned in sub-clause 3 of the format of application of surety, the surety, in all cases under the NDPS Act, the cases in which offence is serious and sentence provided is for more than 10 years imprisonment or the cases under the special enactment like POTA/MOCCA etc. shall furnish at least one of the document, amongst following:-

(i) Passport.

(ii) Identity Card issued by the Election Commission of India.

(iii) Permanent Account Number Card, i.e., PAN Card issued by the Income Tax Department.

(iv) ATM/Debit Card, or Credit Card issued by any Nationalised or Private Bank of Standing at the National Level, having photograph of the holder thereon.

(v) *Identity Card issued by the Government Authorities or the Public* Statutory Corporations.

(vi) Any such document, which is ordinarily issued by an Authority after due verification of the identity of the person and his address, which the Judge or the Magistrate may think just and proper, in the interest of justice, by recording specific reasons.

5B. The surety shall submit two copies of his latest passport size photograph, which is not older than six months before the date of submission, of which one copy shall be retained in the Court record and one copy to be retained by the concerned police station."

A copy of the direction issued by the High Court of Mumbai is attached at Annexure-I.

7. Taking into account the views expressed in the meeting and the situation prevailing in various States, the Committee makes the following recommendations;

(i) The POLNET is a satellite based integrated Police communication network, independent of Department of Telecommunication, for modernization of Police Telecommunication of the country which envisages installation of 833 V-SATs (Very Small Aperture Terminals) plus 11,502 MART (Multi Access Radio Telephone) in order to integrate police communication of the country leading to a Police Station dialing system to have VOICE/FAX/DATA transmission capabilities and to have a computer networking to

inter-link computers of NCRB given to various State Headquarters/Districts. It will link the national capital with all State capitals and to the District Headquarters in all States/Union Territories. With this, every police station will be able to communicate directly with any police station, District Headquarters or State Capital, Central Para Military Forces locations as well. Installation of POLNET has been completed in the UT of Chandigarh, Daman and Diu, NCT of Delhi, Goa, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Pondicherry and Uttaranchal. Other States/UTs are in the process of its installation. Where ever the POLNET connectivity is there, the facility must be used to exchange the information using E-mail and POLNET. At other places, regular internet facilities could be used.

(ii) District SSPs/DCsP should also keep data base of all the requests sent to various districts outside and ensure proper monitoring and follow up of any pendency with the respective District Superintendents of Police. All the District Superintendents of Police of the country should be advised through the State Home Departments to devise a similar system in their districts for ensuring speedy enquiries and replies using fax/e-mail at the district level and any fast means of communication available from the district headquarters to police stations.

(iii) All Disrict SSsP/DCsP of Delhi and the neighbouring States should liaise with the Resident Commissioners of all the States and Union Territories to obtain telephone/fax numbers and E-mail addresses of all the Districts Magistrates, Collectors and Superintendents of Police which should be kept in the data bank of

Central Research Organisation(CRO) as well as in Police Control Room.

(iv) Maximum information about the accused/surety should be collected in the beginning. The verification forms of accused and sureties and information sheet should be sent to the concerned district S.P. by fastest means like e-mail or fax and a record must be maintained in the data bank. In all such verification, photographs of the accused or surety should also be sent. The same can be sent in electronic forms or through fax message and a copy should also be sent for confirmation by post for the purpose of record.

(v) It must be impressed upon the courts through public prosecutors not to grant bail without proper verification of the address of the accused and of sureties.

(vi) For all cases where information is required from outstations, the District SSPs/DCsP should put in place a centralised system of sending and receiving information sheets through computers using broadband internet connections. After receiving information, the same should be sent to the respective police stations of districts.

(vii) District voters lists compiled by the Chief Electoral Officers of various states could also be made use of by the District SP's for verification. The Chief Electoral Officer should be requested to provide the above information in digital form to District Police Chiefs.

(viii) Investigating officers should invariably make request to the concerned courts through the Public Prosecutors that the accused /applicant must disclose his/her name, address and properties in

anticipatory/regular bail application which he/she intends to produce in the event of his/her getting bail from the court. These particulars should be subjected to verification during the pendency of such anticipatory/regular bail application.

(ix) The directions given by the High Court of Mumbai for amendment to the Criminal Manual may also be accepted for implementation by other States.

****

Annexure-I

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELATE SIDE

No. P.801/2005.- The Honourable the Chief Justice and Judges of the High Court at Bombay under Article 235 and 227 of the Constitution of India are hereby pleased to direct that the following amendment shall be made to the Criminal Manual, 1980 :—

I. *Add* the following sub-rule as 5A and 5B after the existing sub-rule 5 of Rule 14, Chapter I of the Criminal Manual, 1980 appearing at page No. 6 :—

5A. To avoid abscondence of accused due to furnishing of bogus surety or surety Bond by a stock surety, in addition to the proof as mentioned in sub-clause 3 of the format of application of surety, the surety, in all cases under the NDPS Act, the cases in which offence is serious and sentence provided is of more than 10 years imprisonment or the cases under the special enactment like POTA/MOCCA etc. shall furnish atleast one of the document, amongst following :—

1. Passport.
2. Identity Card issued by the Election Commission of India.
3. Permanent Account Number Card, i.e. PAN Card issued by the Income-Tax Department.
4. ATM/Debit Card, or Credit Card issued by any Nationalised or Private Bank of Standing at the National Level, having photograph of the holder thereon.
5. Identity Card issued by the Government Authorities or the Public Statutory Corporations.
6. Any such document, which is ordinarilly issued by an Authority after due varification of the identity of the person and his address, which the Judge or the Magistrate may think just and proper, in the interest of justice, by recording specific reasons.

5B. The surety shall submit two copies of his latest passport size photograph, which is not older than six months before the date of submission, of which one copy shall be retained in the Court record and one copy to be retained by the concerned police station.

III *Add* in the existing sub-clause 3 in the format of Surety Application form in Chapter 1 of the Criminal Manual, 1980, appearing at page No.7 as follow :-

As per sub-rule 5A of Rule 14, I have furnished one of the documents mentioned below :—

1. Passport.

2. Identity Card issued by the Election Commission of India.

3. Permanent Account Number Card, i.e. PAN Card issued by the Income-Tax Department.

4. ATM/Debit Card, or Credit Card issued by any Nationalised or Private Bank of Standing at the National Level, having photograph of the holder thereon.

5. Identity Card issued by the Government Authorities or the Public Statutory Corporations.

6. Any such document, which is ordinarilly issued by an Authority after due varification of the identity of the person and his address, which the Judge or the Magistrate may think just and proper, in the interest of justice, by recording specific reasons.

V. R. KINGAONKAR,
Registrar General.

Bombay, dated 4th July 2005.

the candle stick maker, the bonded labourer and pavement dweller. *Mottram v. State of M.P.*, AIR 1978 S.C. 1584.

Bail for the convict :- The petitioner, a murder convict, was to undergo 14 years rigorous imprisonment under Section 433A. He claimed that he was below 20 at the time of conviction and in terms of a Government order he was entitled to be considered for release after 5/6 years. He had already served 5-1/2 years when he sought for mercy from Government. Since no orders were passed by the Government on this prayer he prayed for granting bail. Refusing to grant bail the Punjab and Haryana High Court observed that the very concept of mercy rests on the compassion of the mercy giver. There is no such thing as a right to obtain mercy. The idea of letting a convict to go on bail on the pain of the mercy petition not being decided within the time limit ran counter to the mandatory provisions of Section 433(A). *Jagtar Singh v. State of Punjab*, 1987 Crl. L.J. 606.

Anticipatory Bail ; Dowry Cases :- The Supreme Court was commenting upon the grant of anticipatory bail to an accused in a dowry case by the Rajasthan High Court. It criticised the insufficient manner in which the Courts grant anticipatory bail in cases involving dowry deaths. *Samunder Singh v. State of Rajasthan*, (1987) 1 SCC 466.

Successive Bail Applications :- The convention that subsequent bail application should be placed before the same Judge who may have passed earlier orders has its roots in principle. It prevents abuse of process of Court inasmuch as an impression is not created that a litigant is shunning or selecting a Court depending on whether the Court is to his liking or not, and encouraged to file successive applications without any new factor having cropped up. If successive bail applications on the same subject are permitted to be disposed of by different Judges there would be conflicting orders and a litigant would be pestering every Judge till he gets an order to his liking resulting in the credibility of the Court and the confidence of the other side being put in issue and there would be wastage of Court's time. Judicial discipline requires that such matter must be placed before the same Judge, if he is available for orders. *Shahzad Hassan Khan v. Ishtiaq Hassan Khan*, 1987 Crl. LJ 1872.

Discharge of surety or lapse of time : Bail :- The Supreme Court has explained that the order for release on bail is not extinguished or defeated by the discharge of surety or lapse of time. The High Court and following it the Special Court had taken the view that the order for bail was ineffective by lapse of time and filing of charge sheet. *Raghubir Singh v. State of Bihar*, 1987 Crl. L.J. 157.

Practising lawyers not to be accepted as Sureties

13. Practising lawyers shall not be accepted as sureties.

Verification of Solvency of Sureties.

14. (1) The reponsibility for accepting the surety as solvent for the required amount is primarily that of the Presiding Officer of the Court and in ordinary cases he should discharge it himself by making such summary enquiy as in the circumstances of the case he may think fit.

(2) The production of a solvency certificate from the Revenue Authorities is not always essential and may be insisted upon only in cases of doubt and cases involving large sums.

(3) For the purpose of determining whether the sureties are solvent, the Court may, if it thinks fit, accept affidavits in proof of the facts contained therein relating to the solvency of the sureties, or may make such further enquiry as it deems necessary.

(4) Insistence upon the possession of immovable property by sureties in bonds of small amounts not exceeding *[Rs. 3,000] would cause serious inconvenience to the accused in procuring a surety.

* Substituted by Notification No. P.0804/85, dated 25.10.86 M.G.G., pt. IV-C, P.779.

The Judge or Magistrate may therefore, in suitable cases, where the amount of the bond does not exceed *[Rs. 3,000] assess the solvency of the surety even upon the basis of his movable property and assets. The intending surety should present his application for suretyship in the model form which is prescribed below for guidance. The Clerk of the Court in the Sessions Court or Nazir or Senior Clerk in the Magisterial Courts should check the proofs accompanying the applications, and thereafter place the matter before the Judge or Magistrate with his remarks. The Judge or Magistrate should consider the application in the light of the proof, produced and, if necessary, examine the surety personally and may also call for further and better proof. The Judge or Magistrate after holding a summary enquiry may pass an order either accepting the surety or rejecting the application as he deems fit.

(5) To facilitate checking one person standing surety in several cases, a declaration form should be appended to the surety bond and intending surety should be asked to sign a declaration stating whether he has stood surety in any other pending cases. Such a declaration would enable the Police Officer or the Magistrate concerned to decide whether the surety should be accepted or not. If the declaration thus signed by a surety is found to be false subsequently, necessary action can be taken against him for such a false declaration.

FORM

In the Court of the. . . . . Judge/Magistrate. . . . .

. . . . .Application No. . . . . . . of 19. . . . . .

. . . . (In re : Case No. . . . . . of 19. . . . .

Remand Application of the. . . . . Police Station): State (or as the case may be Complainant.

v.

. . . . Accused. . . . .

I (Name of Surety). . . . . solemnly affirm and state as follows :-

(1) I beg to offer myself as a Surety for Accused No.. . . . . (full name of the accused) . . . . who is charged under section . . . . . and who has been ordered to be released on bail in the sum of Rs. (in words) . . . . with the. . . . .

Surety/Sureties in the like amount, by the . . . . Court (or by Your Honour) on / /19 .

(2) I give below certain particulars concerning myself:-

(A) Full name of the Surety
Qualifications, if any
Full Residential Address
Period for which Surety has been residing at the above address
Rent paid for the residence
Whether the rent bill of the residence stands in the Surety's name

(B) Occupation or business
Full business address
Nature and extent of business, and

Surety's share therein :
Rent paid for the place of business ;
Whether the rent bill of the place of business stands in the Surety's name ;

(C) Name and address of the employer, if the Surety is in service ;
Full address of the place of service ;
Amount of monthly pay and allowances drawn :
Length of service with the employer :
Amount of Provident Fund, if any, at Surety's credit.

(D) Full particulars of house-property owned, if any, its location, rateable value, and the Surety's share or interest therein ; and whether it is in any way encumbered :

(E) Amount of income-tax paid during each of the last three years:
Banking accounts, if any:
Amounts now lying in each banking account:

(F) Length of time for which the Surety has known the Accused personally :Whether the Surety is related to the Accused; if so, how?
Whether the Surety has stood surety for any other person in the preceding six months. If so, state the names of the parties; the amount for which the surety has stood for them; the Court and the number of the cases against those accused ; and whether the case or cases against those persons are pending or have concluded:
Whether the Surety has, at any time, had his surety bond forfeited. If so, give particulars:
Whether the Surety has, at any time, made an application for suretyship which was rejected ; if so, give the particulars thereof:
Whether the Surety is, (or has been)
Whether the Surety himself has been involved in any civil litigation : Whether the Surety himself has been concerned in any case as an accused person : if so, give particulars of the case:

(G) Any other particulars in regard to the status of the Surety, or his income and assets, which the Surety may desire to give.

(3) I produce the following proof in support of my statements, and give particulars of the same as below :-
(Rent bills of place of residence)
(Ration Card)
(Rent bills of place of business)
(Deed of partnership or other documents relating to business)

(Certificate from the employer)
(Certificate of amount in the Provident Fund)
(Title deeds of properties)
(Municipal bill of the properties)
(Bank pass books)
(Income-tax payment receipts)
(Other proof).

(4) I pray that I may be accepted as a Surety for the above mentioned Accused in the sum of Rs.................(In words)

(5) I hereby declare that I have not stood surety in any other pending case or cases.

Solemnly affirmed at. . . . .
this day . . . . day of. . . . . 19. . . . . (Signature of the Surety)
(Identified . . . . Advocate)
Before me,
Judge/Magistrate,
Court

(6) Attention of the Magistrates is drawn to the High Court Circular No. E-4110/54, dated the 21st September, 1955, which is reproduced verbatim below :

"Their Lordships are pleased to direct that all criminal Courts should keep a list of sureties in the proceeding that comes up before them. A copy of this list, alphabetically arranged, should be sent every month to the Sessions Court. From these lists received from the Subordinate Courts, the Sessions Court should prepare a consolidated alphabetical list of sureties after adding to it the names of sureties in the proceedings before itself. Additions will continue to be made to this list every month as names will be received from the Subordinate Courts. This list may be called list "A" for reference. Immediately a person is found to have been surety for two different accused persons in two different matters in this list, there would be a case for bringing his name on another consolidated list, which may be called list "B" for reference, kept for the whole District so that his activities will be watched. Unless his name is brought on such a list and each Court has got a copy of the list (list B), one Court would not know what the surety is doing in other Courts and it would be a long time before the Courts come to know that any person is, as a matter of fact, working as a professional surety. Each Court should also be informed every month of the additions, if any, made to this list. Officers in charge of the work of accepting sureties should refer to this list (List B) before accepting a surety, and they are advised to reject the bail of any person who, they feel, is standing surety for an accused person, for consideration." Both the lists "A" and "B", as aforesaid, should be maintained in the following form :-

Date	Name of Surety Criminal	Case No.
1	2	3

(7) Attention of the Magistrates is drawn to Section 446 read with Section 421 of the Code of Criminal Procedure, 1973, which does not provide for sentence of imprisonment in Civil Jail for non-payment of the forfeited bond amount if the same cannot be recovered by attachment of property of the surety.

15. (1) The following instructions are issued by Government regarding issue of solvency certificates for production in Criminal Courts -

Revenue Officers not below the rank of Naib Tahsildar (exercising powers of Tahsildar) are authorised to issue Certificates of

संख्या–837/XX(5)/06–13हो0गा0/02

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस,
उत्तरांचल,देहरादून।

गृह अनुभाग–5

देहरादूनः दिनांक 29 सितम्बर,2006

विषयः– उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–27/होगा/2001/318,दिनांक 20–7–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश संख्या–1646(2)/हो0गा0/गृह–3/2003,दिनांक 26 फरवरी,2003 द्वारा निर्गत की गयी उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क में संशोधन करते हुए निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–1 के स्थान स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क में वर्तमान प्राविधान	प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क में संशोधित प्राविधान
1	2
क–कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना:– (1) विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु– पच्चीस रूपये से 10 हजार (इसके अन्तर्गत चुनाव, कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होगी) (2) मृत्यु तथा स्थाई अपंगता ड्यूटी के समय हुई दुर्घटना– रू0 02 हजार (3) सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने पर– रू0 10 हजार	क–कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना:– (1) साम्प्रदायिक दंगों के समय मृत्यु होने की दशा में– रू0–50000/– (2) विशेष जोखिम ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में– रू0–20000/– (3) सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने की दशा में– रू0–10000/– (4) उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों की स्थायी अपंगता की दशा में उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई धनराशि सहायता के रूप में दी जायेगी।

क्रमशः 2/--

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—973 / XXVII(1) / 2006, दिनांक 25 सितम्बर,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विभा पुरी दास
प्रमुख सचिव।

संख्या—837(1) / XX(5) / 06—13हो0गा0 / 02,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.—

1— महालेखाकार,उत्तरांचल,ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून ।
2— समस्त,जिला मजिस्ट्रेट,उत्तरांचल ।
3— समस्त जिला कमाण्डेन्ट,होमगार्ड्स,उत्तरांचल।
4— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
5— वित्त अनुभाग—1
6— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून ।
7— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

32.......
1.10.06.

अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय भवन, 12—सुभाष मार्ग,
देहरादून, उत्तरांचल।

पत्रांकःअभि०नि० / अनु०—3 / 77(संविदा) / 2005 / 273 / 2006 दिनांकः 29 सितम्बर, 2006.

समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
समस्त अभियेजन अधिकारी प्रभारी,
उत्तरांचल।

निदेशालय को जनपद प्रभारियों से इस आशय के पत्र प्राप्त हो रहे है कि उनके अधीनस्थ नियुक्त नामिका वकीलों को वेतन के भुगतान व मुख्यालय से बाहर कैम्प न्यायालय में अभियोजन कार्य सम्पादन करने की स्थिति में यात्रा भत्ता देय है अथवा नहीं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये जाँय।

2. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत नामिका वकीलों का मानदेय का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से किया जाना है।

3. यदि किसी जनपद में नियुक्त नामिका वकील को सरकार की ओर से अभियोगों की पैरवी हेतु मुख्यालय से अन्यत्र भेजा जाता है, तो उसके लिये जिला मजिस्ट्रैट से आदेश प्राप्त कर नामिका वकीलों की सेवायें राजकार्य सम्पादन में ली जा सकती है। उनके यात्रा भत्ता का भुगतान भी आपके जनपद में नियुक्त जिला शासकीय अधिवक्ता व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की भाँति जिला कार्यालय से ही भुगतान किया जाना है।

4. तद्नुसार अपने अधीन नियुक्त समस्त नामिका वकीलों को इस आदेश से अवगत कराना सुनिश्चित करें। ताकि राजकार्य में किसी प्रकार की रुकावट अथवा कठिनाई उत्पन्न न हो।

(आलोक बि० लाल)
निदेशक अभियोजन, उत्तरांचल,
देहरादून।

प्रतिलिपिः—

समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल, को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आलोक बि० लाल) 29/9/06
निदेशक अभियोजन, उत्तरांचल,
देहरादून।

संख्या: 835/XX–6/41/वि०रा०/2006

ओ०पी०तिवारी,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

वर्ष 2006-07
विभाग OC/JA
पत्रावली सं०
क्रम सं०
पत्र सं० 144
दिनांक 17/10/06

में,

1– समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तरांचल।

नुभाग–6 देहरादून : दिनांक : 9 अक्टूबर, 2006

:– विधिवत निर्गत पासपोर्ट एवं बीजा के अंतर्गत वर्तमान में विदेश (यू०के०आदि) में रहने की दशा में उनसे उनके (भारत में) निवास की विगत अवधि के चरित्र प्रमाण पत्र की मांग किये जाने के सम्बन्ध में।

य,

उत्तरांचल राज्य के ऐसे व्यक्ति जो विदेश (यू०के० आदि) में वर्तमान में रह रहे । उनको विधिवत पासपोर्ट एवं बीजा जारी है, किन्तु वहाँ पर उनके नियोक्ता द्वारा उनके में अपने क्षेत्र में पूर्व में निवास की गयी अवधि में चरित्र सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्रों ांग की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकार के प्रकरणों के ध में जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र से न्धित आवेदकों के पूर्व अवधि के मूल अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर चरित्र प्रमाण निर्गत करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
05/10/06
(ओ०पी०तिवारी)
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विभाग
संख्या: 1774/VIII/70-श्रम/01
देहरादून दिनांक: 11 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश, औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्याः 28–1947) सपठित धारा–89 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) द्वारा अंगीकृत किया गया है, की धारा–4–बी के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम श्री राज्यपाल समस्त उत्तरांचल राज्य के लिये उक्त उ0 प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 के अन्तर्गत अनुसूची एक व दो में उल्लिखित मामलों से सम्बन्धित विवादों के अभिनिर्णय हेतु श्री एस0 के0 रतूड़ी,पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून को अग्रिम आदेशों तक अथवा पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय,हल्द्वानी की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, उ0 प्र0 औद्योगिक विवाद नियमावली –1957 के नियम –13 के अधीन औद्यौगिक न्यायाधिकरण, उत्तरॉचल, हल्द्वानी जनपद नैनीताल व श्रम न्यायालय, कुमायूँ क्षेत्र, हलद्वानी जनपद नैनीताल में विचाराधीन वादों की सुनवाई एवं निपटारे हेतु अधिकृत करते हैं ।श्री रतूड़ी यथासम्भव प्रत्येक माह के 15 दिन कार्यदिवस में उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची एक व दो में उल्लिखित मामलों के निस्तारण हेतु बैठने का स्थान हल्द्वानी जनपद नैनीताल भी नियत करेंगे ।

वर्ष 2006-07
विभाग ADM/06-30
पत्रावली सं0 ....
क्रम सं0 ....
पृष्ठ सं0 158
दिनांक 19/10/06

(एस0 राजू)
सचिव ।

पृष्ठॉकन सॅख्याः 1774/VIII/70-श्रम/01 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवँ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 – श्रमायुक्त, उत्तरॉचल, श्रम भवन , भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी ,नैनीताल ।
2 – उप– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
3 – अपर /उप श्रमायुक्त, उत्तरॉचल, देहरादून ।
4 – उप श्रमायुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी जनपद नैनीताल ।
5 – सम्बन्धित अधिकारी ।
6 – निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
7 – पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून ।
8 – कोषाधिकारी, हल्द्वानी,नैनीताल ।
9 – जिलाधिकारी, नैनीताल ।
10 – गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
एस0 राजू)
सचिव ।

संख्याः 702 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक 21 सितम्बर, 2006

विषय:- महत्वपूर्ण प्रकरणों में शासन को भेजे जाने वाले संदर्भ विषयक।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि अति महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रकरणों में भी शासन स्तर से स्वीकृति हेतु कतिपय जनपदों से प्रभारी अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारियों के हस्ताक्षरों से संदर्भ शासन को प्रेषित किए जा रहे हैं, जिससे यह संभावना बलवती होती है कि जिलाधिकारी के पूर्ण संज्ञान एवं विचारण के बिना ऐसे प्रकरण शासन को भेजे जा रहे हैं जो कि अनुचित है। भूमि क्रय अनुमति, भूमि आवंटन एवं दैविय आपदा से क्षतिग्रस्त सामुदायिक परिसम्पत्तियों के तात्कालिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों में ऐसी प्रकिया अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगोचर हो रही है।

2- इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी महत्वपूर्ण एवं गम्भीर मामलों में जिलाधिकारी के ही हस्ताक्षर से प्रस्ताव/ प्रकरण शासन का संदर्भित/ अग्रसारित किए जायं। अपवाद स्वरूप जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों से यह आशय लगाया जाएगा कि प्रेषक अधिकारी ने सुनिश्चित कर लिया है कि जिलाधिकारी की पूर्वानुमति से ही प्रस्ताव/ प्रकरण शासन को भेजा जा रहा है। यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ही ऐसे प्रस्ताव/संदर्भ भेजे जाते हैं तो ऐसा कृत्य दण्डनीय होगा। कृपया इन निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

संख्या: 2752/XXX(2)/2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

फैक्स से

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांचल ।
3. मण्डलायुक्त,
   गढवाल/कुमायूँ ।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल ।

2006-07 ADM/OC/B.C/
305
6/11/06

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 27 अक्टूबर, 2006

विषय:-उत्तरांचल फैडरेशन आफ मिनिस्टीयिल सर्विसेज एसोसियेशन द्वारा आहूत हड़ताल में शामिल किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल फैडरेशन आफ मिनिस्टीयिल सर्विसेज एसोसियेशन की माँगों के सम्बन्ध में शासन के साथ सम्पन्न समझौता के कम में निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीयिल फैडरेशन एसोसियेशन द्वारा आहूत हड़ताल में शामिल किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नही की जायेगी ।

2. कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 287 /IX(38)/2006-07/ह0प0/अनु0/संचा0/2006–2007

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादूनः दिनांक 16 अक्टूबर, 2006

विषय– राज्य के स्वामित्व वाली हवाई पटटी गौचर(चमोल), पिथौरागढ (नैनीसैनी), चिन्यालीसौढ (उत्तरकाशी) की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निजी संस्थाओं को अनुबन्धित किये जाने की प्रशासनिक एवम वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 619/रा0न0उ0नि0/एस–4/2006 दिनांक 23 अगस्त, 2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार विचाराधीन प्रकरण में गौचर (चमोली) चिन्यालीसौढ (उत्तरकाशी) एवं नैनी सैनी (पिथौरागढ़) हवाई पट्टियों, तथा स्टेट वीआईपी हैंगर, जौलीग्राण्ट, देहरादून की सुरक्षा ब्यवस्था हेतु स्टेट वीआईपी हैंगर, जौलीग्राण्ट, देहरादून के प्रकरण के अनुरुप तात्कालिकता को देखते हुए स्थानीय पॉच फर्मो से प्राप्त कोटेशन के तुलनात्मक न्यूनतम् दर वाली फर्म से ही प्रत्येक हवाई पट्टी हेतु दो–दो तथा स्टेट वीआईपी हैंगर,जौलीग्राण्ट हेतु तीन सुरक्षा गार्ड आगामी तीन माह की अवधि के लिये अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही टैण्डर विषय नियमों में इस सीमा तक शिथिलीकरण भी इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाता है कि भविष्य में इस निमित्त टैण्डर आमन्त्रित कर ब्यवस्था सुनश्चित की जाय।

2– उक्त के सम्बन्ध में ब्यय होने वाली धनराशि की अलग से स्वीकृति नही प्रदान की जा रही है बल्कि इसका ब्यय शासनादेश संख्या– 49/IX/(31)/2006-2007/बजट/प्लान/नॉन प्लान/2006 –07 दिनांक 28 अप्रैल, 2006 द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल, देहरादून के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से ही किया जायेगा।

3– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

4– हवाई पट्टियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्बन्धित फर्म के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिया जायें। जिसमें विस्तृत दिशा–निर्देश उल्लिखित हो।

5— यद्यपि सुरक्षा ऐजेन्सी पर पूर्ण नियन्त्रण विभाग का ही रहेगा तथापि पिथौरागढ़,गौचर एवं चिन्यालीसौढ़ हवाई पट्टियों के प्रकरण में स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रथम बार सूचना उपलब्ध कराये जाने के बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति में कार्य आवंटित किया जाये । ताकि वे प्रतिदिन उसी अनुरूप अपने कार्य को निष्पादित कर सकें । सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह के देयक जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी से सत्यापित /प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये भुगतान हेतु निदेशालय को प्रस्तुत किये जायेगे । जिलाधिकारी स्वयम् अथवा अपने नामित प्रतिनिधि के माध्यम से सुरक्षा ऐंजेन्सी के कार्य का अनुश्रवण कर सकेंगे तथा सुरक्षा के मध्येनजर कभी भी कोई भी दिशा निर्देश स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप दे सकेंगे ।

6— सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा अनिवार्य रूप से सम्बन्धित जिले के स्थायी निवासियों को ही सुरक्षा गार्ड पर रखने हेतु प्रथम वरीयता प्रदान की जायें ।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006—2007 के अनुदान संख्या— 24 के लेखाशीर्षक 3053 नागर विमानन—80 सामान्य—आयोजनेत्तर—003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा—03 नागरिक उड्डयन—00— 16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवा के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा

8— यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या—924 /XXVII(2)/2006 दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(पी0सी0. शर्मा)
प्रमुख सचिव,

<u>संख्या—287/IX(38)/2006-07/ह0प0/अनु0/संचा0/2006—2007,समदिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2— आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल ।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5— स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल ।
6— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7— वित्त अनुभाग—2
8— बजट संसाधन एवं राजकोषीय निदेशालय ।
9— गार्ड फाईल ।
10— एन0आई0सी0 उत्तरांचल ।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव,

संख्या– /XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव
एवं अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

2– आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

4– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तरांचल।

5– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

6– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 8 नवम्बर, 2006

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम अवधि के लिए जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक, नियुक्ति हेतु चयन में 5% का अधिमान दिये जाने तथा अगले 5 वर्षों के लिए उनको 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त 7 दिन से अधिक अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारी या घायल आन्दोलनकारी को सेवायोजन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि 7 दिन से अधिक अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारी अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों में कतिपय आन्दोलनकारी 50 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थिति के कारण सेवायोजन में अनर्ह हैं अथवा अक्षम हैं। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों में से

निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक व्यक्ति, जो आन्दोलनकारी पर पूर्णरूप से आश्रित हो को शासनादेश संख्या–1270, तीस–2/2004 दिनांक 11–8–2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा:-

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं है।

(2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं।

(3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

3– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

4– उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण की सुविधा आगामी चयनों के अतिरिक्त उन चयनों में लागू होगी जिन पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त न हुई हो। जहाँ आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त नहीं हुई है, वहाँ ऐसे चयनों में उक्त चिन्हित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु 20 दिन की अवधि बढ़ा दी जायेगी। जहाँ पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गयी हो और चयन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी हो, वहाँ उपरोक्त आरक्षण की सुविधा लागू नहीं होगी।

5– उक्त श्रेणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित है, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे :–

(1) पत्नी
(2) आश्रित पुत्र
(3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां

6– 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की उपरोक्त व्यवस्था शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11.8.2004 में निर्धारित अवधि अर्थात चयन वर्ष 2008–09 तक ही अनुमन्य होगी, उसके पश्चात उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्या–

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– महानिरीक्षक कारागार,
उत्तरांचल, देहरादून।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

2006-07 ... XIX- Am(...)
... 870
दिनांक 19/12/06

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2006

विषय– कारागारों पर सर्दी के दौरान अलाव जलाने एवं बन्दियों को अतिरिक्त एक चाय दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2003/XX(2)–269/कारा0–03/2004, दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 एवं शासनादेश संख्या–2480/XX(4)–269/कारा–03/ 2005, दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की भाँति शीत लहरी के समय कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को दोनों समय अतिरिक्त एक चाय एवं बैरिक आहातों में अलाव जलाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक जारी रहेगी।

2– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कारागार में निरूद्ध बन्दियों को सर्दी से बचाये जाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षक/कारापालों द्वारा पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किये गये हैं अथवा नहीं, के सम्बन्ध में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
अनुसचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, उधमसिंहनगर।
2. समस्त अधीक्षक, जिला कारागार/उप कारागार, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
अनुसचिव।

निदेश... युवा कल्याण एवं प्रान्तीय ... दल उत्तरांचल, देहरा...

संख्याः-... / एस0-815 / 03-04 / 2006-200...   दिनांक ..., जुलाई, 20...

आदेश

...लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार की संस्तुति दिनांक ... 2006 एवं युवा कल्याण अनुभाग, उत्तरांचल ... के शासनादेश संख्या ... / 2006-... / 2003, दिनांक 06 ..., 2006 के क्रम में ... क्षेत्रीय युवा ... प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारियों को चयन ... के ... उल्लिखित अधिकारी को पद रिक्त होने की तिथि ... 01 नवम्बर, 200... एवं क्रमांक-2 पर उल्लिखित अधिकारी को पद रिक्त होने की तिथि दिनांक ... फरवरी, 2005 से जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 5000-150-8000 में अस्थायी रूप से पदोन्नत करते हुये कालम संख्या-6 में अंकित जनपद में तैनात किया जाता है।

क्र0सं0	नाम अधिकारी	वर्ग	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति पर नई तैनाती
1	2	3	4	5	6
1-	श्री गिरीश चन्द्र परगांई	सामान्य	नैनीताल	उधमसिंह नगर	देहरादून
2-	श्री डूगरनाथ गोस्वामी	सामान्य	नैनीताल	नैनीताल	रूद्रप्रयाग

2- उपर्युक्त प्रोन्नत किये गये अधिकारियों को वर्तमान पद से कार्यमुक्त करते हुये निर्देशित किया जाए कि वे अपनी पदोन्नति के पद पर आदेश प्राप्त करने के सात दिन के भीतर नई तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लें। सात दिन के भीतर सम्बन्धित जनपद में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति पर जाने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनकी पदोन्नति समाप्त समझी जायेगी।

3- ... प्रोन्नत किये गये अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा काल संतोषजनक न पाये जाने पर उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।

क्रमशः-2

4— प्रोन्नत किये गये अधिकारियों की ज्येष्ठता कार्मिक अनुभाग— अधिसूचना संख्या—13/2/91—टी0सी0का—1/1991, दिनांक 20 मार्च, 1991 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्धारित की जायेगी।

(अमिताभ श्रीवास्तव)
निदेशक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
2— मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4— जिला युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5— प्रोन्नत किये गये सम्बन्धित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी—द्वारा जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6— पेंशन एवं स्थापना सहायक मुख्यालय।
7— एक प्रति गार्ड फाईल हेतु।
8— एक-एक प्रति सम्बन्धित प्रोन्नत अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
9— अपर सचिव, युवा कल्याण, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
10— सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या—563/03/डी0पी0सी0/सेवा/2003—2004, दिनांक 04 जुलाई, 2006 के कम में मा0 आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित।

12-7-06
(अजय कुमार अग्रवाल)
सहायक समादेष्टा,
युवा कल्याण एवं प्रारद,
उत्तरांचल, देहरादून।

(66)

गोपनीय

संख्या: 13.../6-9-3[17]/87,

प्रेषक,

श्री ... प्रसाद,
प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 1987

गृह [पुलिस] अनुभाग-9

विषय: उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप [निवारण] अधिनियम, 1986 से संबंधित वादों के अभियोजन हेतु लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक हेतु नियुक्त किये गये ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों/अपर लोक अभियोजकों की सुरक्षा व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप [निवारण] अधिनियम, 1986 से संबंधित वादों के विशेष न्यायालयों में अभियोजन हेतु जनपदों के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों/अभियोजन अधिकारियों को लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है ।

2- यह उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित अभियुक्त बहुत ही खतरनाक अपराधी होते हैं फलस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही करने वाले लोक अभियोजकों/अपर लोक अभियोजकों की जान का खतरा बना रहता है ।

3- अत: अनुरोध है कि आपके जनपद के वे सभी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी जो उक्त अधिनियम के अपराधों के अभियोजन हेतु लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हों, को विशेष न्यायालयों में अभियोजन करने हेतु आवागमन के लिए शासकीय वाहन एवं सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

हस्ताक्षर/-

9190
13.8.04

संख्या [illegible] 2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 11 अगस्त, 2004

विषय:– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुए /जेल गये आन्दोलनकारियों को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया और सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुए आन्दोलनकारियों तथा सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल भेजे गये आन्दोलनकारियों, जिनकी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल होने और सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल जाने की पुष्टि समस्त अभिलेखों से समुचित रूप से कर ली गयी हो, को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर तथा समूह 'घ' के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियाँ प्रदान कर दी जाये। ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जिले में समस्त विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों का चिन्हान्कन करने के पश्चात् आन्दोलनकारियों की शैक्षिक योग्यता के

2– कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या ______(1)/सीस–2/2004 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पंजीकृत संख्या—यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई०
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 417/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27–01–2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974)
(संशोधन) अधिनियम, 2005
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 07, सन् 2005)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) अधिनियम, 2005 होगा। — संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

1145

रण गजट, 27 जनवरी, 2005 ई० (माघ 07, 192

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम

कहा गया है) की धारा 9 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द "पाँच रुपये" के स्थान पर

दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़

"(5) जहां किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा

कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या

जाता है वहां न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में आगे

...गी।"

No. 417/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, January 27, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Const. Governor is pleased to order the ... English translation of the Uttar Pradesh Advocate Welfare ... Bill, 2005 (Uttar... Sankhya 07 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by ... 27-01-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ADVOCATE WELF... FUND ACT, 1974) (AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT No. 07 OF 2005)

Further to amend the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act ... cation to Uttaranchal

AN

ACT

Be It Enacted by the State Assembly of Uttaranchal in the Fifty-... Republic of India as follows :-

Short title and Extent

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pra... Welfare Fund Act, 1974) (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall extends to the whole of Uttaranchal.

Amendment of Section 9 of Principal Act No. 8 of 1974

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fu... (hereinafter referred to as principal Act) :-

(a) in sub-section (1) for the words "five rupees" the words "ten... be substituted;

(b) after sub-section (4), the following sub-section shall be inser...

"(5) where in any case the welfare stamp referred to in sub-sec... affixed on the Vakalatnama or is not filed by any advocate, the court sh... such advocate for further proceeding in that case."

By, ...

I. J. MAl...

Principa...

पी० ... (विधायी)/31–2005–654-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तरांचल शासन
ऊर्जा विभाग
संख्या 271 /I/2005-05/107/2003
देहरादून: दिनांक 11 फरवरी, 2005

जिलाधिकारी
नैनीताल
28 FEB 2005

अधिसूचना

कार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है।

र प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्र
की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल
दिनांक से छः माह की अवधि के लिये उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0
एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0 में समस्त श्रेणी के
ताल निषिद्ध करते हैं।
की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि
जायेगा।

एन. रवि शंकर
सचिव

ांक।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
ल शासन।
नियामक आयोग, देहरादून।
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 एवं
न ऑफ उत्तरांचल लि0 को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को
उपक्रम के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।
ढ़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
चल।
क, उत्तरांचल।
नल।

आज्ञा से,
(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

ांक।
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को
ध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस अधिसूचना को इसके निर्गत होने की
सामान्य भाग-4 खण्ड (ख) अंक में प्रकाशित कर 25 प्रतियां शासन को

आज्ञा से,
(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

महत्वपूर्ण

अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय भवन, 12--सुभाष मार्ग,
देहरादून उत्तरांचल।

पत्रांक अभि0नि0/14../2003--2005/ दिनांक 25 फरवरी, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विषय: न्यायालय के आपराधिक वादों में परीक्षण के दौरान माल मुकदमाती प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

शासन स्तर पर दिनांक 19--2--2005 को मुख्य सचिव महोदय उत्तरांचल शासन के कार्यालय कक्ष में आहूत की गई गोष्ठी के दौरान मेरे संज्ञान में यह बात लाई गई है कि जनपदीय न्यायालयों एवं उपखण्डीय न्यायालयों में फौजदारी अभियोगों के परीक्षण के दौरान सम्बन्धित थानो/सदर मालखाना से माल मुकदमाती न्यायालयों में नियत तिथियों पर प्रस्तुत नहीं किया जाते हैं जिस कारण न्यायालय का कार्य प्रभावित होता है तथा मुकदमें के निस्तारण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

अतः जनपदीय प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे माल मुकदमाती नियत तिथि पर परीक्षण के दौरान न्यायालयों में हर दशा में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही कठोरता से पालन करना सुनिश्चित करें, जिससे कि न्यायालय का कार्य बाधित न हो और अभियोगों का निस्तारण त्वरिक गति से किया जाना सम्भव हो सके।

(आर0सी0शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
उत्तरांचल देहरादून।

प्रतिलिपि,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,/पुलिस अधीक्षक उत्तरांचल।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी देहरादून/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,हरिद्वार,पौडी।
अभियोजन अधिकारी टिहरी,चम्पावत।
प्रभारी सहायक अभियोजनअधिकारी,उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/चमोली/बागेश्वर/अल्मोडा एवं पिथौरागढ।
गार्ड फाईल हेतु।

24/2/05

(आर0सी0शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
उत्तरांचल देहरादून।

संख्या: 84-रा(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005

प्रेषक,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय विभाग   देहरादून, दिनांक 03 मार्च, 200

विषयः— प्रत्येक वकालतनामें पर रु0 10/— (दस रुपये) का अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प लगाया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) की धारा—9 में उत्तरांचल राज्य द्वारा कुछ संशोधन किये गये हैं जिनका प्रकाशन उत्तरांचल राज्य के शासकीय गजट दिनांक 27—01—2005 में हो चुका है और इस प्रकार यह संशोधन दिनांक 27—01—2005 से प्रभावी हो गये हैं।

2— उक्त संशोधन के उपरान्त प्रत्येक वकालतनामा, जो मा0 उच्च न्यायालय, अधिकरण, अन्य किसी न्यायालय या व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, पर रु0 10/— (दस रुपये) का अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प लगाया जाना आवश्यक है। यदि एक वकालतनामें पर एक से अधिक अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हों तब प्रत्येक अधिवक्ता द्वारा रु0 10/— का अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प लगाया जाना आवश्यक है। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामें पर उक्त निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता है तब न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा। इस स्टाम्प का मूल्य न तो वाद की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाएगा और न ही किसी भी स्थिति में वाद के पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस स्टाम्प का मूल्य केवल सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

3— अतः उक्त गजट नोटिफिकेशन दिनांक 27—01—2005 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुरोध है कि मा0 उच्च न्यायालय के अधीक्षण में सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त उपबन्धों से अवगत कराते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

सं० /छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि ... उनके अधिनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष यदि कोई वकालतनामा प्रस्तुत होता है तो उस पर रु0 10/- का आवश्यक कल्याण कारी स्टाम्प लगवाना सुनिश्चित करें :-

1- अध्यक्ष उत्तरांचल बार कौंसिल, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
2- प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
4- मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
5- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, 26, ई.सी. रोड, देहरादून।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7- परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।
8 आयुक्त कर, उत्तरांचल, 2/5 आशीर्वाद इन्क्लेव, चकराता रोड, देहरादून।
9- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, 27 राजपुर रोड, देहरादून।
10- निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

(आर0 डी0 पालीवाल)
अपर सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल ।
पत्र संख्या /20-न्याय सहा0/2005 दिनांक अप्रैल 8, 2005 ।

प्रतिलिपि समस्त परगनाधिकारी / तहसीलदार जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि रीडर जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कृते जिलाधिकारी
नैनीताल ।

(5) 150 151(6)

संख्या– /मु0रा0आ0/05
ADM/01/ACRC

प्रेषक,

मुख्य राजस्व आयुक्त/
मुख्य संचालक राजस्व पुलिस,
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

मण्डलायुक्त/
अपर मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।

दिनॉक मार्च–10 2005.

महोदय,

जैसा आप अवगत हैं कि प्रदेश का 65 प्रतिशत भू–भाग दुर्गम पर्वतीय है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राजस्व पुलिस के पास है। राजस्व पुलिस के कार्यों के निर्वहन हेतु एवं यथेष्ट मार्ग दर्शन हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1077/18(1)/2004 दिनांक 31–12–2004 द्वारा राजस्व पुलिस संगठन का गठन किया गया है। राजस्व पुलिस संगठन में निम्न प्रकार अधिकारियों को पदेन रूप से पदों के विपरीत नामित किया गया गया है:–

1. मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस– मुख्य राजस्व आयुक्त (पदेन)

2. अपर मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल(पदेन)
एवं
आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, (पदेन)

3. संचालक, राजस्व पुलिस अपर मुख्य राजस्व आयुक्त(पदेन)

राजस्व पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत घटित घटनाओं/अपराधो की नियमित रूप से समीक्षा मुख्य संचालक राजस्व पुलिस स्तर पर एवं अपर मुख्य संचालक राजस्व पुलिस स्तर पर प्रत्येक माह नियमित रूप से की जानी है। समीक्षा के अन्तर्गत घटित अपराधों की संख्या, विवेचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने सम्बन्धी स्थिति की विवेचना की जानी है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलायुक्त/पदेन अपर मुख्य संचालक, राजस्व पुलिस अपने अधीनस्थ जनपदों के राजस्व पुलिस के कार्यो की समीक्षा करते हुए लम्बित मामलों की अध्यावधिक स्थिति संलग्न विवरण पत्र पर नियमित रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट

1

... अपने ... र से भी अधीनस्थ राजस्व पुलिस अधिकारियों/कर्म... ... लम्बित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित करें ... शासन ... मन्शा के अनुरूप राजस्व पुलिस को अधि... कारगर ... जा सके।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त
संचालक, राजस्व पुलिस,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नैनीताल

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त/
संचालक, राजस्व पुलिस,
उत्तरांचल, देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या /20-न्याo सहाo/2005 दिनांक अप्रैल , 2005

छाया प्रति परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल/धारी/कोश्याकुटोली को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया सम्बन्धित को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देने का कष्ट करें।

कृते जिलाधिकारी,
नैनीताल।

f,

ाग,
ासन ।

सेवा में,

ाधिकारी,
।

देहरादूनः दिनांक 09 मई 2001

विषय, ो भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन ... के स्तर प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। शासन स्तर पर सत्यापित करने से पूर्व ऐसे प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र को त्रुटि ... संगत बनाने के उद्देश्य से आप कृपया ऐसे अधिकारी जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम का न हो, को प्रमाण पत्र सत्यापित किये जाने हेतु अधिकृत कर दें और उक्त अधिकारी का नाम ... हस्ताक्षर नमूना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में तीन प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे प्रमाण पत्रों का सत्यापन या तो स्वयं जिलाधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाए, अन्य अधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन शासन को मान्य नहीं होगा।

2- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि आवेदक अपने प्रमाण पत्र को सत्यापन हेतु सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें और प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण पत्रों की औपचारिकताओं को पूर्ण कर भली भाँति परीक्षण/निरीक्षण करके उसे सत्यापित करने के उपरान्त पत्र के माध्यम से प्रशासन को सत्यापन हेतु प्रेषित करेंगे। शासन द्वारा ऐसे समस्त प्रमाण पत्र का सत्यापन कर संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा।

संख्या–17[illegible] / XX(6)–34 / [illegible]

आर०के०तोमर,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग 6 देहरादून: दिनांक: 22 जुलाई, 2005

2005

विषय: छात्र वीजा एवं चिकित्सा वीजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री डी०एस० मिश्रा, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०–25022/13/05-F.I, दिनांक 21.06.[illegible] एवं पत्र सं०–25022/26/05-F.I, दिनांक 21.06.2005 की छाया प्रति संलग्न कर सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(आर०के०तोमर)
अनुसचिव।

CURC ILAR NO ....34..

F. No. 25022/26/05-F.I
Government of India
Ministry of Home Affairs
Foreigners Division
****

Jaisalmer House,
Man Singh Road, New Delhi – 110011
21-6-05

Indian Missions and Posts abroad.

Subject : Introduction of a new category of visa 'Medical Visa' ('M'- visa)

Dear Mission,

It has been noticed that large number of foreigners are coming to India for medical treatment as Private Health Care in India is undergoing a fast change by improving super speciality facilities. At present foreigners coming for medical treatment in India are being granted tourist visa by Indian Missions abroad. Tourist visa is non-convertible, non-extendable and is valid only for six months. This causes unnecessary harassment to the foreigners who have come for medical treatment and require to live in India for more than six months. It is, therefore felt necessary to facilitate foreigne nationals, who wish to utilize specialized medical health care facilities, to come to India for medical treatment.

2. The mater has been considered in this Ministry and it has been decided to introduce a new visa category 'Medical Visa' ('M' visa). A new Chapter as Chapter 3A shall be added after Chapter 3 in the Visa Manual. The text of this new Chapter 3A regarding Medical Visa is annexed herewith.

3. These instructions shall come into force with immediate effect.

4. In addition to the introduction of Medical Visa, para 24(Chapter 1) of the Visa Manual may also be amended as follows :

"Following may be added after Research - R

अनुसचिव
(ओ.पी. तिवारी)
उप सचिव, गृह

Yours ever,

(D. S. Mishra)
Joint Secretary to the Government of India

Secretary, Ministry of Health and Family Welfare for information.

Sh Rajeev Talwar, Additional Director General, Ministry of Tourism with the request that the provisions of the new Medical Visa (M-visa) may be given wide publicity. (Reference ADG's letter No. 2 TTII (a)/05 dated .5.05).

Home Secretaries of all the State Governments and UT Administrations for information and with the request to delegate the powers for extension of stay for one year to concerned FROs.

Ministry of External Affairs (CPV Division).

Bureau of Immigration with request that the powers for extension of M visa may be delegated to FRROs/CHIO

Internal distribution

Dir (I&C)/DS (F)/DS (FC)/DS (BP)/US (FP)
All sections of Foreigners Division.
Computer Cell.

Chapter 3A

Medical Visa

onditions

...category v... a may be issued with the following conditions :

he Indian Missio.../Posts abroad may scrutinize the medical documents ery carefully and satisfy themselves about the bonafide purpose for which edical treatme... visa is being requested.

Mission may satisfy that the applicant has sought preliminary medical advice from his country of origin/country of residence and he has been advised to go for specilised medical treatment.

In case the foreign national desires to go for treatment under Indian system of Medicines, his case may also be considered;

This type of visa should be granted for seeking medical attendance only in eputed /recognized specialised hospitals/treatment centers in the country.

Although not exhaustive, following illustrative list of ailments would be of primary consideration; serious ailments like neuro-surgery; ophthalmic disorders; heart-related problems; renal disorders; organ transplantation; congenital disorders; gene-therapy; radio-therapy; plastic surgery; joint replacement etc.. The basic idea would be that the mission may satisfy about the need of foreign national to come to India for medical treatment/health enhancement

Validity of visa and extension of visa

e initial period for such a visa may be upto a period of one year or the d of treatment whichever is less, which can be extended for a further upto one year by the State Governments/FRROs on production of al certificate / advice from the reputed / recognised / specialised hospitals country. Any further extension will be granted by the Ministry of Home only on the recommendations of the State Governments/FRROs ted by appropriate medical documents. Such visa will be valid for num three entries during one year.

State Government / FRROs may permit one additional entry in emergent n, if required.

Registration

Foreigners coming on 'M visa' will be required to get themselves registered mandatorily well within the period of 14 days from the date of arrival with concerned FRROs/FROs.

Visa to attendant/family members

Attendant/family members of the patients coming to India for medical treatment shall be granted miscellaneous visa co-terminus with the 'M Visa' of the patient. Such visa may be granted to the spouse/children or those who have blood relations with the patient. However, not more than two attendants may be allowed at a time for grant of miscellaneous visa. . Such visa will be called 'MX visa'. Such foreigners are also required to get themselves registered with the local FRROs/FROs well within 14 days from the date of arrival.

42E Registration for Pak and Bangladeshi National.

It may be clarified that 'Medical Visa' will be available to all the foreign nationals including China, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka. However, Registration formalities for Pakistani and Bangladeshi nationals will be as per the provisions contained in the para 106 in respect of Bangladeshi nationals and para 118 of the Visa Manual in respect of Pakistani nationals. Similarly entry and departure of these foreign nationals will also be governed as per the existing policy in respect of these nationals. "

CIRCULAR NO. - 345

25022/13/05-F.I
Government of India
try of Home Affairs

Jaiselmir House, New Delhi, the 21.6.

bject : Liberalization of the Visa Regime regarding grant of a Student Visa.

o

All Indian Missions and Posts abroad

Dear Mission,

With expansion of the education sector in India,. there has been increasing demand on the educational facilities available in the country from foreign students, particularly, from neighboring countries as well as from South East Asian countries and African countries. References have been received from students, educational institutions, foreign Embassies/High Commissions regarding the difficulties encountered by international students. Considering, these, a comprehensive review was undertaken in consultation with the Ministry of HRD and it has been decided to liberalise Student Visa Regime to make it simple and student friendly.

2. Accordingly it has been decided to substitute paras 52 and 53 of the visa manual by new formulation(s) and add a new para 52A after para 52 in the chapter 6 of the Visa Manual(updated upto 31-7-03). The new student visa regime for international students is annexed herewith.

3. These instructions shall come into force with immediate effect.

अनुसचिव ( )

4. It is requested that this should be shared with all concerned who are dealing with "Student Visa" forthwith and be also given wide publicity among prospective / existing foreign students.

Yours ever,

(D. S. Mishra)
Joint Secretary to the Government of India

Copy to

1. Secretary, Deptt. Of Secondary and Higher Education(Shri B.S. Baswan), Ministry of Human Resource Development with the request that directions may be issued making it mandatory for all educational Institutions/Universities, which are having foreign students on their rolls to furnish the list of foreigner alongwith comments of the conduct of the students to Foreign Registration Officer, i.e. S.P. of the district concerned/FFROs /CHIO, whosoever is concerned.

2. Home Secretaries of all the State Governments and UT Administrations for information and similar action as above. They are also requested to delegate the powers mentioned at para 52(A)(3) and para 53 to FROs concerned.

3. Ministry of External Affairs (CPV division)

4. Bureau of Immigration

Internal Distribution

Dir.(I&C)/DS(F)/DS(FC)/DS(BP)/US(FP)/
All sections of Foreigners Division.
Computer Cell.

apter - 6

d Research visa

ude ts

ns may grant a student
of five years, or for the duration
e academic course of
ever, is less, to a foreign student
ng to pursue regular, and full time
mic studies in India, after usual
ity checks, without a prior
ence to the Government of India, if

the student holds their national
spo t with sufficient validity to
er the period of studies;

) (i) the student produces proof of
mission to a full time course in a
ecognized/ reputed educational
stitution in India;

ii) the student produces a letter of
pproval or a "No Objection Certificate" from the Ministry of Health, in case of dmission in a medical or para-medical ourse. Ministry of Human Resource evelopment vide its resolution no. 21-/2003-TS-III dated 1.6.2005 has ithdrawn the condition of such no bjection certificate (NOC) from that inistry for taking admission to iploma, Degree and Post-Graduate egree in Engineering & Technology, chitecture & Town Planning, rmacy, Applied Arts, MBA, MCA, tel Management & Catering chnology etc. Therefore, no objection ificate from the Ministry of Human urce Development will not be ed for admission in such courses.

(c) the student produces satisfactory evidence of financial support. A letter of support from the parent/guardian accompanied by a bank guarantee may be accepted for this purpose;

(d) the student produces, to the satisfaction of the Mission, evidence of transfer of adequate funds for at least 4 months sustenance in India, or produces travelers cheques for a similar amount;

(e) the Mission is satisfied that the student will leave India on the completion of their studies; and

(f) there is no adverse information against them.

52 A. (1) There will be no restriction on the number of courses a foreign student may like to undertake and each time the period of validity of the 'Student Visa' will be counted afresh. There will be no restriction with reference to the number of courses a student wants to avail in one institution or multiple institutions, provided the institutions are recognized/ reputed In case a foreign student wants to change a course midway and join another course, the period for validity of visa will be counted with respect to the duration of the new course

has come ... notice ... tral
...ment ... certain ... tate
...ments deny extension ... to
students if they fail to ... y a
within two attempts ... ich
students may not be ... an
... of visa as long as the
and University/ Institutions
a student to compete a course
to production of the necessary
...entary evidence from the
...sity/Institute permitting the
students to continue studies.
Governments/ FRROs are
...wered to grant an extension in
...ases.

State Governments / FRROs are
...wered to grant change / renew
...nt Visa'.

"There might be some cases where
...plicant does not have a firm letter
...mission from the university /
...nised college or educational
...tions because of the procedure in
institutions that require an
...sion test etc. In such cases
...ons may grant a ' Provisional
...nt Visa' on the basis of provisional
...sion certificate / letter of offer or
...isement for admission to foreign
...ts issued by the University /
...nised college or educational
...tions in India. Provisional
...nt Visa' shall be valid for a
... of six months. **The name of the ...tions should not be given in the ...sional Student Visa' as the ... student may try admission in ...ent institutions** and alternative ...es simultaneously . In case the ...nt gets regular admission in some ...sity / recognised / reputed ...e or educational institutions within
the validity of provisional visa, the State Government / FRROs ... empowered to grant a regular 'Student Visa' for the duration of the course ... for a period of five years whichever is less. These provisions/amendments will not be applicable for 'Theological Studies' by the Foreign Students. "

Notwithstanding any provision contained in above para , any foreigner holding Student visa can be deported forthwith if any adverse report comes to the notice of the local police.

Note: No change in other paras, e.g. 54,55,56,57,58,59 and 60.

तत्काल/महत्वपूर्ण

संख्याः 1441/XX-1/485/सुरक्षा/पर्व/2004

05 AUG 2005

प्रेषक,

एस०एस०चौहान,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

जिलाधिकारी
नैनीताल।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल,देहरादून।

05 AUG 2005

गृह अनुभाग-दो   देहरादूनः दिनांकः03अगस्त 2005

विषयः माह अगस्त 2005 के मुख्य पर्वों/त्यौहारों पर सुरक्षा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह अगस्त 205 में मुख्यतः निम्न पर्व/त्यौहार पूर्व वर्षों की भाँति ही राज्य के विभिन्न भागों में मनाये जायेंगे।

दिनांक 0-19 अगस्त तक श्रावण मेला।
दिनांक 15 अगस्त 2005 स्वतन्त्रता दिवस समारोह।
दिनांक 19 अगस्त 2005 रक्षा बन्धन।
दिनांक 26 अगस्त 2005 जन्माष्टमी।

शासन के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त पर्वों के अवसर पर असामाजिक तत्वों एवं आतंकवादियों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था में विघ्न बाधा उत्पन्न करने के कुप्रयास किये जा सकते है।।

जैसा कि आप विदित ही हैं, अभी हाल ही में आतंकवादियों द्वारा अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि परिसर में तथा जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमलों को अन्जाम दिये जाने की कुचेष्टायें की है। इसी प्रकार की वारदातों को उपरोक्त पर्वों पर अन्यत्र भी अन्जाम दिये जाने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता।

इन त्यौहारों / पर्वो के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इन्तजामात किये जाने हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत निम्न निरोधात्मक उपायों को तत्काल पूरा कर लिया जाय तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के सभी उपाय कर लिये जाँय। निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

- आवेश मेला के अवसर पर विभिन्न स्नान पर्वों [illegible] बरती जाय। मन्दिरों व अन्य धार्मिक [illegible] को इस्तेमाल किये जाँय।
- इस अवसर पर भी विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा [illegible] किया जाता है और विभिन्न [illegible] की शकल में आवागमन किया जाता है [illegible] पर पैनी नजर रखी जाय और [illegible] सामाजिक सौहार्द को किसी भी दशा में [illegible] बिगाड़ने की कोशिशों को रोका जाना [illegible]
- पूजा मण्डपों / मन्दिरों आदि में विशेष पूजा / [illegible] आयोजन भी इन पर्वों के उपलक्ष्य में किये जाते [illegible] आवश्यक होगा कि मन्दिरों में विशेष सुरक्षा [illegible] किये जांय और मुख्य आयोजन से पूर्व आयो[illegible] सम्पर्क कर आयोजनों को सौहार्दपूर्ण माहौल में [illegible] मनाये जाने में सहयोग समन्वय हेतु उत्प्रेरित [illegible] जाय।
- मुख्य पर्वों पर जलापूर्ति / स्वच्छता / विद्युत आपू[illegible] के लिये स्थानीय प्रशासन / विभागों से सहयोग सम[illegible] कार्यवाही कर ली जाय।
- त्यौहारों के समय क्षेत्र विशेष में पुलिस गश्त को ब[illegible] जाय और संवेदनशील जगहों पर ज्यादा तादाद में [illegible] व्यवस्था की जाय।
- इस अवसर पर विभिन्न अभिसूचना इकाईयों [illegible] अधिक सक्रिय कर दिया जाय, ताकि उनके द्वारा स[illegible] किसी भी आशंका के सम्बन्ध में वक्त रहते सूचना [illegible] करने में सहयोग मिल सके और किसी भी अप्रिय [illegible] को रोका जा सके।
- असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी [illegible]
- राष्ट्रीय पर्व के आयोजन स्थलों पर भी विशेष सुरक्षा [illegible] उपाय किये जाने होंगे।
- इस प्रदेश में होने वाले विभिन्न आयोजनों के सम्बन्ध [illegible] सूचनायें एकत्रित कर ली जाय। और इन आयोजनों [illegible] शामिल होने वाले अतिविशिष्ट / विशिष्ट महानुभावों [illegible] सुरक्षा के सम्बन्ध में भी पूर्ण सतर्कता बरती जाय।
- आतंकवादी / अन्य [illegible] संगठनों की गतिविधियों [illegible] विशेष नजर रखी जाय और जहाँ कहीं पर किसी असामा[illegible] [illegible] को कानून एवं शान्ति व्यवस्था के उल्लंघन में लि[illegible] पाया जाता है, उसके विरुद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही [illegible]

[illegible] सामान्य [illegible] पूर्ण कार्य [illegible] से यथा [illegible]
[illegible] को [illegible] सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,

(एस०एस० [illegible])
अनु सचिव ।

[illegible] एवं दिनांक तदैव
[illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य[illegible] हेतु प्रेषित
[illegible] महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तरांचल ।
[illegible] महानिदेशक, अभिसूचना, उत्तरांचल ।
[illegible], उत्तरांचल ।
[illegible] पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल ।
[illegible] फाइल ।

आज्ञा से,

(एस०एस० तोलिया)
अनु सचिव ।

उत्तरांचल शासन
राजस्व विभाग
संख्या [illegible] 18(1)/2005
5 SEP 2005 दिनांक [illegible] अगस्त, 05

जिलाधिकारी
नैनीताल.

कार्यालय ज्ञाप

05 SEP 2005

[illegible] सं0 1177 [illegible] /2005 दिनांक 29-07-2005 के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन के सभी विभागाध्यक्षों को लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है। इस अधिनियम [illegible] हेतु राजस्व विभाग के अन्तर्गत धारा-5(1) के अन्तर्गत लोक सूचना [illegible] 5(2) [illegible] लोक सूचना अधिकारी एवं धारा-19 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी [illegible] निम्न प्रकार नामित किया जाता है :-

[illegible] मुख्य राजस्व [illegible]

(i) लोक सूचना अधिकारी — अपर मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तरांचल।

(ii) विभागीय अपीलीय अधिकारी — मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल

[illegible], गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल

(i) लोक सूचना अधिकारी — अपर आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ

(ii) विभागीय अपीलीय अधिकारी — आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ

[illegible]लय, जिलाधिकारी,

(i) लोक सूचना अधिकारी — जिलाधिकारी,

(ii) सहायक लोक सूचना अधिकारी — उप-जिलाधिकारी-संबंधित राब डिविजन

(iii) विभागीय अपीलीय अधिकारी — आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ

[illegible] स्तर

(i) लोक सूचना अधिकारी — तहसीलदार,

(ii) विभागीय अपीलीय अधिकारी — उप जिलाधिकारी,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल।
2. आयुक्त गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल।
5. सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन को उनके पत्रांक:177/XXII/2005 दिनांक 29-07-2005 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप निदेशक, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की, जिला हरिद्वार।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव ।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल
संख्या र-2707/14-रा०म०/2005 दिनांक सितम्बर 8, 2005

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद नैनीताल
2- प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग, जिला कार्यालय, नैनीताल
3- जिला पूर्ति अधिकारी/जिला सूचनाधिकारी, नैनीताल

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी नैनीताल

उत्तरांचल शासन
गृह विभाग
संख्या:[illegible]/XX(1)/102/विधान सभा उप निर्वाचन/2005
देहरादून: दिनांक 25 अगस्त, 2005

अधिसूचना

शक्ति

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत उन सभी अधिकारियों /कर्मचारियों ,जो वेतनमान 6500—10500 में कार्यरत हैं, को कोटद्वार विधानसभा उप निर्वाचन–2005 के लिये दिनांक 27.8.2005 से [illegible] 2005 तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं, और उन्हें सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या/[illegible]/XX(1)/102/विधान सभा उप निर्वाचन/2005 दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त , उत्तरांचल ।
2— पुलिस महानिदेशक , उत्तरांचल , देहरादून।
3— मण्डलायुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी /कुमांयू मण्डल ,नैनीताल।
4— समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
5— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक ,उत्तरांचल ।
6— उप निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री ,राजकीय मुद्रणालय, (हरिद्वार)को अंग्रेजी अनुवाद सहित ,प्रकाशनार्थ ।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या–15 XX(4)–13 / /2005

...मार जोशी,
...
...शासन।

...ला मजिस्ट्रेट,
।

...: दिनांक: ... अगस्त, 2005

विषय:– ... राज्य आन्दोलन के दौरान .../जेल गये आन्दोलनकारियों को ... प्रदान किया जाना।

महोदय,

... विषयक कार्मिक अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या ... /2004, दिनांक 11 अगस्त 2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल भेजे गये आन्दोलनकारियों, जिनकी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल होने और सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल जाने की पुष्टि समस्त अभिलेखों से समुचित रूप से कर ली गयी हो, को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समूह–"ग" तथा समूह–"घ" के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में वर्णित "सात दिन या उससे अधिक अवधि", आन्दोलनकारियों को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश पारित होने की तिथि/समय से प्रारम्भ होगी।

3– उक्त शासनादेश में वर्णित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे। कृपया उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार ...)
अपर ...

[illegible] [illegible]

संख्या– [illegible] /1 [illegible] X([illegible]) -13 / [illegible]/2005 [illegible] दिनांक।

प्रति[illegible] [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] हेतु प्रेषित –

अपर [illegible], उत्तरांचल शासन।

[illegible] / सचिव, उत्तरांचल शासन।

[illegible], [illegible] मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, [illegible]।

समस्त [illegible], उत्तरांचल।

गार्ड [illegible]।

आज्ञा से,

(आर० के० तोमर)

अनु सचिव।

(10)

FAX NO. [illegible] Aug. 25 2005 10:45PM P2

उत्तरांचल शासन
गृह विभाग
संख्या[illegible]/XX(1)/102/विधान सभा उप निर्वाचन/2005
देहरादून: दिनांक, अगस्त, 2006

अधिसूचना
शुद्धि

[illegible] प्रक्रिया संहिता 1973 (अधि[illegible]नियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 [illegible] प्रयोग करके श्री [illegible], जनपद पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत [illegible] अधिकारियों/कर्मचारियों [illegible] वेतनमान 6500–10500 में कार्यरत हैं, को [illegible] उप निर्वाचन-2005 के लिये दिनांक 27.8.2005 से 6.10.2005 तक [illegible] कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं [illegible] के सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत के क्षेत्रों के लिए [illegible] हुए भी ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान करते है, जो उक्त संहिता के अधीन [illegible] कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

(एस०के०दास)
प्रमुख सचिव।

05 संख्या[illegible]/XX(1)/102/विधान सभा उप निर्वाचन/2005 दिनांक उपरोक्त
C.J.A. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– सचिव एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तरांचल।
2587 2– पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
/8/05 3– मण्डलायुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
5– समस्त [illegible] पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तरांचल।
6– उप निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, (रुड़की)को अंग्रेजी अनुवाद सहित,प्रकाशनार्थ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

देखा, गार्ड फाईल
रखें।
90[illegible]

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. /XX(I)/102/Election/2005, Dehradun, Date August 2005 for general information.

Uttaranchal Government
Home Department
No. /XX(I)/ /XX(I)/102 Election/2005,
Dehradun:Dated: August, 2005

NOTIFICATION
(Powers)

In exercise of the powers under sub-section 21 of the Code of Criminal procedure, 1973 (Act N0 2 of 1974), the Governor is pleased to confer the powers of Executive Magistrates, who shall be called special Executive Magistrate, on the Officers /Employees Working in the pay scale 6500-10500 of district Pauri Garhwal, Uttaranchal from 17.8.2005 to 10.10.2005 ,for the State Assembly Bi -Election to be held in 92- Kotdwar constituency in District Pauri Garhwal and confer on them all powers as can be conferred under the said Code on Executive Magistrates which they shall exercise within the area of the 92- Koldwar costituency.

By Order,

(S.K.Das)
Principal Secretary

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या- 851/256-IX/2005
देहरादून दिनांक 29 अगस्त, 2005

अधिसूचना/संशोधन

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) [illegible] धारा 68 की उपधारा(1) और (2) सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान (अनुपूरक) नियमावली [illegible] के नियम 56 के उपनियम (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके [illegible] परिवहन आयुक्त [illegible] पद रिक्त होने के फलस्वरूप, अधिसूचना [illegible]-507/3 [illegible]/सा०प्र० [illegible]/कैम्प/ 2001, दिनांक 18 अप्रैल,2001 में आंशिक संशोधन करते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून में श्री ब्रजेश नवानी, दून बिहार, राजपुर रोड, देहरादून संभागीय परिवहन प्राधिकरण, काठगोदाम (कुमॉयू संभाग) में श्री गजेन्द्र सिंह [illegible] पुत्र श्री हरस्वरूप [illegible] जसपुर, उधमसिंहनगर को तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

सं०-851/256-IX, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि उप निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट के माह अगस्त,2005 के अंक में प्रकाशित कर इसकी 250-250 प्रतियॉ परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, परिवहन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(जी०बी०ओली)
संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग-5
संख्या 548/xx(5)/05-23अभि0/05
देहरादून: दिनांक 29 अगस्त,2005

निरीक्षक
बंगलौर

15 SEP 2005

विज्ञप्ति/तैनाती

[illegible] की विज्ञप्ति संख्या-502/xx(5)/05-23अभि0/05, दिनांक 10 अगस्त,2005 को [illegible] संशोधन करते हुए श्री देवी [illegible] जोशी, अभियोजन अधिकारी, बागेश्वर को [illegible] सतर्कता अधिष्ठान, सेक्टर नैनीताल में रिक्त अभियोजन अधिकारी के पद [illegible] किया जाता है ।

2- [illegible] जोशी, अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन [illegible] के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,
एस0के0दास
प्रमुख सचिव ।

2866
6/9/05

संख्या 548(1)/xx(5)/05-23अभि0/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, ओबेराय बिल्डिंग,माजरा, देहरादून।
2- निदेशक,अभियोजन,उत्तरांचल,पुलिस मुख्यालय,देहरादून ।
3- निदेशक,सतर्कता विभाग,उत्तरांचल,पुलिस मुख्यालय ।
4- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रुड़की, हरिद्वार को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ ।
5- संबंधित अभियोजन अधिकारी ।
6- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,नैनीताल ।
7- जिलाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल ।
8- कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव ।

संख्या-1660 /XX(4)-19/उ0आन्दोलन/2005

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

गृह अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक: 06/9/2005

विषय-- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1589/20-न्या.सहा./2005, दिनांक 02-06-2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1260/सीस-2/2004, दिनांक 11.8.2004 में निहित प्राविधानों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह-"ग" एवं "घ" के पदों पर सेवायोजित किया जा सकता है, जिसके कारण यह शासनादेश आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारियों पर लागू नहीं हो सकता है। पुनः, लागू नहीं हो सकता है।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

6/9/05

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-- आयुक्त, कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
2-- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल (जनपद नैनीताल को छोड़कर)।
3-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

5/9/05

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

[illegible] / XX(1)/गनर/3[illegible]/2005

13 OCT 2005

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
अनु सचिव।

सेवा में,

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

सं. 2005 06
दिनांक 14/10/05

गृह अनुभाग एक   देहरादून : दिनांक 02 सित0 2005

विषय : गनर/शैडो प्राप्त महानुभावों/अति विशिष्ट व्यक्तियों/अन्य व्यक्तियों के जीवन भय विषयक आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश द्वारा समय समय पर विभिन्न महानुभावों /अतिविशिष्ट व्यक्तियों /विशिष्ट व्यक्तियों /सामान्य व्यक्तियों को प्रदत्त गनर /शैडो के सम्बन्ध में उनकी जीवन भय की आख्या से अवश्य ही पाँच दिन के अन्दर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

/XX(2)/80/[illegible]/2002

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सेवा में,

[illegible]

[illegible]

2004/05 XX ADM/JA 2968 29/9/05

देहरादून दिनांक [illegible] सितम्बर, 2005

विषय:— [illegible] देशों का भारत में अनियन्त्रित आगमन एवं विदेशी [illegible] के पंजीकरण/नियंत्रण के विषय में की गई कार्यवाही [illegible] सम्बन्ध में।

[illegible]

[illegible] शासनादेश संख्या—80/गृह—1/2002 [illegible] मार्च [illegible] एवं शासनादेश संख्या 1588/XX-2/80/सुरक्षा/ दिनांक 26 [illegible] 2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जिलों में उक्त आदेश का [illegible] सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है अथवा आधा अधूरा अनुपालन किया [illegible] है। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं असन्तोषजनक है।

उक्त के संबन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। साथ [illegible] 15 दिवस में, कार्य की प्रगति का आंकलन वरिष्ठ पुलिस [illegible]/पुलिस अधीक्षक द्वारा भी किया जाय। इसके अतिरिक्त, अभिसूचना [illegible] के स्तर पर भी इस कार्य का आंकलन कर, आख्या अनिवार्य रूप से [illegible] प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक होगा कि सभी स्तरों पर कुछ [illegible] का चयन कर उनकी गहराई से परीक्षण किया जाय और किसी भी [illegible] में अनियमितता पाये जाने की दशा में, सख्ती के साथ उत्तरदायित्व [illegible] की जाय। इस प्रक्रिया में किसी भी ढिलाई को गम्भीरता [illegible] जाय।

[illegible] निर्देशों का पूरी तरह [illegible] पालन सुनिश्चित करा[illegible]

[illegible] करें।

भवदीय,

(एन०के०दास)
अनु सचिव।

संख्या [illegible] तद्दिनांकानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना/सुरक्षा, उत्तरांचल।
3- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।
4- समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

15

फैक्स

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल,
नैनीताल ।

जिलाधिकारी
नैनीताल.
21 SEP 2005

जिलाधिकारी,
नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/
ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/चम्पावत ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/
ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/चम्पावत ।

संख्या 2568/गोप 1/2004-2005, दिनांक:सितम्बर 20,2005

विषय: तिब्बती मूल के नागरिकों के पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव,उत्तरांचल शासन,गृह अनु0-2 के शासनादेश संख्या 1588/बीस-2/80/सुरक्षा/2005,दिनांक 26.7.2005,जो आपको भी सम्बोधित है,की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए,मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया भारत सरकार,गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-25022/79/2003-एफ.आई.सी.,दिनांक 30.6.2005 में दिये गये नियमों/दिशा निर्देशानुसार चीन/तिब्बत से भारत में प्रवेश करने वाले तिब्बतियों का पंजीयन के संबंध में शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

20/9/05

(जी.एस. नेगी),
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कृते आयुक्त ।

संख्या [illegible]/XX (1)/08/चौकी/ इ0 पद गठन/2005

प्रेषक,

एल0 पी0 तिवारी
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल शासन।

वर्ष 2005-06
विभाग XX 9.6 [illegible]
पत्रावली सं0
कुल सं0 37
दिनांक 6/10/05

गृह अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : 20 : सितम्बर, 2005

विषय:- जनपद नैनीताल में रिर्पोटिंग पुलिस चौकी हंसापुर खत्ता की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-डीजी-दो-50-2005, दिनांक 19 मार्च, 2005, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, जनपद नैनीताल के थाना चोरगलिया क्षेत्रान्तर्गत रिर्पोटिंग पुलिस चौकी [illegible] की स्थापना [illegible] तथा निम्न विवरणानुसार कुल 11 अस्थाई [illegible] तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	पद का नाम	पदो की संख्या	वेतनमान
1.	उप निरीक्षक	01	5500-175-9000
2	मुख्य आरक्षी	01	3200-85-4900
3.	आरक्षी	08	3050-75-3950-80-4590
4.	अनुचर	01	2550-55-2660-60-3200
	कुल योग	11	

2- उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होंगें।

3- उक्त चौकी पर पुलिस मोबाइल गाड़ी भी उपलब्ध करायें, जो चौकी क्षेत्र में गश्त करें।

4- उक्त रिर्पोटिंग पुलिस चौकी की विज्ञप्ति जारी करने हेतु इनके क्षेत्र की अनुसूचिया संलग्न प्रपत्रों में (दो प्रतियों में) हिन्दी व अंग्रेजी में आवश्यक पत्र सहित शासन को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2055-पुलिस-00-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस मुख्य की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

Budget 2002-03 Sec-1 Page 374.

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ... दि0 18 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा ...

संलग्नक: यथोपरि -

संख्या यथोपरि एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

1. महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिक्षेत्र, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी नैनीताल।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
8. वित्त अनुभाग-1।
9. गार्ड फाईल।

संख्या [illegible] /XXII/2005

[illegible]

[illegible]न्द,
[illegible]चिव,
[illegible] शासन।

[illegible] 2005

सेवा में,

1. [illegible] विभागाध्यक्ष, [illegible]ल।
2. आयुक्त, कुमाऊँ एवं [illegible]।
3. [illegible] जिलाधिकारी, [illegible]चल।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम उत्तरांचल।
5. [illegible] परियोजना निदेशक, उ[illegible]चल।

[illegible]रादून दिनांक 23 सितम्बर, 2005

सूचना अनुभाग—

विषय :- विभि[illegible]न विभागों से सम्बन्धित समस्त विज्ञापनों एवं [illegible] सूचनाओं का [illegible] सूचना विभाग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन को सम्[illegible] मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या– 230/XXII/2005 दिनांक 22 सितम्बर, [illegible] की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आ[illegible] अधीन संस्थाओं/विभागों में विज्ञापन एवं अन्य सूचनायें सूचना विभाग के माध्यम से ही प्रकाशित कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

पृष्ठांकन :— [illegible] /XXII/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :— प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषि[illegible]।

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
2. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(भास्करान[illegible]
अपर सचि[illegible]

प्रेषक,
कुमार ...
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

जिलाधिकारी
टिहरी
16 NOV 200

गृह अनुभाग : देहरादून: दिनांक: 27 सितम्बर, 2005

विषय— उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायलों/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने में अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव द्वारा इस बिन्दु पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 11.8.2004 के अनुसार आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को नियुक्ति पत्र दिये जाने के बावजूद भी सेवायोजित नहीं किया जाता है तथा प्रकरण को जितनी अपेक्षित तत्परता और गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, वह नहीं लिया जा रहा है।

2— इस सम्बन्ध में कृपया मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किये जाने के प्रकरणों में शिथिलता न बरती जाय एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रतिदिन के आधार पर इन संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण किया जाय। विभागाध्यक्ष स्तर पर जैसे ही जिलाधिकारी से संदर्भ प्राप्त होता है, अधीनस्थ अधिकारी से अपेक्षा करें कि वह उसी दिन आयाचन के निस्तारण के लिये पत्रावली प्रस्तुत करें और विभागाध्यक्ष स्तर से अपेक्षित होगा कि वह या तो उसे सम्बन्धित शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में शीघ्र निस्तारित करें अथवा कठिनाई की स्थिति में कठिनाई का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित जिलाधिकारी को विवरण सहित प्रेषित करें और उसकी एक प्रति गृह विभाग को भी प्रेषित की जाय।

3— उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिन विभागों के स्तर पर शिथिलता प्रकाश में आती है, उन विभागाध्यक्षों की इस प्रकरण को व्यवहृत करने वाली पत्रावली को अपने यहाँ आहूत कर एवं उसका गहन परीक्षण करके विभागाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश तत्परता से कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया जाय।

3— उक्त सम्बन्ध में कार्मिक विभाग/गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के संकलन की प्रतियाँ प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा उक्त शासनादेशों की गार्ड फाईल खोलकर, आदेशों के क्रियान्वयन के लिये समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन किया जाय। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

(आवश्यक/महत्वपूर्ण)

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल,
सं० 4714/XX-[illegible]/2005, दिनांक नवम्बर 2005

1- प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया शासन द्वारा प्रेषित की गयी सूची एवं इस कार्यालय द्वारा प्रेषित [illegible] के संबंध में प्रस्तर के अनुसार सभी आवेदकों के संबंध में जाँच कराकर इस सम्बन्धित आख्या से समस्त प्रत्येक दशा में 30.11.2005 तक [illegible] इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे जनपद स्तर पर [illegible] प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जा सके।

2- मूल प्रति गार्ड फाईल,

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी, नैनीताल
26/11/05

तत्काल

संख्या-1927/XX(1)/11/विविध/2005

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

15 OCT 2005

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल।
2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

जिलाधिकारी
नैनीताल।
15 OCT 2005

गृह अनुभाग 1 देहरादून:दिनांक: 6 अक्टूबर, 2005

विषय:- **Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976 (SAFEMA) and NDPS Act 1985.**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार के स्वतः स्पष्ट अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–C-11011/2/2004-CA दिनांक 25.8.2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छाया प्रति संलग्न)

उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अपेक्षानुसार कार्यवाही सभी अधिकारियों को निर्देश निर्गत करते हुए शासन को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री के0 मोहनदास, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-C-11011/2/2004-CA दिनांक 25.8.2005 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

DO No.C-11011/2/2005-
25th August, 2005

Dear Dr.

The Competent Authority & Administrator functions under the provisions of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (SAFEMA) and the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPSA).

2. The SAFEMA provides for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators. The NDPSA, on the other hand, provides for the forfeiture of property derived from, or used in, illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances.

3. The forfeiture of such properties as mentioned above, is the culmination of a quasi-judicial exercise which involves receipt of the initial information from the Sponsoring/Nodal agencies or receipt of detention orders made under the relevant Acts, details on all the convictions made under the Customs Act, investigations which necessitate inputs from the State Government and the concerned agencies of the Government of India, appreciation of evidence and final order on forfeiture made under the relevant provisions of SAFEMA and NDPSA. This is aimed at weakening the economic might of people indulging in such illegal activities.

4. Needless to add that the efficacy of the forfeiture proceedings depends to a large measure on the cooperation accorded to the Competent Authority & Administrator by the State Governments and all the Sponsoring/Nodal agencies. However, the level of cooperation accorded is not commensurate with the requirements of this important quasi-judicial function.

Contd.....2/-

Ph. 23092264, Telefax : 23092750, E-mail : asrevoff@nic.in

5. I would, therefore, request you to give necessary instructions to the agencies/field formations under your administrative control to render all possible assistance to the Competent Authority & Administrator and to sensitize them on the provisions of SAFEMA & NDPSA so as to ensure that the illegally acquired properties are forfeited to the Government.

6. The Competent Authorities have been asked to establish contact with the concerned officers for this purpose.

With regards,

Yours sincerely,

(K. Mohandas)

Dr. R.S. Tolia
Chief Secretary
Government of Uttaranchal
Dehradun

19 OCT 2005

महत्वपूर्ण

संख्या–/XX(6)–16/विविध/2005

A.C./ ...

जिलाधिकारी
नैनीताल।
19 OCT 2005

प्रेषक,
मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल, देहरादून।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादूनःदिनांकः 7 अक्टूबर, 2005

गृह अनुभाग 6

विषय— विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी/अभियोजन चलाये जाने के संबन्ध में सूचना का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री डी०एस०मिश्रा, संयुक्त सचिव (एफ) गृह मंत्रालय, (फॉरेनर्स डिवीजन) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–25019/25/2005 F.III दिनांक 28 सितम्बर 2005 की छाया प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गृह मंत्रालय की अपेक्षानुसार जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संलग्नकः–यथोपरि।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल, दिनांकः अक्टूबर 28–2005
सं० 271/XX–न्याय स०/2005,

1– प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को उक्त आशय के साथ प्रेषित कि कृपया गृह मंत्रालय की अपेक्षानुसार जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि शासन को सूचित किया जा सके।

2. मूल प्रति गार्ड फाईल।

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

170

…/विदेशी/मुद्र/2005
दिनांक …

CONFEDENTIAL

No.25019/25/2005 F.II
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Foreigners Division)
*****

Jaisalmer House, 26, Man Singh Road,
New Delhi, the 27th September, 2005

28 SEP 2005

To

The Home Secretaries of all State Governments/Union Territory Administrations.

Sub: Intimation regarding arrest/prosecution of foreign nationals.

Sir,

It has been observed in the Ministry that information regarding arrest of foreigners is not being received promptly from some States/UTs or local authorities thereof, which is causing embarrassment to the Government. In this regard our earlier Circular No.25022/223/90-F.I dated 25.03.1991 may be referred (copy enclosed).

2 As per the Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocols, 1963 to which India is a signatory, we are expected to inform the consular officers of the countries about the arrest, imprisonment or custody pending trial or detention in any other manner of a national of their countries.

3. It has, therefore, been decided that all State Governments/UT Administrations be requested to advise the district police/ law enforcing authorities of their respective States/UTs to send intimation regarding arrest, imprisonment or custody pending trial or detention in any other manner of a foreigner to the **Joint Secretary (CPV), CPV Division, Ministry of External Affairs, Patiala House, New Delhi** within 24 hours of such arrest

with a cop[illegible] this Ministry (Foreign[illegible] Division), 26, Man Singh Roa[illegible] Jaisalmer House, New Delhi.

4. Please acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully

(D.S. Mishra)
Joint Secretary (F)

Encl: As above.

Copy to the following for similar action with respect to arrest of the foreigners under the Acts administered by them:

1. Chairman (CBDT), Dept. of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.
2. Chairman (Central Board of Excise and Customs), Dept. of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.
3. Director General of Revenue Intelligence, New Delhi.
4. Director General, Narcotics Control Bureau, New Delhi.
5. Director, Enforcement Directorate, New Delhi.

Copy for information to:

1. Joint Secretary, Ministry of External Affairs, (CPV Division), Patiala House, New Delhi.
2. All FRROs/CHIO.
3. IB New Delhi.

Internal Distribution.

1. PS to JS (F)/ Dir (I)/DS(F)/DS(BP)/DS(FCRA)/US(FP)
2. All Sections in the Foreigners Division.
3. Guard File.

CONFIDENTIAL

No.25019/25/2005-F.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Foreigners Division)
*****

Jaisalmer House, 26, Man Singh Road,
New Delhi, the 27th September, 2005.

28 SEP 2005

To

The Home Secretaries of all State Governments/Union Territory Administrations.

Sub: Consular Access to Pakistani Civil prisoners-guidelines for.

Sir,

It has been observed in the Ministry that information regarding arrest of foreigners is not being received promptly from some States/UTs or local authorities thereof, which is causing embarrassment to the Government.

2. As per Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocols, 1963 to which India is a signatory, we are expected to inform the consular officers of the country about the arrest, imprisonment or custody pending trial or detention in any other manner of a foreign national.

Indo-Pak Protocol on Consular Access, 1982

3. Government of India had signed a Protocol of Consular Access with the Government of Pakistan in 1982. As per the extant policy guidelines consular access is to be provided within three months to those Pakistani nationals who are (a) under trials (b) civil prisoners who are undergoing jail terms and who do not have valid travel documents or whose travel documents have expired/will expire by the time their jail term is completed. Prisoners who are undergoing sentences under the Official Secrets Act, 1923 and Enemy Agent Ordinance Act, or against whom investigation or trial is pending under these two laws are not be provided with consular access.

<u>Agreement reached during FS level meeting in December 200[illegible] [illegible] prisoners in each others custody.</u>

4. During Foreign Secretary level talks, the following agreements inter alia, reached with Pakistan on prisoners in each others custody:

(i) Immediate notification to the concerned High Commission(s) thro[illegible] the foreign ministries of respective countries about the arres[illegible] Pak/Indian nationals as the case may be.

(ii) Consular access to be provided within three months of apprehension[illegible]

(iii) Repatriation would be done immediately after completion of sentence and Nationality verification.

<u>Intimation regarding arrest etc.</u>

5. It has, therefore, been decided that all State Governments/UT Administrations be requested to advise the district police/ law enforcing authorities of their respective States/UTs, to send intimation regarding arrest, imprisonment or custody pending trial or detention in any other manner of a Pak national to the **Joint Secretary (PAI), Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi within 24 hours of such arrest with a copy to this Ministry (Foreigners Division).**

<u>Compilation of basic data and Consular Access</u>

6. It is requested that all State Governments/UT Administrations collect and compile information in respect of Pakistani prisoners in the enclosed proforma so that the same could be made available to this Ministry at a short notice as and when required for providing consular access to Pak prisoners. The dates for Consular access is intimated from time to time by MHA, wherein Pak civil prisoners are brought under police custody by respective States/UTs at designated place. During the consular access, Consular Officer from Pak High Commission in India interviews the concerned person in presence of representatives of MHA & MEA. Thereafter, Pak High Commission gets the nationality of all those persons, who have been given consular access, verified and issue travel documents in respect of those who are verified to be Pak nationals.

cess of Repatriation

7. As soon as the Government of Pakistan issues travel documents for entified Pak civil prisoners for repatriation to Pakistan, this Ministry ould seek confirmation from the concerned State Government/UT administration that the prisoner has completed his jail term and is ready to be repatriated and also no other case is pending against him. Thereafter, if the State/UT conveys its clearance, a date would be fixed for his repatriation and the State Government would be requested to bring the Pak national to the specified immigration checkpost under police escort for repatriation.

8. It is requested that the above information/procedure for handling the cases of Pakistani prisoners be circulated to all concerned officers/authorities and they be adequately sensitized for expeditious processing of the Pak national cases.

9. Please acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,

(D.S. Mishra)
Joint Secretary (Foreigners)

1. Copy to following for similar action with respect to Pak nationals arrested **under the Acts** administered by them:
   i) Chairman,CBDT, Dept. of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.
   ii) Chairman (Central Board of Excise and Customs), Dept. of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.
   iii) Director General of Revenue Intelligence, New Delhi.
   iv) Director General, Narcotics Control Bureau, New Delhi.
   v) Director, Enforcement Directorate, New Delhi.

2. Ministry of External Affairs (PAI Division), South Block, New Delhi with the following request:

i) to intimate Pak High Commission about arrest of Pak nationals immediately after receiving information from field officers of States/UTs/other Agencies.

ii) to maintain a database of Pak prisoners (under trial/undergoing sentences for grant of Consular Access and exit for repatriation).

3. IB, New Delhi.
4. PS to JS (F)/ Dir (I)/DS(F)/DS(BP)/DS(FCRA)/US (FP)
5. F.III, F.VI & F.I
6. Guard File.

PROFORMA

(a) Name and age

(b) Father's Name

(c) Address in Pakistan

(d) Passport particulars, if available

(e) FIR details

(f) Brief of Offence

(g) Date of sentence

(h) Total sentence awarded

(i) Jail where interned

(j) Whether any other trial is pending, if yes then status

(k) If undertrial, brief about the present status

उत्तरांचल सरकार 195

गृह अनुभाग—2

संख्या 1944/XX(2)/रासुका – 04/2002

देहरादून, दिनांक: 13अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

चूंकि इन दिनों उत्तरांचल के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुई हैं 19 और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई हैं और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है :

और, चूंकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के प्रतिकूल क्रियाकलापों में भाग ले रहें हैं :

और, चूंकि उत्तरांचल में विद्यमान और सम्भावित उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उत्तरांचल सरकार की अधिसूचना सं0—1265/रासुका/ XX(2)-4/2002, दिनांक 18जुलाई, 2005 का आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक 19 अक्टूबर,2005 से तीन मास की अग्रेतर अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।

एस0के0 दास

प्रमुख सचिव, गृह।

पृष्ठांकन संख्या 1944(1)/XX(2)/रासुका -04/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस अनुरोध के साथ कि वे इसे सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर अधिसूचना की पचास प्रतियां शासन को उपलब्ध कराएं।

2— समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।

3— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

4— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0 तिवारी)

उपसचिव, गृह।

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
   पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
3. निदेशक समाज कल्याण,
   उत्तरांचल हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग-1   देहरादून : 13 अक्टूबर, 2005

विषय : भिक्षावृत्ति की प्रथा के उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि भिक्षावृत्ति की प्रथा समाज में व्याप्त एक गम्भीर व्याधि की भांति है जिससे एक ओर जहां जनसामान्य को समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर विभिन्न असामाजिक गतिविधियों एवं अकर्मण्यता को भी बढ़ावा मिलता है। बाल भिक्षावृत्ति चाहे वह स्वैच्छिक हो अथवा उनके माता-पिता, अभिभावकों या किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में करायी जा रही हो, के कारण समाज की आगामी पीढ़ी अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के बजाय दुष्प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त हो रही है।

इस सामाजिक कुरीति के उन्मूलन के लिए उत्तरांचल (उ.प्र. भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के रूप में पर्याप्त कानूनी प्राविधान भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को समझाकर अथवा रोजगारोन्मुखी योजनाओं की ओर प्रवृत्त करके भी इस कुप्रथा का निवारण किया जा सकता है। इस हेतु अन्य विभागों से भी समन्वय कर प्रयास किया जा सकता है।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश से भिक्षावृत्ति की कुप्रथा के निवारण एवं उन्मूलन हेतु व्यक्तिगत रूचि लेकर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में कृत कार्यवाही से पाक्षिक रूप से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 536(1)/XVII(1)-2/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल को शासन के पत्र संख्या 265/XVII(1)-2/2005 अ.1(समाज कल्याण)/2002 दिनांक 21जुलाई, 2005 के क्रम में इस निर्देश के साथ कि कृपया जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित कर भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

2. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन को भी इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर से भी यथोचित निर्देश समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को निर्गत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव।

अभियोजन निदेशालय, 12 सुभाष रोड, उत्तरांचल देहरादून

संख्या–अभियोजन (अ0अ0वि0) लिपिक–02 दिनांक:देहरादून:अक्टूबर 25,2005

परिपत्र ज्ञाप

विभागीय नियमों के अनुरूप अपराध अनुसंधान विभाग के मुकदमों का न्यायालय में अभियोजन अपराध अनुसंधान विभाग में कार्यरत अभियोजकों द्वारा किया जाना प्राविधानित है। लेकिन हाल तक अपराध अनुसंधान विभाग में अभियोजकों की कमी के कारण उक्त विभाग के मुकदमों का अभियोजन जिलों में पदस्थापित अभियोजकों द्वारा किया जाता रहा है। कुछ समय पहले अपराध अनुसंधान विभाग में अभियोजकों के सभी रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती कर दी गयी है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि तत्कालीन प्रभाव से प्रदेश के चार जिले देहरादून,हरिद्वार,नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर में अपराध अनुसंधान विभाग के न्यायालयों में लम्बित मुकदमों का अभियोजन अपराध अनुसंधान विभाग में कार्यरत अभियोजकों द्वारा ही किया जायेगा। प्रदेश के शेष जिलों में अपराध अनुसंधान विभाग के न्यायालयों में लम्बित मुकदमों का अभियोजन पूर्ववत् जिलों में कार्यरत अभियोजकों द्वारा की जायेगी। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, सेक्टर देहरादून एवं हल्द्वानी को यह निर्देश दिया गया है कि जिन जनपदों में अपराध अनुसंधान विभाग के मुकदमों का अभियोजन जिलों में कार्यरत अभियोजकों द्वारा किया जाना है, उन के संबंध में पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, सेक्टर देहरादून/हल्द्वानी द्वारा पैरवी संबंधी (कार्यवाही) गंभीरता से सुनिश्चित करें।

तदनुसार सर्व संबंधित उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आर0सी0 शर्मा)
निदेशक अभियोजन
उत्तरांचल,देहरादून

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल राज्य।
2– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उत्तरांचल।
3– पुलिस अधीक्षक,अपराध अनुसंधान विभाग, सेक्टर देहरादून/हल्द्वानी।
4– समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी,सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभारी जनपद अभियोजन कार्यालय, उत्तरांचल।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तरांचल को उनके पत्र सं0–डीजी–चार–134/2001 दिनांक अक्टूबर 1,2005 एवं सीए–एडीजी– सीआईडी –09/2005 दिनांक अक्टूबर 22,2005 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0सी0 शर्मा)
निदेशक अभियोजन

कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी नैनीताल
सं0/20–गोप0 सं0/2001 दिनांक नवम्बर, 05 JA
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ हेतु
सूचनार्थ प्रेषित।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी नैनीताल।

अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय भवन,12 सुभाष मार्ग
उत्तरांचल,देहरादून।

पत्रांकःअभि0नि0–[illegible]/39/2004/ दिनांकः 28 अक्टूबर,2005

//ज्ञाप//

विषयः– जनपदीय अभियोजन कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 2004–2005 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल,शासन के शासनादेश संख्या–02/XXVII(7) बोनस/2005 दिनांक 22–10–2005 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2004–2005 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान के आदेश पारित किये गये है।

शासनादेश के प्रस्तर (vii)में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2004–2005 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी हो, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरे होने के बाद वर्ष 2004–2005 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा ।

अतः उपरोक्तानुसार शासनादेश के अनुपालन में जनपदों में आपके अधीन नियुक्त समस्त कार्मिकों तद्नुसार अवगत कराते हुये केवल पात्र कार्मिकों को बोनस का भुगतान करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिन अराजपत्रित कर्मियों को बोनस स्वीकृत किया जाता है,उनके सम्बन्ध में सन्दर्भित आदेश की प्रतिलिपि इस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जाय ।

(आर0सी0शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
उत्तरांचल, देहरादून।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1–समस्त जिलाधिकारी प्रभारी जनपद, उत्तरांचल।
2–समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी प्रभारी/ सहा0 अभि0 अधिकारी प्रभारी जनपद अभियोजन कार्यालय, उत्तरांचल ।

28.X.05
(आर0सी0शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
उत्तरांचल, देहरादून।

अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय, भवन,
12–सुभाष मार्ग, देहरादून उत्तरांचल।

जिलाधिकारी
नैनीताल.
18 NOV 2005

पत्रांक– अ0नि0/अनुभाग–तीन–20(विविध)/2005 दिनॉकः 31 अक्टूबर,2005

परिपत्र ज्ञाप

संयुक्त उ0प्र0 के शासनादेश सं0–1385/आठ–9–3 (17)/87 गृह (पुलिस) अनुभाग–9 दिनॉक 31–3–87, (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 से संबंधित वादों के विशेष न्यायालयों में अभियोजन हेतु जनपदों के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों/अभियोजन अधिकारियों को लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त करते हुये विशेष न्यायालयों में अभियोजन कार्य हेतु आवागमन के लिए शासकीय वाहन एवं सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत किये गये थे।

तदनुसार उत्तरांचल राज्य में गिरोहबन्द अधिनियम के विशेष न्यायालयों में अभियोजकों को अपने जनपद मुख्यालय से दूरस्थ स्थान पर स्थापित विशेष न्यायालयों में अभियोजन कार्य हेतु नियत तिथियों पर आवागमन के लिए अभियोजन अधिकारियों को आवश्यकतानुसार उनकी मांग पर अभियोजन कार्य हेतु एक शासकीय वाहन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुलग्नक–1

(आर0सी0शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
उत्तरांचल, देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
3– समस्त ज्येष्ठ/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी,प्रभारी, जनपद अभियोजन कार्यालय उत्तरांचल।
4– कार्यालय प्रति।

(महत्वपूर्ण)

(आर0सी0शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
उत्तरांचल, देहरादून।

प्रेषक,

एस० राजू,
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तरांचल, देहरादून।

25 NOV 2005

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

जिलाधिकारी
नैनीताल

25 NOV 2005

संख्या 1774/01/निर्माण/05—06, देहरादून:दिनांक 14 नवम्बर, 2005

विषय पुरानी बैरक 6,7 तथा तन्हाई के स्थान पर एक नई बैरक निर्माण करने हेतु पुरानी कारागार के मुख्यद्वार को खोलने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, उप कारागार, हल्द्वानी के पत्र संख्या नैनी/पत्र। निर्माण 04—05, दिनांक 19.6.2005, के संदर्भ में पुरानी बैरक संख्या 6, 7 तथा तन्हाई के स्थान पर एक नई बैरक के निर्माण हेतु पुरानी कारागार के मुख्यद्वार को खोलने की अनुमति निम्नांकित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:—

1. कारागार में निरूद्ध बंदियों की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व अधीक्षक/कारापाल का होगा।
2. कार्य समाप्त हो जाने पर तत्काल पुरानी कारागार के मुख्यद्वार को बन्द करा दिया जाए।

भवदीय,

(एस0 राजू)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
2— अधीक्षक, उप कारागार, हल्द्वानी।

(एस0 राजू)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या:– 3060 / xx / (I) / 32 / थाना / 2005

प्रेषक,

एस०एस० गतियाल
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल शासन।

जिलाधिकारी
नैनीताल.
25 NOV 2005

अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 17 नवम्बर, 2005

विषय– जनपद नैनीताल में थाना बेतालघाट की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–दो–58–2004 दिनांक 8 दिसम्बर 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद नैनीताल में थाना बेतालघाट के सृजन किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार 16 अस्थाई पदों के सृजन की दिनांक 28 फरवरी, 2006 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	उप निरीक्षक	02	5500–175–9000
2	मुख्य आरक्षी	01	3200–85–4900
3	आरक्षी	11	3050–75–3950–80–4590
4	आरक्षी चालक	01	3050–75–3950–80–4590
5	अनुगामी	01	2550–55–2660–60–3200
	कुल योग	16	

उक्त पद धारकों को महगाँई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो समय–समय प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय होगें।

उक्त थानें की विज्ञप्ति जारी करने हेतु इनके कार्यक्षेत्र की अनुसूचियों निम्न प्रपत्रों में (दो प्रतियों में) हिन्दी व अंग्रेजी में आवश्यक प्रमाण पत्र सहित शासन को अलग–अलग शीघ्र उपलब्ध कराई जायें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2055–पुलिस–00–109–जिला पुलिस–03–जिला पुलिस मुख्या की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

Office 2003-03 Sec-I Page. rtf.

5 ... यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1000/ XX/ 2005 दि0 17 ... में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक यथोक्त

भवदीय

(एस0एस0 ...)
अनु ...

संख्या यथोक्त एवं तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
8. वित्त अनुभाग 1।
9. गार्ड फाईल।

संख्या -554/XXI(13)G/2005

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

2– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून: दिनांक: 18 नवम्बर, 2005

विषय:– राजकीय/ सैनिक/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की अंत्येष्टि के अवसर पर शवपेटिका या अर्थी पर राष्ट्रीय झण्डा लपेटने का सही तरीका।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 15/16/05– पब्लिक, दिनांक 07 सितम्बर, 2005 द्वारा अवगत कराया गया है कि मन्त्रालय के संज्ञान में कुछ ऐसे दृष्टांत लाये गये है, जिनमें राजकीय अंत्येष्टियों के दौरान अर्थी या शवपेटिका को राष्ट्रीय झण्डे से गलत ढंग से ढका गया था। भारतीय झण्डा संहिता के भाग– III की धारा XI के पैराग्राफ 3.58 के अनुसार अंत्येष्टियों के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झण्डे से ढक दी जायेगी और झण्डे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झण्डे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जायेगा।

भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तदनुसार सभी सम्बन्धित को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

No. 5/16/2005-Public
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya
****

North Block, New Delhi.
Dated the 7th September, 2005.

To
The Chief Secretaries of
All State Governments / UT Administrations.

Subject: Correct method of draping over the coffin or bier with the National Flag on occasions of State/Military/Central Para-Military Forces funerals.

Sir,

I am directed to invite your attention to Paragraph 3.58 of Section XI of Part III of the Flag Code of India, reproduced below:-

"On occasions of State/Military/Central Para-Military Forces funerals, the Flag shall be draped over the bier or coffin with the saffron towards the head of the bier or coffin. The Flag shall not be lowered into the grave or burnt in the pyre."

Some instances have been brought to the notice of this Ministry where biers or coffins were draped with the National Flag wrongly i.e. other than method provided in the Flag Code of India as indicated above during State funerals, etc. You are, therefore, requested to take note of the above provision and issue instructions to all concerned to follow this provision scrupulously.

Yours faithfully,

(S.K. Bhatnagar)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel.No.: 2309 2035

सं. 15/16/2005-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

*****

7 SEP 2005

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक 7 सितम्बर, 2005

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों के मुख्य सचिव

विषय:- राजकीय/सैनिक/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की अंत्येष्टि के अवसर पर शवपेटिका या अर्थी पर राष्ट्रीय झण्डा लपेटने का सही तरीका।

महोदय,

मुझे भारतीय झण्डा संहिता के भाग-III की धारा XI के पैराग्राफ 3.58 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"राजकीय/सैनिक/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झण्डे से ढक दी जाएगी और झण्डे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झण्डे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।"

2. कुछ ऐसे दृष्टांत इस मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए हैं जिनमें राजकीय अंत्येष्टियों के दौरान अर्थी या शवपेटिका को राष्ट्रीय झण्डे से गलत ढंग से ढका गया था अर्थात् ऊपर भारतीय झण्डा संहिता में यथा-उल्लिखित ढंग से भिन्न ढंग से ढका गया था। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त उपबंधों को नोट कर लें तथा संबंधित सभी को इन उपबंधों का ध्यानपूर्वक पालन करने के अनुदेश जारी करें।

भवदीय,

(एस.के. भटनागर)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23092035

संख्या– /गृह–1/3

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स, उत्तरांचल।
3.पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तरांचल।
4.समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।

गृह अनुभाग-1 देहरादून:दिनांक: नवम्बर, 2003

विषय–सरकारी गाड़ियों पर राष्ट्रीय झण्डे का सही प्रदर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल के पत्र संख्या 711/सामा0प्रशा0/2003, दिनांक 18 नवम्बर, 2003 एवं उसके साथ संलग्न भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–15/11/2003–पब्लिक, दिनांक 10 अक्टूबर, 2003 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें सरकारी गाड़ियों पर राष्ट्रीय झण्डे का सही प्रदर्शन करने संबंधी स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–सचिव,सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.11.2003 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या 711 /सा0प्र0शा0/2003

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

अपर सचिव
गृह विभाग
उत्तरांचल शासन, देहरादून

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 13 नवम्बर, 2003.

विषयः सरकारी गाड़ियों पर राष्ट्रीय झण्डे का सही प्रदर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय, से प्राप्त पत्र संख्या–15/11/2003 पब्लिक, दिनांक 11–10–2003, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय झण्डे का सरकारी गाड़ियों में उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गये हैं, की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

संख्या– 711 (1)/सा0प्रशा0/2003, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल।
2– सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तरांचल।
3– निबन्धक, मा0उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4– निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/मा0 राज्यमंत्रिगण।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 सी0 लोहनी)
उप सचिव।

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली,
दिनांक 9 अक्तूबर, 2003

10 OCT 2003

सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के
मुख्य सचिव ।

विषय: सरकारी गाड़ियों पर राष्ट्रीय झंडे का सही प्रदर्शन ।

महोदय,

मुझे भारतीय झंडा संहिता 2002 की एक प्रति संलग्न करने और आपका ध्यान झंडा संहिता के भाग III की धारा III के पैराग्राफ 3.12 तथा भाग III की धारा IX के पैराग्राफ 3.46, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है, की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है :-

भाग III, धारा III, पैराग्राफ 3.12

"जब झंडा किसी मोटर कार पर अकेले लगाया जाता है तो उसे बोनट के आगे बीचोबीच या कार के आगे दाईं ओर कसकर लगाए गए डंडे (स्टाफ) पर लहराया जाए ।"

भाग III, धारा IX, पैराग्राफ 3.46

"जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करे तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाईं तरफ लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कार के बाईं ओर लगाया जाएगा।"

राष्ट्रीय झंडे को कार की बाईं ओर लगाए जाने के अनेक दृष्टांत इस मंत्रालय के ध्यान में आए हैं। ऐसा करना राष्ट्रीय झंडे को गलत तरीके से फहराना है । अतः, आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त उपबंधों को नोट करें और संबंधित सभी को इन उपबंधों का ध्यानपूर्वक पालन करने के अनुदेश जारी करें। यह भी देखने में आया है कि कई सरकारी वाहनों में राष्ट्रीय झंडे को आगे की ओर बाईं तरफ लगाने के लिए धातु का डंडा (स्टाफ) लगा होता है। अतः, संबंधित सभी को ये अनुदेश दिए जाएं कि स्टाफ की स्थिति तत्काल बदलकर इसे या तो बोनट के आगे बीचोबीच या कार के आगे दाईं ओर लगाया जाए जैसा कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया है।

कृपया इस [illegible] के सभी [illegible] अधिकारियों के ध्यान में ला दिया जाए जो आप [illegible]
[illegible] राष्ट्रीय [illegible] आदि [illegible] है ।

भवदीय,

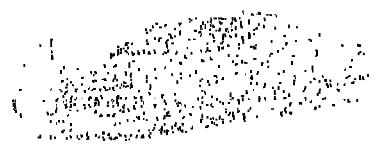
(यशवन्त राज)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 2785

[illegible] इसी प्रकार की कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

भारत सरकार के सभी [illegible]ालय/विभाग ।
राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/भारत का उच्चतम न्यायालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक/संघ लोक सेवा आयोग/योजना आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/दिल्ली उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ।
विदेश मंत्रालय [संयुक्त सचिव (समन्वय)], साउथ ब्लाक, नई दिल्ली । इस पत्र की विषयवस्तु भारत के सभी दूतावासों/उच्चायोगों के ध्यान में ला दी जाए ।

(यशवन्त राज)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 2785

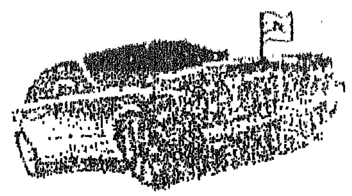
[illegible] पर राष्ट्र[illegible] झंडे को लगाने की [illegible] स्थिति [illegible] वाला चित्र



आगे दाईं ओर



आगे दाईं ओर



आगे बीचोंबीच



आगे बीचोंबीच

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग 2
XVII(1)-2/2005-104(महिला कल्याण)/2001
देहरादून : दिनांक : 23 नवम्बर, 200

अधिसूचना

... संख्या 171/म.क.-02-104(महिला कल्याण)/2002 ... पदों में गठित किशोर न्याय बोर्डों, जिनका कार्यकाल ... (देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2002 के नियम 6 के ... दिनांक 7.11.2005 को समाप्त हो चुका है, को विधिवत ... तक के लिए, पूर्ववत कार्य करते रहने की सहर्ष स्वीकृति ...

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

... (1)/XVII(1)-2/200 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ... सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
- निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तरांचल।
- समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तरांचल।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
- समस्त अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, विभागीय संस्थाएं।
- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 500प्रतियां शासकीय गजट में मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(212)

उत्तरांचल शासन

औद्योगिक विकास/सूचना प्रौद्योगिकी
उत्तरांचल शासन
देहरादून

[illegible] 0 NOV [illegible]

संख्या 456 औ[illegible]/आई०टी०/[illegible]/05
दिनांक 28 नवम्बर 2005

[illegible] 005.06
A[illegible]
614
5/12/05

[illegible] लालकुआं,
जिला [illegible],
उत्तरांचल।

[illegible] जी को सम्बोधित अपने [illegible] का सन्दर्भ [illegible] करें [illegible] में [illegible] प्रदेश सरकार के बीच [illegible] में लग रहे उद्योगों में राज्य के बेरोजगारों का 75 [illegible] एवं 20 प्रतिशत [illegible] बेरोजगारों को रोजगारों के [illegible] पर शासनादेश लागू किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या 429/औ०वि०/रोजगार/2005-06 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा [illegible] नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य के लोगों को न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवायोजन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त [illegible] शासनादेश की एक प्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित भी की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

प्रतिलिपि : 1. श्री ओ०पी०तिवारी, उपसचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल को इस आशय से कि आपने स्तर से भी अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बेरोजगार संगठन, लालकुआं को अवगत कराने का कष्ट करें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल,
पं० 614/XX-प्रा०स०/2005, दिनांक 5 दिसम्बर 2005
प्रतिलिपि तहसीलदार, लालकुआं को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त से अध्यक्ष को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. मूल प्रति गार्ड फाईल में
जिलाधिकारी
नैनीताल

WE WILL EITHER FIND A WAY OR MAKE ONE

Uttaranchal Secretariat: B Subhash Road, Dehadun INDIA
Ph:0091-135-2713554, Fax: 135-2713553, http://ua.nic.in
SIDCUL. Ph: 0091-135-2743837/8, 2713534, 2743292/97, 2743288Fax. www.sidcul.com

संख्या 429/औ.वि./रोजगार/2005-06

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
औद्योगिक विकास।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादून : दिनांक : 19 नवम्बर 2005

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य के लोगों को न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवायोजन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत शासनादेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त प्रदेश में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों को विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत प्रोत्साहन सुविधायें अनुमन्य किये जाने हेतु यह सुनिश्चित कर लें कि इन इकाईयों में न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवायोजन राज्य के लोगों को उपलब्ध हुआ है।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृ.संख्या 429/उक्त, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3. प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
6. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, 2-न्यू कैन्ट रोड़, राजपुर रोड़, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।

9. अध्यक्ष कुमाऊँ गढ़वाल चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, चेम्बर औद्योगिक आस्थान, काशीपुर/इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, मोहब्बेवाला औद्योगिक आस्थान, देहरादून/कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, ने... हाउस, राजपुर रोड, देहरादून।
10. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।
11. गार्ड फाईल।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

उत्तरांचल शासन

औद्योगिक विकास/सूचना प्रौद्योगिकी
उत्तरांचल शासन
देहरादून

संख्या 1456औ.वि./आई0टी0/पी.एस./05
दिनांक 28 नवम्बर,, 2005

अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड बेरोजगार संगठन, लालकुआं,
जिला नैनीताल,
उत्तरांचल।

कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित अपने ज्ञापन का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि ... गारों प्रदेश सरकार के बीच ... रहे उद्योगों में राज्य के ... रोजगार एवं 20 प्रतिशत स्थानीय ... को रोजगारों के ... शासनादेश लागू किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या 429/औ0वि0/रोजगार/2005–06 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य के लोगों को न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवायोजन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त वर्णित शासनादेश की एक प्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित भी की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

प्रतिलिपि : 1. श्री ओ0पी0तिवारी, उपसचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल को इस आशय से कि अपने स्तर से भी अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बेरोजगार संगठन, लालकुआं को अवगत कराने का कष्ट करें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल,
सं0 614/XX-न्या0स0/2005, दिनांक: 5 दिसम्बर 2005
1. प्रतिलिपि तहसीलदार लालकुआं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनके द्वारा अध्यक्ष को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. मूल प्रति गार्ड फाईल में
अपर जिलाधिकारी
कृते जिलाधिकारी
नैनीताल
5/12/05

WE WILL EITHER FIND A WAY OR MAKE ONE

Uttaranchal Secretariat: B Subhash Road, Dehadun INDIA
Ph:0091-135-2713554, Fax: 135-2713553, http://ua.nic.in
SIDCUL: Ph: :0091-135-2743837/8, 2713534, 2743292/97. 2743288Fax. www.sidcul.com

संख्या .../XX(3)-366/...विध/2005

जिलाधिकारी
नैनीताल.
13 DEC 2005

गृह अनुभाग-

देहरादून: दिनांक 30 नवम्बर, 2005

विषय— तहसील रानीखेत के पटवारी क्षेत्र नापण में स्वर्ग आश्रम बिनसर महादेव के प्रबन्धक श्री ललित मोहन दुर्गापाल के अपहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--889/एस0ए0/2005 दिनांक 16 नवम्बर, 2005 एवं अ0शा0पत्र संख्या--980/एस0ए0/05, दिनांक 18 नवम्बर, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तहसील रानीखेत के पटवारी क्षेत्र नापण में स्वर्ग आश्रम बिनसर महादेव के प्रबन्धक श्री ललित मोहन दुर्गापाल के अपहरण में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अपहृत व्यक्ति के सम्बन्ध में लाभप्रद सूचना देने वाले व्यक्तियों को एक लाख रुपये की धनराशि का पुरुस्कार घोषित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह अनुमति दिनांक 17.11.2005 से जारी समझी जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु व्यापार प्रचार-प्रसार करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल। (जनपद अल्मोड़ा को छोड़कर)।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
29/11/2005

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या-2140, /XX-45/उ0/2005

प्रेषक

सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

आयुक्त,
कुमायूँ मण्डल,
नैनीताल।

गृह अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक 30 नवम्बर, 2005

विषय-- उत्तरांचल राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3224/बीस-24/2004-05, दिनांक 1-3-2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1269/तीस-2/2004, दिनांक 11-8-2004 में उल्लिखित सुविधा वर्ष 1994 के पूर्व वर्ष में हुये आन्दोलन के दौरान घायल तथा सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल गये आन्दोलनकारियों के लिये अनुमन्य नहीं होंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल । (जनपद अल्मोड़ा को छोड़कर)
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल,
सं० 690/XX-न्या० स०/2005 दिनांक दिसम्बर 2005
प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल,
2- अपर जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल
3- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नैनीताल,
4- न्या० शाखा गार्ड फाईल,

प्रभारी अधिकारी
कृते जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल

[illegible] शासन,
[illegible] अनुभाग-2
संख्या [illegible] (2)-01/ रा०सु०अ०/2005
देहरादून दिनांक 09 दिसम्बर,2005.

वर्ष 2005-06
12/12/05

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम,1897(अधिनियम संख्या-10 सन 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ,1980 (अधिनियम संख्या -65 सन 1980) की धारा-9 उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग और सरकारी अधिसूचना संख्या-579,[illegible] 2-04/[illegible]/2003,दिनांक11 नवम्बर,2003 का अतिक्रमण करते हुये श्री राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश,उच्च न्यायालय नैनीताल की संस्तुति पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, परामर्शदात्री परिषद का गठन करते है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित होंगे :--

1. मा०न्यायमूर्ति श्री इरशाद हुसैन, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल। — अध्यक्ष

2. मा०न्यायमूर्ति श्री जे०सी०एस०रावत , न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल। — सदस्य

3. मा०न्यायमूर्ति(अवकाश प्राप्त)श्री वी०एन० मल्होत्रा, पूर्व न्यायाधीश,उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। — सदस्य

एस०के० दास,
प्रमुख सचिव,।

NSAdoc. 189

संख्या 3267(1)/XX( ):04/रा०रा०क०/ दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस अनुरोध के साथ कि वे इसे सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करके अधिसूचना की पचास प्रतियाँ शासन को उपलब्ध करायें।
2. समस्त मा० न्यायमूर्तिगण।
3. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ०पी०तिवारी)

उप सचिव।

संख्या-326 /XX(2)-100/सुरक्षा/2005

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

2005-06
विभाग XX ADM/06/7A
पत्रावली सं.
क्रम सं. 671
दिनांक 13/12/05

गृह अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2005

विषय:- ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री एस0सी0 त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्वतः स्पष्ट अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या P-21-25/57/2005-Dist दिनांक 28 नवम्बर 2005 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो दिनांक 19.11.2005 को लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में श्री एस0 मंजुनाथ, सेल्स ऑफिसर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की हत्या के संबन्ध में है।

उक्त के संबन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा प्रदेश में निरीक्षण के समय अगर पुलिस बल की मांग की जाती है तो उन्हें नियमानुसार पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
9/12/2005
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री एस0सी0 त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 21-25/57/2005-Dist दिनांक 28 नवम्बर 2005 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
पर्यटन विभाग
संख्या— /VI/2005—12(3) 2004
देहरादून दिनांक— 17 दिसम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली ... उप नियम ... के प्राविधानों के अनुरूप एवं नियमावली में ... नियमों के अधीन अराजपत्रित पर्यटन कर्मचारी संघ उत्तरांचल को मान्यता ... स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकित संख्या— /VI/—12(3) 200 /समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव मा0मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. अध्यक्ष, अराजपत्रित पर्यटन कर्मचारी संघ उत्तरांचल देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द
अपर स

उत्तरांचल शासन,
गृह अनुभाग-4,
संख्या:2559/XX(4)-82/कारा0/2005
देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, जेल मैनुअल के अध्याय 25 के प्रस्तर-669 एवं प्रस्तर-671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन उप कारागार, हल्द्वानी हेतु श्री मोहम्मद यार खाँ पुत्र श्री अली यार खाँ, निवासी ग्राम अलीनगर (ग्राम पंचायत फिरोजपुर) पो0 शहदौरा, तहसील किच्छा, जनपद उधमसिंहनगर को जेल विजिटर के रूप में दो वर्ष के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन पूर्णतया अस्थाई है तथा इसे कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। नामांकन अवैतनिक होगा तथा इसके लिये सम्बन्धित जेल विजिटर को किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

एस0के0दास
प्रमुख सचिव।

संख्या 2559/1/XX(4)-82/कारा0/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक कारागार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
4. अधीक्षक, उप कारागार, हल्द्वानी।
5. श्री मोहम्मद यार खाँ पुत्र श्री अली यार खाँ, निवासी ग्राम अलीनगर (ग्राम पंचायत फिरोजपुर) पो0 शहदौरा, तहसील किच्छा, जनपद उधमसिंहनगर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0के0तोमर)
अनुसचिव।

-223-

संख्या 764/ 05—06 अभि0/2005

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक अभियोजन,
उत्तरांचल,देहरादून ।

गृह अनुभाग-

देहरादून:दिनांक 22 दिसम्बर, 2005

विषय.- अभियोजन विभाग के विभागीय ढॉचे को कार्मिक प्रबन्धन नियमों के अनुरूप संशोधन किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि.नि./154/2003,दिनांक 05 सितम्बर,2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या-841/गृह-3-246/अभि0/2002,दिनांक 27 सितम्बर,2003 द्वारा स्वीकृत अभियोजन विभाग के विभागीय ढॉचे को कार्मिक प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत पिरामिड के रूप में परिवर्तित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय अभियोजन निदेशालय मुख्यालय हेतु संयुक्त निदेशक वेतनमान रू0—12000—16500 में स्वीकृत दो पदों में से 1 पद को कम करते हुए उक्त पद के स्थान पर मुख्य अभियोजन अधिकारी का 1 पद वेतनमान रू0 10000—15200 में तथा मा0 उच्च न्यायालय हेतु स्वीकृत ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी वेतनमान रू0—8000—13500 के 1 पद को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर मुख्य अभियोजन अधिकारी का 1 पद वेतनमान रू0—10000—15200 में सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—2006 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या- 10 के लेखाशीर्षक 2055—पुलिस- 00—अन्य व्यय 03 अभियोजन अधिष्ठान की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1148/XXVII/(5)1/ 2005 दिनांक 19 दिसम्बर,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(एस0एस0टोलिया)
अनुसचिव ।

फैक्स

संख्या /XX(...)05-06 अभि0/03तदिनांक

प्रति‍लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं ... कार्यवाही ...

1 ... लाकार,उत्तरांचल,ओबेराय मोटर्स ...,गाजरा,देहरादून ।

2 ... सचिव,कार्मिक विभाग,उत्तरांचल शासन ।

3 ... र जनरल,मा0 उच्च न्यायालय ... ।

4 ... कारी,देहरादून/नैनीताल ।

5 ... कोषाधिकारी,देहरादून/नैनीताल ।

6 ... अनुभाग-1

7 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एस0एस0तोलिया)
अनुसचिव

-225-

वर्ष 2005-06
विभाग A.D.M./96
पत्रावली सं० ....
भाग सं०
रजिस्टर सं० 1007
दिनांक 17/1/96

संख्या--17/VI-I/2005
A.D.M./96/701

प्रेषक,
... ओमारे...
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तरांचल, ...

...
...
13 ...

...ण अनुभाग

देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर ...

विषय:- उत्तरांचल प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त ... आपके ... संख्या--1014/दो--1084/05-06 दिनांक--13 दिसम्बर, ... एवं अधिसूचना संख्या 172/VI-I/200...-31(युवा)/2003 दिनांक-- 8, दिसम्बर 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग उत्तरांचल को वित्तीय वर्ष 2005-.. में उत्तरांचल प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) निदेशक, युवा कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उत्तरांचल प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष नियमावली सं०-172/VI-I/2003--3 (युवा)/2003 दिनांक--8 दिसम्बर 2005 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा एवं उन्ही उद्देश्यों एवं कार्यो में किया जायेगा जो कि उक्त नियमावली में व्यवस्था है।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

4. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के उपरान्त इसका उपयोगिता प्रमाण--पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 06 के अनुदान

द तथा युवा सेवायें 00–आयोजनेत तथा प्रशा

ापना 00–20–सहायक अनुदान/ यता के

वित्त विभाग के अ0 शा0 संख्या–450) /200

सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

/VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल, देहरादून।
6. एन0 आई0सी0, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : ~~दिसम्बर~~, 2005

विषय. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जनपदों में गठित किशोर न्याय बोर्डों में नामित गैर सरकारी सदस्यों/सामाजिक कार्यकर्ताओं को मानदेय भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या 171/म.क. /2002- 104(महिला कल्याण)/2002 दिनांक 8.11.2002 के द्वारा जनपदों में गठित किशोर न्याय बोर्डों में नामित गैर सरकारी सदस्यों/सामाजिक कार्यकर्ताओं को बोर्ड की प्रति बैठक रू. 50/-- अथवा रू. 300/-- प्रतिमाह, जो भी कम हो, की दर से मानदेय का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त व्यवस्था भविष्य में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्डों के पुनर्गठन के उपरान्त नामित सदस्यों के संबंध में भी लागू रहेगी।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 465/XXVII(3)/2005 दिनांक 26दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 666(1)/XVII(1)-2/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तरांचल।
4. समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड फाइल।

[illegible]रांचल सरकार – 226 –

गृह अनुभाग–2

[illegible] /XX(2)/रासुका–04/2001

दिनांक: 04 जनवरी, 2006

अधिसूचना

चूंकि [illegible] रांचल के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें [illegible] हुई हैं और [illegible] लेकिन [illegible] राज्य के अन्य भागों में भी [illegible] हुई हैं और [illegible] अन्य [illegible] भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है;

और [illegible] राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के [illegible] सेवाओं को बनाये रखने के प्रतिकूल क्रियाकलापों [illegible]

[illegible] में विद्यमान और सम्भावित परिस्थितियों [illegible] । राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि [illegible] आवश्यक है।

[illegible] साधारण [illegible] अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् [illegible]) की धारा 21 [illegible] पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए [illegible] उत्तरांचल सरकार की अधिसूचना सं0 [illegible]/XX(2)/रासुका [illegible] 003, दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 को आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक [illegible] जनवरी, 2006 से तीन मास की अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।

एस0के0 दास

प्रमुख सचिव, गृह।

पृष्ठांकन संख्या— (1)/XX(2)/रासुका—04/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस अनुरोध के साथ कि वे इसे सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर अधिसूचना की पच्चास प्रतियां शासन को उपलब्ध कराएं।

2— समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।

3— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल

4— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0 तिवारी)

अनुसचिव, गृह।

DM/05 [illegible]

जिलाधिकारी नैनीताल

[illegible] 20.5.06 [illegible]/06 ... 26/1/06

suance of ... 348 of the Constitution of the Gov... order the publication of the ...ing English ...ation of ...otification No.10 /XX(2)/ NSA-03, dated ... general information.

Government of Uttaranchal

Home Department

...o. 10 /... NSA -04/2003

D...adun: Dated 04 January, 2006

WHE... in the ... there have been incidents of ...ce in cer... Distri... of Uttaranchal and as a reaction ...o, similar incidents have occurred in othe parts of the State ...re likely to ...cur in other parts of the State also;

AND, WHEREAS anti social elements are indulging in ...ies prejudi...d to the security of the State, maintenance of ...ic order and maintenance of supplies and services essential to ...community :

AND WHEREAS in view of the aforesaid circumstances ...ailing and likely to prevail in Uttaranchal, the State ...ment is satisfied that it is necessary to do so.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers ...erred by sub- section (3) of section 3 of the National Security ...1980(Act No 65 of 1980) read with section 21 of the General ...ses Act, 1897(Act No. 10 of 1897) and in partial modification ...the Government of Uttaranchal Notification No. .../XX(2)/NSA-4/2003 dated 13th October, 2005 the Governor is ...sed to empower all the District Magistrates in the State to ...cise the power, conferred by sub section (2) of section 3 of the ...Act for further period of three months, with effect from 19th ...ary, 2006.

S.K. DAS
Principal Secretary, Home.

-230-

उत्तरांचल शासन,
गृह अनुभाग--4,
संख्या: 57 / XX(4)--82 / कारा0 / 2005
देहरादून: दिनांक: 10 जनवरी, 2006

31 JAN 2006

जिलाधिकारी
नैनीताल

कार्यालय ज्ञाप

31 JAN 2006

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, जेल मैनुअल के अध्याय 25 के प्रस्तर-669 एवं प्रस्तर-671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन उप कारागार, हल्द्वानी हेतु श्री चन्दन हरबोला निवासी दो नहरिया, त्रिलोक नगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को जेल विजिटर के रूप में, दो वर्ष के लिये नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन पूर्णतया अस्थाई है तथा इसे कभी भी बिना सूचना या कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। नामांकन अवैतनिक होगा तथा इसके लिये सम्बन्धित जेल विजिटर को किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

एस0के0दास
प्रमुख सचिव।

संख्या- 57 / 1 / XX(4)--82 / कारा0 / 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिरीक्षक कारागार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
4. अधीक्षक, उप कारागार, हल्द्वानी।
5. श्री चन्दन हरबोला निवासी दो नहरिया, त्रिलोक नगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
अनुसचिव।

संख्या : 665 / XVII(1)-2 / 2005-06(39) / [illegible]05

प्रेषक,

[illegible] शासन।

सेवा में,

[illegible] प्रमुख सचिव / सचिव,
[illegible] शासन।
[illegible] विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
[illegible]

[illegible] अनुभाग-2 [illegible] 16 जनवरी, [illegible]

विषय : [illegible] कार्मिकों को अनुमन्य वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते [illegible] पुनरीक्षण के [illegible]

[illegible]

[illegible] समक्ष पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश [illegible] शासनादेश संख्या 916/65 [illegible] [illegible] का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा [illegible] समिति (1997–98) की संस्तुति [illegible] निर्णयानुसार विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग [illegible] को अनुमन्य वाहन भत्ते [illegible] व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते) की दरों का पुनरीक्षण किया गया था। उक्त अवधि में उत्तरांचल भी [illegible] प्रदेश का भाग होने के कारण उपरोक्त संदर्भित शासनादेश उत्तरांचल में नियुक्त कार्मिकों पर [illegible] समान रूप से लागू है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों में उक्त शासनादेश [illegible] अनुसार विकलांग कार्मिकों को वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते के भुगतान में कठिनाई हो रही है।

2. [illegible] उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 [illegible] की छायाप्रति सुलभ [illegible] संलग्न [illegible] करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते का उत्तरांचल के विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कार्मिकों को भी नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें तथा तद्नुसार अपने नियंत्रणाधीन / अधीनस्थ विभागों / अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 665 (1) / XVII(1)-2 / 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
6. निदेशक, [illegible] आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की (हरिद्वार) को संलग्नक की प्रति सहित इस आशय से कि इस शासनादेश की 200प्रतियां मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निजी सचिव, राज्यपाल, उत्तरांचल।
11. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
13. गार्ड फाइल।

(वि... ... ...रियों के वाहन भत्तों का पु...)

संख्या–916 / 65–1–2000

प्रेषक,
श्री नेता ...
सचिव, उ... ...
विकलांग क... ...

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख ...
उत्तर प्रदेश

लखनऊ : दिनांक 19 ... 2000

विषय :– वेतन ... (... –00) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ0 प्र0 सरकार के अधीन ... विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते ... दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त ... शासनादेश संख्या–1315 / 26–2–89 / 609 / 78, दिनांक 31 मार्च, 1990 ... शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य–स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस ... में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्तों की ... का पुनरीक्षण ... तथा इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेतनसमिति (... –90) के ... प्रतिवेदन द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार ... राज्यपाल महोदय उक्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों में पूर्व निर्धारित शर्तों एवं ... के अधीन ... स्तम्भ–3 में ... दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष ... प्रदान करते ... :–

क्र0 सं0	पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन भत्तों की पुनरीक्षित दर (रु0 प्रतिमाह)
	2	3
	रु0 3049 ...	150
	रु0 3050 से 5999 तक	200
	रु0 6000 एवं अधिक	250

[illegible] ...विद्यालयों / मूक तथा बधिर विद्यालयों ... शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के ऐसे प्रधानाध्यापकों / प्रधानाध्यापिकाओं तथा ...पकों / अध्यापिकाओं, जिन्हें शासनादेश संख्या–1316 / 25–2–89–609 / 78, दिनांक 31–3–1990 ... अधीन वाहन भत्ता अनुमन्य है मामले में नियमानुसार वाहन भत्ता निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने ... श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	पदनाम	वाहन भत्ता की पुनरीक्षित दर (रु0 प्रतिमाह)
	प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका	250
	अध्यापक / अध्यापिका	300

3– उपर्युक्तानुसार वाहन भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो अतिरिक्त व्ययभार ... सम्बन्धित विभाग अपने–अपने आय व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक / प्राथमिक इकाई में ... व्यवस्था कराकर करेंगे।

4– उक्त वाहन भत्ते को अब से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता नाम से जाना जायेगा।

5– उक्तानुसार वाहन भत्तों की पुनरीक्षित दर इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी ...

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–सा–4–370 / दस–2000, दिनांक 9–6–2000 ... की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
ह0 / –(नितराम)
सचिव।

गोपनीय/शीर्ष प्राथमिकता

24-JAN 2006

[illegible] कारागार,

सेवा में

अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर।
[illegible], जिला कारागार,
[illegible] अल्मोड़ा/टिहरी/पौड़ी/हरिद्वार/देहरादून।
3 [illegible], उप कारागार, हल्द्वानी/रुड़की।

पत्रांक [illegible] जेल सुरक्षा–पीएस/05 दिनांक जनवरी [illegible],2006

विषय— जेल में आपत्तिजनक सामग्री पर [illegible] से प्रतिबन्ध लगाने विषयक।

महोदय,

मेरे द्वारा पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि राज्याधीन जेलों में जेल स्टाफ अथवा मुलाकातियों की जेल में प्रवेश करते समय नियमित तलाशी होनी चाहिए [illegible] यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बंदी अथवा जेल स्टाफ जेल के अन्दर कोई भी आपत्तिजनक वस्तु न ले जाने पाये। इसमें मोबाइल फोन भी शामिल था। किन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन आदेशों का पालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर दैनिक जागरण (गढ़वाल संस्करण) के दिनांक 8 जनवरी, 2006 के अंक में छपे समाचार "जेल में मोबाइल:लापरवाही की [illegible]" (कटिंग की छाया प्रति संलग्न) अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जेलों में प्रवेश के समय बंदियों, मुलाकातियों [illegible] जेल स्टाफ की समुचित तलाशी नहीं ली जा रही है एवं इस सम्बन्ध में [illegible] नियमों/निर्देशों/आदेशों का पालन करने में ढिलाई बरती जा रही है, जैसा कि संलग्न कटिंग में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 8.1.2006 को अधिकारियों के समक्ष [illegible] से तलाशी करते समय कथित कुख्यात चीनू पंडित से मोबाइल फोन बरामद किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रकार अन्य लोगों द्वारा भी जेल में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा होगा। यदि वास्तव में जेल में प्रवेश के समय सदैव सख्ती से जाँच/तलाशी की जाती तो सामान्यतया ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती एवं विभाग की छवि भी धूमिल न होती।

अतः एतद् द्वारा पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि जेल में प्रवेश करते समय समस्त बंदियों, मुलाकातियों, जेल स्टाफ अन्य सभी लोगों की समुचित तलाशी अवश्य ली जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी व्यक्ति जेल के अन्दर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु, मोबाइल फोन आदि न ले जाने पाये।

भवदीय,

(एस० राजू)
महानिरीक्षक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—
1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2— अपर महानिरीक्षक, कारागार।

(एस० राजू)
महानिरीक्षक

48

कार्यालय, अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय, उत्तरांचल देहरादून।

पत्रांक, वित्त नियंत्रक/बजट 2005-06)/05/50 दिनॉक 27

सेवा में,

विषयः— बजट आवंटन ।

वित्तीय वर्ष 2005-06 अनुदान–10 लेखाशीर्षक 2055 पुलिस प्रशासन, अन्य व्यय,03 अभियोजन अभियोजन–आयोजनेत्तर,के अन्तर्गत शासन के आदेश सं0104/... अभि0/बजट/05 दिनांक 19 1 2006 जिसके द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम ... में धनराशि प्राप्त हुई है तथा उत्तरांचल शासन के पत्र ... अभि0/04गृह अनुभाग–5 दिनांक 31 3 2005 के द्वारा मुख्य अभियोजन अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय हेतु 1 एस0टी0डी0 सहित नये टेलीफोन कनेक्शन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। नये दूरभाष ... हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	मद का नाम	पूर्व आवंटित धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	योग	बजट ... में प्राविष्ट का कमांक
1–	13 टेलीफोन	00	4000	4000	11

(रू0 चार हजार मात्र)

27/1/06

(रमेश चन्द्र अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,देहरादून।

प्रतिलिपि – वरिष्ठ कोषाधिकारी,नैनीताल को उपर्युक्त उल्लिखित पुर्नविनियोग के शासनादेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2– मुख्य अभियोजन अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

3– ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, नैनीताल ।

4– कार्यालय प्रति।

(रमेश चन्द्र अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,देहरादून।

अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय,उत्तरांचल,देहरादून।

पत्र सं0: [illegible] 05--06)/05/57। दिनांक [illegible] जनवरी,06

सेवामें,

[illegible]

विषय:-- [illegible]

[illegible] 06 अनुदान--10 लेखाशीर्षक 2055 पुलिस प्रशासन,800अन्य व्यय ,03 अभियोजन [illegible] के अन्तर्गत शासन के आदेश सं0 104/XX(05)05--02 अभि0/बजट [illegible] -2006 जिसके द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से विभिन्न मदों में धनराशि प्राप्त हुई है। निम्नानुसार विभिन्न मानक मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त [illegible] के आधार पर जो बचतें दिखाई गयी हैं उन्हें पुनर्ग्रहीत भी किया जा रहा है। कृपया तदनुसार अपने आंकड़ों में इन्द्राज करने का कष्ट करें।

क्र0सं0	मद का नाम	पूर्व में आवंटित धनराशि	पुनर्ग्रहीत धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	कुल आवंटित धनराशि
1--	01 वेतन	861500	00	107200	968700
2--	03 महंगाई भत्ता	258450	00	21000	279450
3--	04 यात्रा भत्ता	6000	00	00	6000
4--	05 स्थाना0 या0 भत्ता	6000	6000	00	00
5--	06 अन्य भत्ता	90000	00	19500	109500
6--	08 कार्यालय व्यय	7500	00	00	7500
7--	09 विद्युत व्यय	00	00	00	00
8--	10 जलकर	00	00	00	00
9--	11 लेखन सामग्री	4500	00	00	4500
10--	12 कार्या0 फर्नी0	1000	00	00	1000
11--	13 टेलीफोन व्यय	3000	00	4500	7500
12--	15 पैट्रोल आदि	00	00	00	00
13--	[illegible]	00	[illegible]	00	00
14--	27 चिकित्सा व्यय	5000	00	00	5000
15--	29 अनुरक्षण	00	00	00	00
16--	42 अन्य व्यय	1000	00	00	1000
17--	45 अवकाश यात्रा व्यय	00	00	00	00
18--	46 कम्प्यूटर क्रय	00	00	00	00
19--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण	1000	00	00	1000
20--	48 महंगाई वेतन	430750	00	43000	473750
	कुल योग	1675700	6000	195200	1864900

पुनर्ग्रहीत की गयी धनराशि रू0 छः हजार मात्र
वर्तमान आवंटन रु0 एक लाख पचानब्बे हजार दो सौ मात्र

27/1/06
(रमेश चन्द्र अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,देहरादून।

कृ0प0उ0

... [illegible] ...ारी, नैनीताल को उपर्युक्त उल्लि[illegible] पुनर्विनियोग के [illegible]

प्रति[illegible] ... हेतु प्रेषित ।

प्रति[illegible] ...

... [illegible] ...धिकारी, नैनीताल ।

2 ... [illegible]

3

(रमेश चन्द्र अग्रवाल)

वित्त नियन्त्रक अभियोजन,

अभियोजन निदेशालय, देहरादून,

(उत्तरांचल)

प्रेषक,

ओ०पी० तिवारी,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय)
उत्तरांचल, देहरादून।

[illegible] देहरादून दिनांक फरवरी 2006

विषय:- नवसृजित थाना चोरगलियां में 0.40 है० वन भूमि का पुलिस विभाग को हस्तान्तरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सं०-[illegible]-95/2005, दिनांक 30 [illegible] 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद नैनीताल में नवसृजित थाना चोरगलियां के निर्माण हेतु 0.40 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तान्तरण एन०पी०वी० हेतु रू० 3.68 लाख (रुपया तीन लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- एन०पी०वी० का भुगतान वन विभाग को किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-211-पुलिस आवास-00-04-पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण-00-00-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-116/XXVII/5(1)/2005 दिनांक 27 जनवरी 2006 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ०पी० तिवारी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून/नैनीताल।
4. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, उत्तरांचल, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
6. जिलाधिकारी /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
7. वित्त अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ०पी० तिवारी)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5
संख्या 113/XXIV-2/2006
देहरादून दिनांक 31 जनवरी, 2006

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिये उत्तरांचल की शिक्षा विभाग की जिसमें उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् भी सम्मिलित है, की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

2- उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल यह भी आदेश देते है कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

डी0के0कोटिया
सचिव शिक्षा।

संख्या- 49 (1)/XXIV-2/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, गृह उत्तरांचल शासन।
2. अपर सचिव, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक विद्यालयी शिक्षा एवं सभापति, उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
4. अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

240

निदेशालय,
आई0सी0डी0एस0, उत्तरांचल
ए0–47, सेक्टर–4, डिफेन्स कालोनी, देहरादून
संख्या ... दहेज प्रतिषेध–946 /2005–06, दिनांक 03 फरवरी 2006

कार्यालय ज्ञाप

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 3544/XVII(4)/2005 दिनांक 24 जनवरी 2006 के अनुक्रम में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा–... की उपधारा (1) के खण्ड ख के उपखण्ड (II) के अधीन उत्तरांचल राज्य हेतु श्री मानव कल्याण समिति (प्रधान कार्यालय सी0के0 5/31 सुड़िया वाराणसी तथा प्रान्तीय कार्यालय एल0–1–9 एम0डी0डी0ए0 कालोनी केदारपुरम, देहरादून) को एतद्द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

(हेमलता ढौंडियाल)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : (1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तरांचल शासन।
(2) सचिव श्री मानव कल्याण सेवा समिति, एल–1–9 एम0डी0डी0ए0 कालोनी केदारपुरम, देहरादून।
(3) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
(4) सचिव, उत्तरांचल राज्य महिला आयोग, देहरादून।
(5) समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी।

निदेशक

FAX NO. : 0091 135 2713662 Feb. 07 2006 12:13PM P1

फैक्स/डाक से,

अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय भवन, सुभाष मार्ग,
उत्तरांचल देहरादून।

पत्रांकःअभि0नि0/ न्यूज एक0, 12(सं0नि0)/2005/67/06 दिनांक 6 फरवरी, 2006

समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल, ऊधमसिंह नगर/पौडी।
समस्त अभियोजन अधिकारी,
टिहरी/उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग/चमोली/अल्मोड़ा/
बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत।

उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या–175/XX(5)/06–36अभि0/05 गृह अनुभाग–5, दिनांक 01 फरवरी 2006 के तहत मुझे संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नति किये जाने के फलस्वरुप मैंने दिनांक 4–2–2006 की अपराह्न में संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, मेरा दूर भाष नम्बर–2090988 तथा मोबाईल नम्बर– 9412130667 है।

तदनुसार सूचित हो।

(बी0डी0जोशी)
संयुक्त निदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,
उत्तरांचल देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
2– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक उत्तरांचल।
3– समस्त वरिष्ठ/कोषाधिकारी उत्तरांचल।

(बी0डी0जोशी)
संयुक्त निदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,
उत्तरांचल देहरादून।

प्राप्ति का दिनांक 13 MAR 2006

उत्तरांचल शासन

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग

संख्या-37?/XVII(2)/2005

देहरादून: दिनांक 20 फरवरी, 2005

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666/1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त, 1997 के कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण [illegible] समिति/जनपद समिति कमेटी का गठन क्रमशः दिनांक 18.08.2005 व 22.08.2005 को किया गया।

उक्त [illegible] समितियों के संबंध में जो शासनादेश पूर्व में जारी किया गया है, उसमें उल्लेख किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवायी तथा शिकायतों में उचित कार्यवाही की संस्तुति करने के लिये शिकायत निर्वारण समिति का गठन किया जाता है।

इस संबंध में शासन द्वारा सम्यकविचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जारी शासनादेश में शासकीय विभाग के अतिरिक्त राज्य सहायतित संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर, शैक्षिणक संस्थाओं को भी इन कमेटीयों में सम्मिलित किया गया है। कृपया पूर्व में जारी आदेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

प्रतिलिपि : 377(1)/XVII(2)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. संबंधित अधिकारी।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

1005067 - 243

वर्ष 04/20
विभाग
.... सं० ....
.... सं० 1599
.... सं० .... 2/3/06
दिनांक..........

ROM:

TO:955942236301

P:1

कार्यभार प्रमाणक

प्रमाणित किया जाता है कि महानिरीक्षक, कारागार का कार्यभार कार्मिक अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन, देहरादून के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–1108/तीस–1–2006, दिनांक 28 फरवरी, 2006 जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में आज दिनांक 28 फरवरी, 2006 की पूर्वान्ह/अपरान्ह में मेरे द्वारा ग्रहण कर लिया गया है।

अवमोचक अधिकारी.................
(भास्करानन्द)

अवमुक्त अधिकारी.................
(एस० राज)
महानिरीक्षक, कारागार
उत्तरांचल

संख्या: 268/म.नि.का./2006, दिनांक: 28 फरवरी, 2006।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माँजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन
3– प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँयू।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8– समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार, उत्तरांचल।
9– [illegible] अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
10– कार्मिक अनुभाग–1
11– गार्ड फाईल।

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक, कारागार
उत्तरांचल, देहरादून।

177
17/3/0

प[illegible] 2/[illegible](लेखा0 बजट-2005-06)/[illegible] दिनॉक [illegible] मार्च, 06

से[illegible]

[illegible]

वि[illegible]

[illegible] 05-06 अनुदान-10 लेखाशीर्षक 20[illegible] [illegible]

अभि[illegible] [illegible]अभियोजन[illegible],के अन्तर्गत शासन के आदेश सं0 261/[illegible]05-[illegible]

अभि0/[illegible] [illegible] 2006 एवं शा0सं0-104/XX [illegible]-02/[illegible]/बजट/[illegible]दिनांक

19-1-[illegible] [illegible] निदेशालय में वितरण हेतु शेष धनराशि [illegible] इसके अतिरिक्त [illegible]

सूचना [illegible] बचतें दिखाई गयी हैं, उन्हें पुर्नग्रहीत [illegible] बजट आवंटित कि[illegible]

जा रहा[illegible]

क्र0सं0	[illegible]	पूर्व में आवंटित धनराशि	पुर्नग्रहीत धनराशि	वर्तमान आवंटित धनराशि	कुल आवंटित धनराशि
1-	[illegible]	00	[illegible]	00	[illegible]
2	[illegible] महंगाई भत्ता	00	[illegible]	00	[illegible]
3	04 [illegible] भत्ता	00	[illegible]	00	[illegible]
4	05 [illegible] भत्ता	00	[illegible]	00	[illegible]
5-	06 [illegible] भत्ता	00	[illegible]	00	[illegible]
6-	08 कार्यालय व्यय	00	[illegible]	00	[illegible]
7-	09 विद्युत व्यय	00	[illegible]	00	[illegible]
8-	10 [illegible]	00	00	00	[illegible]
9-	11 लेखन सामग्री	00	00	6000	6000
10-	12 कार्या0 फर्नी0	00	00	00	00
11-	13 टेलीफोन व्यय	4000	2500	00	1500
32-	15 पट्रोल आदि	00	00	00	00
13-	26 मशीन और स[illegible]	00	00	00	00
14-	27 चिकित्सा व्यय	00	00	00	00
15-	29 अनुरक्षण	00	00	00	00
16-	42 अन्य व्यय	00	00	00	[illegible]0
17-	45 [illegible]	00	00	00	[illegible]0
18-	46 [illegible]	00	00	00	[illegible]0
19-	[illegible] अनुरक्षण	00	00	00	00
20-	48 [illegible] वेतन	00	00	00	00
	[illegible] योग	4000	2500	6000	7500

(वर्तमान आवंटित धनराशि छः हजार मात्र)
(पुर्नग्रहीत की गयी धनराशि रू0 दो हजार पॉच सौ मात्र)

(बी0डी0 जोशी) 6/3
वित्त नियंत्रक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- जिलाधिकारी, नैनीताल ।
2- प्रयोजन अधिकारी, पर्यटन उप न्यायालय, नैनीताल ।
3- प्रयोजन अधिकारी, नैनीताल ।
4- गार्ड फाइल ।

([illegible] जोशी)
वित्त नियंत्रक, उपनियोजन,
कृषियोजना निदेशालय, देहरादून ।
[illegible]

/डाक

अभियोजन निदेशालय,
[illegible] पुलिस मुख्यालय भवन 12 सु[illegible]
देहरादून उत्तरांचल ।
अनु0-एक/131(पु0अ0अ0)/[illegible] दिनांक [illegible] मार्च [illegible]

:-- आदेश --:

गृह विभाग उत्तरांचल शासन के आदेश [illegible] 175/XX (5)/06-01अभि0/[illegible] अनुभाग-5, दिनांक 03-3-20[illegible] द्वारा श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता [illegible] अभियोजन अधिकारी नैनीताल को वेतनमान रू0 10000-15200 में मुख्य अभियोजन अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के रिक्त पद पर पदोन्नत किया गया है। श्री गुप्ता अपने पदीय कार्यों के निर्वहन के साथ-साथ अग्रिम व्यवस्था होने तक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी नैनीताल के कार्यों का भी सम्पादन पूर्ववत् करते रहेंगें।

(आलोक बि0 लाल)
निदेशक अभियोजन, उत्तरांचल,
देहरादून।

प्रतिलिपिः-- निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव गृह उत्तरांचल शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी नैनीताल नैनीताल ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल।
4. संबंधित अधिकारी।
5. कार्यालय प्रति।

(आलोक बि0 लाल)
निदेशक अभियोजन, उत्तरांचल
देहरादून।

प्राप्ति क्रिया
हस्ताक्षर
दिनांक-
पु-मु- देहरादून

13 MAR 2006

297

उत्तरांचल शासन

अनुभाग

जिलाधिकारी
पेबीवाल.

संख्या: 7-02/XXX-2/2006

देहरादून: दिनांक 07 मार्च, 2006

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के नामांकन हेतु एक समिति के गठन हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन । - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन । - सदस्य
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन । - सदस्य
4. श्री ... पी0 ..., सेवानिवृत्त, आई0ए0एस0 । - सदस्य
5. डा0 राजेन्द्र सिंह,कुलपति,देहरादून विश्वविद्यालय । - सदस्य

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव ।

संख्या: (1)/ xxx-2/2006, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
5. कार्मिक, लोक प्रशासन एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सराकार, नई दिल्ली ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

[illegible]

[illegible] /36(1)/2006 [illegible]

[illegible] 2006

[illegible] 2006

[illegible] ा संहिता (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2006 [illegible] 2006) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन [illegible] 2006 को इस अधिनियम के [illegible] किए जाने [illegible] करते हैं।

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

20[illegible] (1) [illegible] /36(1)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।

उपनिदेशक राजकीय प्रेस रुड़की को इस अनुरोध के साथ कि वे सूचना को [illegible] दिनांक के असाधारण गजट [illegible] परिशिष्ट के भाग 1 खण्ड क में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियां न्याय विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

[illegible] एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।

गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Dhyani 2/3
(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

-३५१-

... nce of the provisions of clause (3) of Article 348 ... tution of India, the Gove... is pleased to order ... of the following En... translation of the ... No. 204/...dated 28-3-06 ... general information

Government of Utt... chal
Law Department
... 204 /Naya Vibhag/36 ... /2006 ...
Dehradun:dated:28 Mar... 2006

In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section ... the Code of Civil Procedure (Uttaranchal Amendment) Act, 2005 (Act No 1 of 2006), the Governor is pleased to appoint 22nd March, 2006 as the date of commencement of this Act.

(U C Dhyani)
Secretary

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग-5
XX(5)/06-23 अभि0/05
दिनांक : 23 मार्च, 2006

...प्ति/स्थानान्तरण

एत... ...ी विज्ञप्ति संख्या-695/XX(5)/06-... ...05, दि... ...2005 एवं संख्या-181/XX(5)/05-... ...05, दि... ...6, को निरस्त करते हुए श्री ...िंह ... ...ा अधिष्ठान, सेक्टर, नैनीताल ... तथा ... अभियोजन अधि... ...िंह, अभियोजन अधिकारी ... अभियोजन विभाग के जनपद नैनीताल ... में तैनात कि... ...

आज्ञा से,

विभा पुरी दास
प्रमुख सचिव।

381(1)/XX(5)/0... ...भि0/05, तद्दिनांक।
निम्नलिखित को ... एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
...लेखाकार, लेखा ... उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, ...रा ...दून।
...शक, अभियोजन, उत्तरांचल पुलिस मुख्यालय, देहरादून को इस अनुरोध ...ाथ कि वे कृपया उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में श्री केशर सिंह, ...भियोजन अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका का मा0 उच्च न्यायालय से ...ारा कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
...देशक, सतर्कता विभाग, उत्तरांचल पुलिस मुख्यालय।
...ठ अभियोजन अधिकारी, नैनीताल।
...युक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को गजट के अगले ...क में प्रकाशनार्थ।
...बन्धित अभियोजन अधिकारी।
...जिलाधिकारी, नैनीताल।
...कोषाधिकारी, हल्द्वानी/नैनीताल।
...गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनुसचिव।

संख्या-593/XX(3)- C.B.C.I.D./2006

28 MAR 2006

DM/704/SM

जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रेषक,

शासन।

सेवा में,

देहरादून: दिनांक 23 मार्च, 2006

गृह अनुभाग 3

विषय:— 04, फौ0वा0सं0—164/06 सरकार बनाम रोहित आदि ... नैनीताल की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

... के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा ... मु0अ0सं0—672/04, फौ0वा0सं0—164/06 सरकार बनाम रोहित आदि ... जिला नैनीताल की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— कृपया तदनुसार शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए, जाँच आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वर्ष 2005-06
विभाग A.O.M./O.C./7A
... सं0 ....
... सं0 1930
रजिस्टर सं0 ....
दिनांक 31/3/06

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2— जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
4— गार्ड फाइल।

(56)

-252-

संख्या 2 1 -/XXXi(13)/18(4)/2006

28 MAR 2006

01.04.06 J.A.

शासन। वर्ष 2005-06

A.D.M/06/J.

रजिस्टर नं० 1922

दिनांक 31/3/06 देहरादून, दिनांक मार्च, 2006

भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन।

...विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 766/एक–1–2001 ... 2001 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे ... कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय ... अधिकारियों द्वारा ... देशों को प्रेषित किये जाने वाले प्रमाण पत्रों (यथा– जन्म ... प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र/निकाहनामा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण ... शैक्षिक ... आदि) को सत्यापित किये बगैर "प्रतिहस्ताक्षरित" अथवा ... प्रमाणित" करके शासन को भेज दिया जाता है तथा सम्बंधित अधिकारियों द्वारा ... नाम तथा पदनाम की स्पष्ट मुहर न लगाकर कृते जिलाधिकारी की मुहर ... जाती है। फलतः शासन स्तर से ऐसे अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है और उसे पुनः सम्बंधित जिलाधिकारी को वापस करना ... है जिससे प्रकरण में अनावश्यक बिलम्ब होता है। ऐसे अनावश्यक बिलम्ब के ... सम्बंधित व्यक्तियों को असुविधा होती है।

2– इस प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासन को सत्यापनार्थ प्रेषित किये जाने वाले इस प्रकार के प्रमाण पत्रों के सम्बंध में निम्नलिखित प्रकिया /कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त ही शासन को संदर्भित किये जायें–

(क) ऐसे प्रमाण पत्रों की सत्यता की जॉच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जाने एवं उनकी सत्यता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही जिला मजिस्ट्रेट स्वयं अथवा उनके द्वारा इस कार्य के लिए नामित अधिकारी(कम से कम अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर का) द्वारा "सत्यापित" शब्द लिखकर, स्पष्ट पूर्ण हस्ताक्षर किये जायें एवं केवल पदनाम की मुहर न लगाकर 'नाम व पदनाम' की मुहर लगायी जाय, साथ में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की मुहर भी लगायी जाय।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्रमाण पत्रों के सत्यापनार्थ प्राधिकृत किये गए अधिकारी के पूर्ण नमूना हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरॉचल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जब भी प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जाय तो

यही प्रि [illegible] ता बिना नमूना भरत [illegible] ोई प्रमाण [illegible] सत्यापन हेतु न [illegible] के नमूने की उपल [illegible] अभाव में ासन स्तर से सत्य [illegible]

(ग) [illegible] कि आवेदक अप [illegible] पत्रों को सम्बन्धित जिल [illegible] कर स्वयं सीधे शासन [illegible] स्तुत कर देते है। यह स्थिति [illegible] इस प्रकार सत्यापि [illegible] कर प्रस्तुत किये गये अभिले [illegible] ंदेध होने की सम्भावना [illegible] रहती है। अतएव य आवेद [illegible] यह सुनिश्चित कर [illegible] जाना चाहिए कि ऐसे प्रमाण [illegible] शासन में उपलब्ध [illegible] हेतु कदापि हस्तगत किये जाय [illegible] प्रकार के संदेह की [illegible] ना न रहे।

(घ) जि [illegible] ापित किया जाय उनके [illegible] बंध में [illegible] अवश्य देख लिया जा [illegible] प्रमाण प [illegible] रुप से पुष्ट हो, प्रा [illegible] क हो, [illegible] क हो और नियमानुस [illegible] हो, [illegible] ोई भी व्यक्ति किसी गल [illegible] अभिलेख के आ [illegible] पर पासपोर्ट, वीजा [illegible] ादि प्राप्त [illegible] सके और अवैधानिक रुप से देश [illegible] बाहर [illegible] जा सके। प्रमाण [illegible] ों/अभिले [illegible] आदि को प्रमाणित करा [illegible] का [illegible] जन [illegible] की वास्तविकता (Genuineness) प्रमाणित करना है। सम्बन्धित अभिलेखों को शासित करने वाले विनियमों/अधिनियमों की व्यवस्थानुसार उनका प्रमाणीकरण शासन का उद्देश्य नही है।

(ड़) किसी भी प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी के अग्रसारण पत्र के बिना न भेजा जाय। अग्रसारण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि सम्बंधित व्यक्ति [illegible] देश में [illegible] किस प्रयोजन से जाना चाहता है। अभिलेखों के सत्यापन के [illegible] बंध में संवेदनशीलता का [illegible] दु निहित होने के कारण किसी भी प्रमाण पत्र पर "[illegible] त्यापित" शब्द अंकित करने से पूर्व प्रमाण पत्र की सत्यता गहराई से जॉच कराकर सुनिश्चित करा ली जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तद्नुसार ही प्रमाण पत्र सत्यापनार्थ शासन को संदर्भित किये जॉय।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)

प्रमुख सचिव।

संख्या - 767 / (1)--546 /

प्रेषक,

रा,

शासन।

सेवा में,

निर्माण विभाग,

शासन।

देहरादून:

विषय. नेपाल सीमा पर सड़को के निर्माण के संबंध में;

महोदय,

कि भारत नेपाल सीमा पर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में क निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे मार्गों को प्राथमिकता कराया जाना आवश्यक है।

विभाग संबंध में ऐसे कुछ मार्गों का चिन्हिकरण किया गया है।

जनपद चम्पावत--

1. छिनकाहीना, थवामौनी, सिगलखेत मोटर मार्ग--	पूर्ण निर्मित।
2. पाटी मारौल, मोटर मार्ग--	पूर्ण निर्मित।
3. चौड़ापिता, तलाड़ी मोटर मार्ग--	पूर्ण निर्मित।
4. रैगल गूलाकोट-	पूर्ण निर्मित।
5. खतीखान मोटर मार्ग 130 गोसनी--	अभी प्रारंभ नहीं हुआ है।
6. लसो मोटर मार्ग--	निर्माणाधीन।
7 धौन से दगूरी मोटर मार्ग--	निर्माणाधीन।
8. धौन से दगूरी मोटर मार्ग--	निर्माणाधीन।
9. रौसाल से डुगराबोरा मोटर मार्ग--	निर्माणाधीन।
10 सालमा से कानाकोट मोटर मार्ग--	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
11. सिपुलेख गिन्ड मोटर मार्ग--	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है
12. रौसाल से डुगराबोरा वैक सिलकोट रोड़--	निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद [illegible]

1. ऐरो [illegible] मार्ग - पूर्ण निर्मित।

2. नैनीप [illegible] - पूर्ण निर्मित।

[illegible] मार्ग - पूर्ण निर्मित।

[illegible] मार्ग- पूर्ण निर्मित।

[illegible] - निर्माण कार्य प्रगति पर है।

[illegible] मोटर मार्ग- निर्माण कार्य प्रगति पर है।

[illegible] मार्ग - निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7. [illegible] मार्ग- कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ।

8. गुरु [illegible] मोटर मार्ग- कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ।

9. टि[illegible] मार्ग- कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।

10. [illegible] मोटर मार्ग- कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।

11. [illegible] मार्ग-

जनपद [illegible]

1. [illegible] मोटर मार्ग पूर्ण निर्मित।

2. मलेरिया मोटर मार्ग पूर्ण निर्मित।

3. मझोला- [illegible] मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

4. [illegible] रोड से [illegible] मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

5. बाजपुर निरीक्षण भवन मोटर मार्ग- कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।

6. [illegible] मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

7. टिहरी--मुरादाबाद से बसई मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

8. काशीपुर--अलीगंज से गिन्नीखेड़ा मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

9. बरेली--हरिद्वार [illegible] रारकरा मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

10. बिठौरा से बीला अकबर मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

11. [illegible]गंज--नानकमत्ता से लोका बिठौरा मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

12. [illegible]गंज--[illegible] गंगरपुर, कैलाशपुरी मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

13. नानकमत्ता--टिकुरी, रंसाली से तिकुन मोटर मार्ग- कार्य प्रगति है।

14. [illegible]लिया से बरकी डाण्डिया मोटर मार्ग- कार्य प्रगति पर है।

15. शक्तिफार्ग--जेल कैम्प रोड से रंजीनगर मोटर मार्ग- अपूर्ण।

16. रुद्रप्रयाग--भक्तिनगर मोटर मार्ग- पूर्ण निर्मित।

17. बैलखेड़ा--समरिया मोटर मार्ग- अपूर्ण।

[illegible]	[illegible] तिसौर मोटर मार्ग—	अपूर्ण।
[illegible]	[illegible] ली से [illegible]खोरी [illegible]खेड़ा—[illegible]खेड़ा [illegible] मार्ग	अपूर्ण।
[illegible]	[illegible] मरौली मोटर मार्ग—	अपूर्ण।
[illegible]	[illegible] बगुलिया मोटर मार्ग—	अपूर्ण।
[illegible]	सरी[illegible]ना मोटर मार्ग—	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
[illegible]		शासन को प्रस्ताव [illegible] ना है।
[illegible]	[illegible] टर मार्ग	

[illegible] मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया [illegible] [illegible] के आधार पर कराए जाने हेतु विभागीय [illegible]कारियों [illegible] [illegible] [illegible] कार्यवाही से गृह विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव[illegible]नुसार।

प्रतिलिपि: 1. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल को अनुश्रवण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत को अनुश्रवण एवं उक्त प्रकरण में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

मुख्यालय
HEAD OFFICE

उत्त... ...ण संरक्षण एवं प्र... ...ण नि... ...ण बोर्ड
UTTARANCHAL ...RONMENT PROTECTION & P... ...LUTION CONTROL ...OARD

R.N. 444 / 5-06 / I.C.

Ref: UEPPCB/HO/16... /2044 Dated 31/03/06

To

The District M... ...rate

Nainital

जिलाधिकारी
नैनीताल.

Sub: Implementati... of the laws for restricting Loudspeakers and high volume producing sound system – reg.

Sir,

Please find enc...osed herewith a copy of the direction issued by the Hon'ble Supreme Court of India on the above subject matter. In this context, you are requested to kindly implement the enclosed direction of the Court in your district, and send the ac...ion taken report to this office.

Yours faithfully

(Dr. T.B. Singh)
Chief Environment Officer

Copy to: Member Secretary, Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board, for kind information please.

Chief Environment Officer

122 ... 402/ ...-... /05
45 / मुख्य शाखा / 3 / 2005
... /2005

D.NO.201/1998/SC/PIL.?

SUPREME COURT OF INDIA
NEW DELHI

Dated : 6th October. 2005

Vinod Kumar,
Assistant Registrar (PIL.C)

State of Arunachal Prade[sh],
through the Chief Secretary,
Itanagar (Arunachal Pradesh).

State of Andhra Pradesh,
through the Chief Secretary,
Hyderabad (Andhra Pradesh).

State of Assam,
through the Chief Secretary,
Dispur (Assam).

State of Bihar,
through the Chief Secretary,
Patna (Bihar).

State of Chhattisgarh,
through the Chief Secretary,
[Raipur] (Chhattisgarh).

State of Goa,
through the Chief Secretary,
[Panaji] (Goa).

State of Gujarat,
through the Chief Secretary,
Gandhinagar (Gujarat).

State of Haryana,
through the Chief Secretary,
Chandigarh.

State of Himachal Pradesh,
through the Chief Secretary,
Shimla (H.P.).

...2

Copy to PCCF & PCB for N.A. & compliance.

15-10-05
(एस. रामचन्द्रन)

[illegible] State of Jammu & Kashmir,
through the Chief Secretary,
[illegible]

[illegible] State of [illegible]
through the Chief Secretary,
[illegible]

[illegible] State of Karnataka,
through the Chief Secretary,
Bangalore [illegible]

[illegible] State of Kerala,
through the Chief Secretary,
Trivandrum [illegible] (Kerala).

[illegible] State of Madhya Pradesh,
through the Chief Secretary,
Bhopal [illegible]

[illegible] State of Maharashtra,
through the Chief Secretary,
Mumbai (Maharashtra).

16. State of Manipur,
through the Chief Secretary,
Imphal (Manipur).

17. State of Meghalaya,
through the Chief Secretary,
Shillong (Meghalaya).

18. State of Mizoram,
through the Chief Secretar
Aizwal (Mizoram).

19. State of Nagaland,
through the Chief Secretn
Kohima (Nagaland).

20. State of Orissa,
through the Chief Secret
Bhubneshwar (Orissa).

21. State of Punjab
through the Chief Secretary,
Chandigarh.

22. State of Rajasthan,
through the Chief Secretary,
Jaipur (Rajasthan).

23. State of S[illegible]
through the Chief Secretary,
Ga[illegible]

24. State of [illegible]
through the Chief Secretary,
Chennai [illegible]

25. State of T[illegible]
through the Chief Secretary,
Agartala [illegible]

26. State of [illegible]
through the Chief Secretary,
Lucknow (U.P.).

27. State of [illegible]
through the Chief Secretary,
Dehradun ([illegible]).

28. State of West Bengal,
through the Chief Secretary,
Kolkata [illegible]

29. Union Territory of Andaman & Nicobar Islands,
through its Administrator,
Port Blair.

30. Union Territory of Chandigarh,
through its Administrator,
Chandigarh.

31. Government of NCT of Delhi,
through its Chief Secretary,
Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi.

32. Union Territory of Daman & Diu,
through its Administrator,
Moti Daman.

33. Union Territory of Dadra & Nagar Haveli,
through its Administrator,
Silvassa.

34. Union Territory of Lakshadweep,
through its Administrator,
Kavaratti.

35. Union Territory of Pondicherry,
through its Administrator,
Pondicherry.

36. The Secretary,
Ministry of Environment & Forests,
Govt. of India,
Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi.

37. The Lt. Governor of Delhi,
through the Chief Secretary,
Government of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Civil Lines,
Delhi.

38. The Member Secretary,
Central Pollution Control Board,
CBD-cum-Office Complex,
East Arjun Nagar, Shahdara,
Delhi – 110 032.

39. The Secretary,
Ministry of Information &
Broadcasting,
Govt. of India,
Shastri Bhawan, New Delhi.

40. The Director General,
Doordarshan,
Copernicus Marg,
Mandi House, New Delhi.

41. The Director General,
All India Radio,
Parliament Street,
New Delhi.

42. The Commission[illegible]r,
Police Headquarter,
Delhi Police,
M.S.O. Building, I.P. Estate,
New Delhi.

43. The Chief Controller of Explosive,
Department of Explosive,
'A' Block, 5th Floor,
C.G.O. Complex, Nagpur – 440 006.

44. The Secretary,
Ministry of Human Resources & Development,
Department of Education,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

IN THE MATTER OF:

INTERLOCUTORY APPLICATION NO.[illegible] 20, 33
IN
WRIT PETITION (CIVIL) NO. [illegible] OF 1998
(Under Article 32 of the Constitution of India)

[illegible] Noise pollution – Implementation of the Laws for restricting loudspeakers and high volume producing sound systems.

In continuation of this Registry's letter of even number dated 24th August, 2005, [illegible] directed to forward herewith for your information and necessary action a certified copy of the Signed Order of the Supreme Court dated [illegible] October, 2005 passed in the Interlocutory Application in Writ Petition above-mentioned.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

[signature]
Assistant Registrar

Encl: As above.

Protec... ...sures

no ground... ...emporary structure, pandal tent or shamiana and a dist...nce of not less ... ...of such structure shall be cleared of all combus... ...rials obstructing ...

.2 Storage of co... ...als like shavings, straw, flammable and explo... ...als and similar m... ...shall ... be permitted to be stored inside any temporar... ...

.3 No fire work... ...of any kind shall be permitted in any temporary ... ...in the immedia...

.4 No motion p... shall ... displayed in any temporary structure unless ...

.5 No open fire... ...ntrolled fires for religious purpose... shall be permitted inside or near ... pandals ... ...porary structures.

... Kitchen area ... cooking of ... / food shall be totally segregated from the main pandal / temporary str... ...made of GI sheets.

Fire Fighting Arrangements

A minimum number of fire buckets ... rate of two buckets per 50 m2 of floor space and one water type extinguisher, 9 litres ca...ity, per 100 m2 of floor space shall be provided in all temporary structures. For protect... ...f electric installation, one carbon dioxide or BCF extinguisher of adequate size shall ... provided for each switch gear, main meter and stage area. The location of these equipm... shall be such that these are easily accessible in the event of fire.

Advance intimation shall be given to fire service department of the proposed construction of any temporary structure or pandal for public functions, its location, size and type of temporary structure, number of people expected to be accommodated, arrangement of exits, etc.

Local licencing authority may recommend the provision of stand by fire service at any temporary structure if such measure is deemed necessary. In such cases adequate water ... for the fire fighting service ... be ensured.

A responsible person shall always ... made available at the site of ... organize prompt evacuation, fire fi...ng to deal with emergencies ... informing the fire service. The emergency fire service telephone n... ... prominently.

Maintenance

1 All temporary structures shall be maintained in a safe and sanitary condition. All devices or safeguards which are required shall be maintained in good working condition.

2 ... shall be paid to the means of escape and gangways, exists, etc are not ... in any way, and all ... and extinguishers are easily visible and accessible before public is admitted at any time.

N. J. Sharma
20.07.05
LM(FS)

Vide S.O. 1088(E) dated 11.10.2002 sub-Rule 3 was [illegible]erted the Central Gover[illegible] [illegible] 5 of the Noise Rules. The text of Rule as amended on [illegible].10.2002 reads as under:-

"R. [illegible] [illegible]strictions on the use of loud speakers/public address system.-

(1) A loud speaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority.

(2) A loud speaker or a public address system shall not be used at night (between 10.00 p.m. to 6.00 a.m.) except in closed premises for communication within, e.g. auditoria, conference rooms, community halls and banquet halls.

(3) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (2), the [illegible] Government may, subject to such terms and [illegible] as are necessary [illegible] [illegible] [illegible] pollution, permit use of loud speakers or public address systems during night hours (between [illegible] [illegible] 12.00 midnight) on or during any cultural or [illegible] festive occasion of a limited duration not exceeding fifteen days in all during a calendar year."

The constitutional validity of sub-Rule (3) abovesaid was put in issue by filing a writ petition in the High Court of Kerala registered as O.P. No. 38066/2003 disposed of on 14.3.2003. The Division Bench of the High Court turned down the challenge and upheld the constitutional validity of the said sub-Rule (3).

The writ petitioners before the Kerala High Court filed an appeal by special leave before this Court registered as C.A. No. 3735/2005 which was dealt with by this Court alongwith W.P.(C) No. [illegible]/1998 and decided vide its judgment dated July 18, 2005, reported as (2005) 5 SCC, 733. It is contended that in the judgment this Court has

... ...fically upset the Division Bench judgment of the ... al Court and has also not even otherwise expressed and recorded any specific opinion on the constitutional validity or otherwise of sub Rule (3) abovesaid. It is submitted that Rule 5, as amended, and as reproduced hereinabove continues to remain in operation but the State Governments are feeling difficulty in enforcing the Rule and also exercising the power conferred by sub-Rule (3) of Rule 5 of the Noise Rules in view of the judgment of this Court.

Prima facie we find merit in the submission so made. We feel that the Court ... specifically dealt with the plea ... to the ... which was dealt with by the Division Bench of ... and expressed its opinion thereon. To this limited ... the ... be ... for hearing and heard afresh.

... in C.A. No. 3735/2005 is re-opened limited to the ... the correctness or otherwise of the Division Bench ... of the Kerala High Court impugned therein.

... the matter for hearing in that regard on 24.10.2005. The Registry ... the counsel for the writ petitioners-appellants in that appeal.

Until further orders Rule 5 of the Noise Rules, as reproduced hereinabove, shall continue to remain in operation.

So far as other applications are concerned, Mr. Jitendra Sharma, learned senior counsel, appearing as Amicus Curiae in the writ petition has invited our attention to para 150 of the judgment, which is reproduced hereunder.

130. So [illegible] Interlocutory applications have been filed in this Court wherein it was pleaded that restriction on bursting firecrackers in the night should be removed during the Diwali festival. Similar relaxation was demanded for other festivals. These applications highlight practices prevalent in some of the western countries wherein such relaxation is allowed. We do not think that we will be justified in granting any such relaxation. Indian society is pluralistic. People of this great country belong to different casts and communities, have belief in different religious and customs and celebrate different festivals. We are tolerant of each other. There is unity in diversity. If relaxation is allowed to one there will be no justification for not permitting relaxation to others and if we do so the relaxation will become the rule. It will be difficult to enforce the restriction."

We are not inclined to re-open the [illegible] so far as the above aspect of the case is concerned. All the issues [illegible] judgment dated 18.7.2005 excepting the one relating to C.A. No. [illegible] stand concluded.

All the I.As. be treated as disposed of.

(R.C. LAHOTI)

(ASHOK BHAN)

New Delhi
October 3, 2005

कुमार जैन
सचिव,
ल शासन

धिकारी
ल पर्य

2006
ADM
JA
वर्ग ... निगम
पत्रावली सं०
क्रम सं०
रजिस्टर सं०
दिनांक
जिला अधिकारी
देहरादून

देहरादून दि.

महत्व ... बस व रेलवे स्टेशनों आदि ... पर्यटक ...
हेतु पर्य ... प्रारम्भ किये जाने के सम्बंध में।

विषयक ... /2006 दिनांक, 16 जनवरी, 2006 ... उत्तरांचल पर्यटन के पत्र ... 2006 दिनांक 3 मार्च,2006 के क्रम में ... राज्यपाल म... सर्वगीय ... 2006 से 28 फरवरी,2007 तक बढ़ाये जाने की ... स्वी...

पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
...स अधीक्षक	8000—13500	1
पुलिस निरीक्षक	6500—10500	6
पुलिस उप ...	5500—9000	6
		13

... शासनादेश ... नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

... वित्त विभाग ... सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
...कार,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।
...गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल उत्तरांचल।
...जिलाधिकारी,उत्तरांचल। देहरादून
...जिला पर्यटन विकास अधिकारी,उत्तरांचल।
...वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
...एन.आई.सी. सचिवालय परिसर,देहरादून।
...अनुभाग।
...अनुभाग—2
...गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
283/XVII(1)-2/2006-08(07)/2006
देहरादून: दिनांक अप्रैल, 2006

25 APR 2006

अधिसूचना

निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्या 305/... /2005–06 दिनांक 2मार्च, 2006 द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रस्ताव के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अनुपालन हेतु राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, अल्मोड़ा को अस्थाई रूप से ... गृह तथा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, पौड़ी को 10वर्ष से 18वर्ष की आयु के किशोरों ... गृह नामित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

... व्यवस्था राजकीय ... गृह, हरिद्वार एवं राजकीय बाल गृह, हरिद्वार के निर्माणाधीन एवं संचालित होने ... की अवधि तक कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत है। उपरोक्त निर्माणाधीन गृहों के संचालित होने के उपरान्त उक्तानुसार नामित गृहों को उनके मूलभूत स्वरूप में वापस ले लिया जाएगा।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 283 (1)/XVII(1)-2/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 200प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उपसचिव।

पृष्ठांकन संख्या 283 (2)/XVII(1)-2/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उपसचिव।

संख्या 258/XXXii/ 2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
(3) मण्डलायुक्त, कुमायूँ/ गढ़वाल,उत्तरांचल।
(4) समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।

कार्यालय जिलाधिकारी 20 APR 2006

कार्मिक अनुभाग — 2 देहरादून : दिनांक 07 अप्रेल 2006

विषयः— उत्तरांखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुबिधा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—1270/ तीस—2/ 2004 दिनांक 11 अगस्त 2004 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत का अधिमान दिया जाय तथा अगले 5 वर्षो(चयन वर्ष 2004—2005 से चयन वर्ष 2008—2009) के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाय।

2— शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश के अनुसार राजकीय सेवाओं में रिक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम अवधि के लिए जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुबिधा प्रदान नहीं की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्याधीन सेवाओं में रिक्त पदों पर चयन हेतु सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि चयन वर्ष 2004—2005 तथा 2005—2006 में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर किये गये चयनों में यदि राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसकी सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि किन—किन पदों में राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि किन—किन पदों पर किये गये चयन में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण राज्य आन्दोलनकारियों को प्रदान नहीं किया गया है। कृपया भविष्य में होने वाले सीधी भर्ती के सभी चयनों में 10 प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण आगणित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

- 270 -

(63)

फैक्स

0-6 (4)/19/ /2005

प्रे0

...ार जोशी

...ति,

... शासन।

सेवा

...रट्रेट, नैनीताल,उत्तरांचल।

गृह अ... ...ग–3

देहर... ...ांक: 07 ... 2006

...दोलन के दौरान घायल ... ...यों को समूह "ग" तथा "... सेवायोजित ...

कृपया ... विषयक अपने पत्र संख्या 1.../20...10 स0/2005–06 ... 17 जनवरी, 2006 ... ग्रहण करने का कष्ट ... विचारण के उपरान्त ... विदित हुआ है कि आपकी ... शासनादेश संख्या .../XX(4)–19/उ0आंदोलन/2005 दिनांक 06.09.2004 में ... पूर्णतः स्पष्ट है।

अब, जबकि उपरोक्त शासनादेश में स्थिति पूर्ण ... स्पष्ट है तो संबंधित प्रकरण ... विशेष परिस्थितियों को देखते हुए क्या स्थिति परिलक्षित होती है पर विचारण जिले ... पर अधिक उपयुक्त होगा। ज्ञातव्य है कि जिले स्तर पर सुसंगत अभिलेख, पूर्ण तथ्य ... स्थानीय जानकारियां भी उपलब्ध हैं। तदनुरूप ही प्रत्येक प्रकरण पर, ऐसी जानकारियों के आधार पर गहन विचारण उपयुक्त होगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके पत्र में उल्लेखित आंदोलनकारियों के प्रकरण पर, शासनादेशों एवं जिला स्तर पर उपलब्ध विशिष्ट जानकारियों ... आलोक में, गुणदोष के आधार पर, निर्णय लेते हुए कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
5/4/2006
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/तत्का

XX(2)/130/ सुरक्षा/20

प्रेषक

आभा पुरी ... मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, उत्तरांचल।
... गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
... पुलिस महानिदेशक,
... एवं आपात कालीन से... उत्तरांचल।
... पुलिस महानिदेशक,
... /सुरक्षा, उत्तरांचल।
... जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।
... वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

गृह अनुभाग- ... देहरादून:दिनांक ...

विषय— प्रदेश ... विभिन्न भागों में त्योहारों, उत्सवों, समारोहों, जलसों आदि में पुख्ता अग्निशमन की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 10.4.2006 को मेरठ में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना का दृष्टान्त उपलब्ध है। उक्त घटना में, बड़े सार्वजनिक आयोजन की अनुमति प्रदान करने के साथ, आयोजन स्थल पर प्रथम दृष्टया उचित अग्नि निरोधात्मक एवं सुरक्षा व्यवस्था में गम्भीर त्रुटियां विदित हुई हैं। उक्त दुर्घटना से यह भी विदित हुआ है कि हमारे प्रदेश में भी, पहले से ही सार्वजनिक आयोजनों, त्योहारों, उत्सवों, समारोहों, जलसो आदि जैसे जनबाहुल्य के अवसरों पर पुख्ता अग्निशमन एवं सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्थाएं रखने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।

महत्वपूर्ण है कि पूर्व से ही सार्वजनिक समारोहों, प्रदर्शनियों, मेलों, सर्कस, चल सिनेमा, संगीत आयोजनों आदि अवसरों पर, आयोजकों द्वारा संबन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की व्यवस्था है। आमतौर पर ऐसी अनुमति पुलिस विभाग से और कुछ अवसरों पर स्थानीय नगर निगम, टाऊन एरिया अथवा अन्य संबन्धित स्थानीय प्रबन्धन इकाईयो से भी आख्या प्राप्त कर, उक्त आयोजन को करने की औपचारिक अनुमति निर्गत कर दी जाती है। मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना द्वारा यह प्रकट कर दिया है कि इस प्रकार के सरसरे परीक्षण के आधार पर औपचारिक अनुमति निर्गत किया जाना किसी

...सिद्ध हो सकता है। इस ... पर, भविष्य में किसी भी ... एक अनुमति निर्गत करने से पूर्व ... लिखित बिन्दुओं का अत्य... करने के उपरान्त ही अनुमति नि... जाय:

- आयोजन स्थल पर, आयोजन हेतु निर्मित अस्थाई पंडाल के अ... ... स्थान आगन्तुकों के संचरण हेतु उपलब्ध रहे।
- आयोजन स्थल में प्रवेश व बाहर जाने हेतु चौड़े, ऊँचे एवं पर्याप्त ... हों जिससे कि दुर्घटना की दशा में आसानी से बाहर निकला ... यह इसलिए भी आवश्यक है कि ऐसे अवसरों पर उपस्थित ... एक साथ बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और बचाव ... में बाधा पहुंचती है, जो घातक हो सकती है।
- आयोजन स्थल में लगाये गये बिजली के तार, उपकरण आदि ... कि उनके कारण शार्ट सर्किट, रिसाव, घर्षण अथवा अन्य ... कारणों से आग लगने की कोई सम्भावना न हो। अतः यह सु... किया जाय कि विद्युत सुरक्षा विभाग से संबन्धित अधिकारी, विद्युत ... सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उन्हें प्रमाणित करें।
- बड़े आयोजन स्थलों पर अग्निशमन विभाग की एक टीम आवश्यकतानुसार सभी संबन्धित उपकरणों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे और अनुमति निर्गत करने से पूर्व उनसे पुख्ता अनापत्ति प्रत्येक दशा में प्राप्त की जाय। ऐसे प्रबन्ध के ऊपर हुए व्यय को आंकलित कर, संबन्धि... आयोजक से राजकोष मे जमा भी करा दिया जाय। पुलिस महानिदेश... इस संबन्ध में व्यय वसूली के मानक निर्धारित कर उन्हें सभी संबन्धित ... उपलब्ध करा दें।
- आयोजन स्थलों में अक्सर खाद्य एवं पेय पदार्थों के स्टाल भी लगाये जा... हैं जिनमें गैस सिलेण्डर, स्टोब आदि काफी संख्या में लगाये जाते हैं। यदि किसी आयोजन में ऐसी व्यवस्थाएं हो तो यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि ऐसी अनुमति प्रदान की जाती है तो यह अनुमति मुख्य पंडाल से पर्याप्त दूरी पर स्टाल बनाये जाने के लिए दी जाय और अनुमति की शर्तों में यह अंकन भी कर दिया जाय कि इसमें प्रयुक्त होने

वाले उपकरण उत्तरस्थ विश्वनीयता हों नहीं होता तो ऐसी अनुमति तत्काल निरस्त कर दी तर ऐसी अनुमति ही न दी जाय।

- आयोजन स्थल में आयोजकों द्वारा की सामान्य व्य अनिवार्यतः सुनिश्चित कराई जाय यथा फायर एक्सटिंग्विशर, बालू से भरी बाल्टियां, बेलचे, फायरएक्स, प्राथमिक उपचार सामग्री आदि।
- रोह स्थल पर प्रयुक्त किये जाने वाले तम्बू कनात, छ यां, सामग्रियां, उपकरण आदि ज्वलनशील प्रकृति के कदापि नहो होने चाहिए।
- पंडाल बनाते वक्त निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिएः
  - पंडाल ऊँचाई तीन मीटर से कम न हो।
  - पंडाल चारों तरफ मीटर (कम से कम एक मीटर) अवश्य खुली रखें। सम्भव पंडाल खुले स्थान पर लगाया जाये, उसके चारों बाउण्ड्री तथा कंटीले तार की मजबूत बाउण्ड्री नहीं होनी चाहिए उसमें चारों दिशाओं से बाहर निकलने हेतु पर्याप्त संख्या में चौड़े होने चाहिए।
  - पंडाल विद्युत लाईन के नीचे न बनाया जाय।
  - कुर्सियों के दस कतार के पश्चात आने–जाने का रास्ता बनाया जाय।
  - पंडाल की वायरिंग पुख्ता हो। जवाईन्ट मजबूत एवं इन्सुलेटेड हों। गैस बत्ती पंडाल में कदापि न लगायी जाय।
  - पंडाल के भीतर आग न जलायी जाय।

आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु भारतीय मानक संस्थान द्वारा तैयार किये गये आई.एस. 8758–1993 की प्रतिलिपि भी संलग्न की जा रही है।

जाहिर है कि ऐसी व्यवस्थाओं को करने के लिए सरकार का व्यय भी होगा। ऐसे में आवश्यक है कि सरकार के स्तर से जो भी सेवाएं उपलब्ध करायी जायं उनका व्यय भी आयोजक से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर राजकोष में अवश्यमेव जमा कराया जाय।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु ऐसे आयोजनों हेतु औपचारिक अनुमति निर्गत करने वाले प्राधिकारी को निर्धारित किये जाने का भी है। पूर्व से प्रचलित व्यवस्था के अनुसार, ऐसी अनुमति जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से निर्गत किया जाना ही सबसे अधिक उपयुक्त है। ऐसी अनुमति निर्गत करने से पूर्व, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट सभी उपरोक्त इंगित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने वाली सरकारी एजेन्सियों एवं स्थानीय निकायों अथवा प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, संबन्धित जिला मजिस्ट्रेट अपने विवेक से ऐसी व्यवस्थाओं में आवश्यक वृद्धि अवश्य कर सकते हैं परन्तु, किसी भी दशा में अधकचरे परीक्षण के आधार पर उपरोक्त आधारभूत व्यवस्थाओं में कमी नहीं कर सकते हैं। यदि शासन के संज्ञान में ऐसे आयोजनों में ढिलाई का कोई प्रकरण आता है तो उसका गम्भीर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में शादी व्याह एवं अन्य व्यक्तिगत समारोहों में भी पंडाल इत्यादि लगाये जाते हैं। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उनमें व्यवस्था करने वाले टैन्ट आदि के व्यवसाईयों को भी आपके द्वारा निरन्तर परामर्श दिया जाता रहे कि वह ऐसे अवसरों पर उचित व्यवस्थाएं किया करें। साथ ही, जनसाधारण को भी अच्छी व्यवस्थाएं करने हेतु उत्प्रेरित करना भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे प्रयास समुचित माध्यमों से लगातार सुनिश्चित किये जायं। इस कार्य हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं की भी उदारता से सहायता प्राप्त की जाय। ऐसे कार्य में यह सन्देश भी दिया जाना चाहिए कि यह सुझाव जनता की सुरक्षा के हित में दिये जा रहे हैं और उनका उद्देश्य व्यक्तिगत समारोहों में बाधा डालने का कदापि नहीं है। ऐसा सन्देश देना, सरकार की जन सुलभता के व्यापक दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक भी है।

उक्त संदर्भ पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र की प्राप्ति से शासन को सूचित करते हुए उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

आवश्यक, अति महत्वपूर्ण

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)

प्रमुख सचिव।

Rec... ...lations ... Fire Precautionary Measur... in c... ...orary structures and Panda...

Require...

...e material ... ...ication of structures or dev... shall meet the ...uirement for resistance to fire of a ...mum of 10 minutes.
... ...materials for such c... ...uction shall preferably be of no... ...mbustible or fire ...stance type. Wherever materials ... combustible nature re used th... ...e shall be treated ... ...rdant solution as men... ...ed below:-

Ammonium sul...	4 parts by mass
Ammonium carbonate	2 parts by mass
Borax	1 parts by mass
Boric acid	1 parts by mass
Alum	2 parts by mass
Water	35 parts by mass

The main structure shall be created with at least 100mm diameter post of non combustible material or wooden post (prefera...ly of sal, casurina or bamboo) and the rest of the structure my be of lighter poles and trusses tied / screwed properly with steel wire. The poles and trusses shall be nailed / screwed, wherever required. All supporting members shall be of sufficient size and strength to support the structure.

The height of the ceiling of the structure or pandal from the ground shall not, in any case, be less than 3 m.

...5 No decorative paper / synthetic material shall be used anywhere in the Pandal / structure.

...6 All fabrics, decorative clothings used in the construction and decoration of the structure shall before use, be dripped in a fire retardant solution as specified in ... pretreated with other suitable material to give a ... flame spread factor.

...7 No nylon or synthetic ropes ... used anywhere in the structure. Only ropes made of coir, manila or coconut fibres shall be treated with fire retardant solutions in accordance with 1.2 before use.

1.8 Temporary structures shall be adequately guyed / braced and made secure to withstand a wind pressure of 0.98 kN/m² (0.01 kgf/cm²).

1.9 *In no case, the height of corridor / passage way shall be less than 3 m.*

2. Location

2.1 There shall be a clear space of 4.5 m on all sides between the structure and the adjacent buildings or other structures. In cases where temporary structures are erected in the lawns *which are part of residential premises the entire frontage shall be kept open.*

2.2 No temporary structure shall be erected beneath and adjacent to any live electrical line. The gap between the live wires and any part of the structure shall in no case be less than 2 m.

2.3 No temporary structure shall be erected near furnace, railway line, electrical sub-station, chimney or under high tension wire or like hazard unless a safety distance of 15 m is maintained.

3. M[illegible]

3.1 A[illegible] structures shall be approachable and [illegible] provided shall have a clear [illegible] Arch way [illegible] all not be at a height les[illegible] m from the g[illegible] level.

3.2 [illegible] structure shall be approachable to [illegible] fire engine. No part of temporary structure sh[illegible] be more than 45 m away from the motorable road.

4. [illegible] exits.

4.1 A[illegible] the temporary structure shall be left open. If [illegible] is not possible for certain reasons, the lower portions of this side walls shall not be fixed.

4.2 Where provisions laid down in 4.1 cannot be adhered to adequate and unrestricted exits shall be provided, depending on the capacity of the assembly, as given in 4.3 to 4.9

4.3 A minimum of [illegible] exits of not less than 2.5 m width separately, located and at extremities from each other, shall be provided for any type of temporary structures.

4.4 The clear width of exists shall be determined on the basis of not less than one unit of 50 cm for each 50 persons to be accommodated. The width of each exit shall not be less than 1.5 m.

4.5 The line of travel [illegible] any seat to the nearest exit on the seating area shall not be greater than 15 m.

4.6 All exit points shall [illegible] clearly indicated with sign 'EXIT' (including in local language) over each door way or opening in plain legible letters (not less than 5 cm high and with principal strokes of such letter not less than 1.8 cm in width) enabling everybody in the auditorium to visualize the exit points easily.

4.7 Cross gangways shall be provided affording passage after every 10 row of seats, width of such passage being not less than 1.5 m.

4.8 Longitudinal gangways shall be formed at the sides and central portion. The width of side longitudinal gangway shall be not less than 1.2m and central longitudinal gangway shall be not less than 1.5 m. Each row (between side and longitudinal gangway) shall comprise of not more than 12 seats. The seats shall be tied up together in a bank of not less that 4 seats and secured to the ground.

4.9 The seating arrangement shall be such that the clearance between rearmost point of the immediate front seat and the foremost point of the next rear set in two successive rows is not less than 55 cm. Where self folding seats are provided, the clearance between the two rows may be reduced, in any case shall be not less than 30 cm.

5. Electrical Arrangements

5.1 The temporary lighting of the structure shall be installed by a competent licenced electrical engineer. The load per circuit, insulation test and the installation shall conform to IS 1646 : 1982.

5.2 All electrical wirings in the structure of pandal shall be in PVC sheathed conductors or vulcanized rubber cables of tough rubber and all joints shall be made with porcelain insulated connectors. Twisted and tapped joints shall not be permitted.

5.3 No part of the electrical circuit, bulbs, tube lights, etc. in the structure of pandal shall be within 15 cm of any decorative or other combustible material.

5.4 In case incandescent gas portable lights instead of electricity are used in the structure or pandal, such lights shall not be hung from the ceilings of the main structure or pandal but shall be placed on separate stands securely fixed.

5.5 No halogen lamps shall be used anywhere inside the pandal / temporary structure.

संख्या [illegible] / पी0एस0–मु0स0 / 2006 (277)
दिनांक : [illegible] 2006

[illegible] 2218
[illegible] OC/[illegible]

समस्त [illegible],
उत्तरांचल।

2218
24/4/06

[illegible] किये जाने विषयक मेरे [illegible] संख्या 350/[illegible] 15 अप्रेल, 2006 का सन्दर्भ ग्रहण [illegible] कष्ट करें।

[illegible] 10 अप्रैल, [illegible] को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुए अग्निकांड और [illegible] ली, तमिलनाडु के कुम्भकोणम तथा [illegible] में [illegible] [illegible] आदि [illegible] समय–समय पर हुए अग्निकांडों से हुई जन–धन की [illegible] यह अनिवार्य है कि मेले, प्रदर्शनी के आयोजन क्षेत्रों, [illegible], विद्यालय भवनों, मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बाजारों [illegible] आयोजनों से पूर्व समस्त अग्निशमन एवं सुरक्षात्मक व्यवस्था मानकों को [illegible] सुनिश्चित [illegible] जाए।

[illegible] राज्य का 65 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है अस्तु, वनाग्नि [illegible] उपाय के सम्बन्ध में भी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएं। साथ ही [illegible], सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर प्रशिक्षण तथा दिशा–निर्देश [illegible] दिये जाने की भी व्यवस्था की जाए ताकि ऐसी भयात्मक त्रासदी से [illegible] जा सके।

(हस्ताक्षर)
(एम. रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल
2218/20-न्या0सं0/2006 दिनांक: अप्रैल 30 2006
प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल/ हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी/ तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी/ तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी/ तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर/ रामनगर वन प्रभाग, रामनगर,
अग्निशमन अधिकारी नैनीताल/ हल्द्वानी/ रामनगर,
समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद नैनीताल,
मूल प्रति गार्ड फाइल,

प्रभारी अधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट [illegible]

कार्यालय जिलाधिकारी (stamp: 26 MAY 2006) — 2778 —

कार्यालय अभियोजन निदेशालय,
पुलिस मुख्यालय भवन, 12 सुभाष मार्ग,
उत्तरांचल, देहरादून।

विभाग ....
पत्रावली सं० ....
क्रम सं० ....
रजिस्टर सं० 264
दिनांक 27/5/06

पत्रांक: अभि0नि0/अनु0 दो/37/20 [illegible]

दिनांक 11 मई,2006

सेवा में,

✓ जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

विषय– बजट आवंटन ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक 2055 पुलिस प्रशासन, 800 अन्य व्यय,03 अभियोजन निदेशालय–आयोजनेत्तर, के अन्तर्गत शासन के आदेश सं0 579/XX(05) 06–07अभि0/बजट/06 दिनांक 2–5–2006 के अनुसार स्वीकृत बजट को निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है ।

क्र0सं0	मद का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग	बजट रजि0 में प्रविष्टि का कमांक
	01 वेतन	—	240000	240000	69
	03 महंगाई भत्ता	—	100000	100000	69
	04 यात्रा भत्ता	—	—	—	69
	05 स्थाना0यात्रा भत्ता	—	—	—	69
	06 अन्य भत्ता	—	30000	30000	69
	07 मानदेय	—	—	—	69
	08 कार्यालय व्यय	—	—	—	69
	09 विद्युत व्यय	—	—	—	69
	10 जलकर/जलप्रभार	—	—	—	69
	11 लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	—	—	—	69
	12 [illegible]	—	—	—	69
	[illegible]	—	10000	10000	69
	14 स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का कय	—	—	—	69
	15गाडियों का अनु0और पेट्रोल आदि काकय	—	—	—	69
	17किराया,उपशुल्क और कर–स्वामित्व	—	—	—	69
	26 मशीनें और सज्जा/उपकरण /सयत्र	—	—	—	69
	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	—	—	—	69
	29 अनुरक्षण	—	—	—	69
	42 अन्य व्यय	—	—	—	69
	44 प्रशिक्षण व्यय	—	—	—	69
	45 अवकाश यात्रा व्यय	—	—	—	69
	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफट वेयर कय	—	—	—	69
	47 कम्प्यूटर अनु0/तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	—	—	—	69
	48–महंगाई भत्ता	—	120000	120000	69
	योग:–	—	500000	500000	69

(रू0 पॉच लाख मात्र)

(बी0डी0जोशी)
वित्त नियंत्रक,अभियोजन,
उत्तरांचल,देहरादून।

क्रमशः 2/–

जा0को0किर्ता, 19/5

उपजिलाधिकारी / [illegible] उच्च न्यायालय [illegible] नैनीताल 19-5-06

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- वरिष्ठ कोषाधिकारी,नैनीताल ।

2- मुख्य अभियोजन अधिकारी, माननीय उच्च न्यायलय, नैनीताल ।

3- कार्यालय प्रति ।

([illegible])
वित्त नियंत्रक,अभियोजन,
उत्तरांचल,देहरादून

संख्या—931/XX(3)—35/CBCID/2

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल, देहरादून।

वर्ष 2005-06
विभाग ....
पत्रावली सं० ....
क्रम सं० ....
रजिस्टर सं० 2425
दिनांक 9/5/06

गृह अनुभाग—3 देहरादून: दिनांक: 02 / मई / 2006

विषय— श्री त्रिलोकीनाथ भट्ट, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी खण्ड विकास कार्यालय नैनीताल के लापता होने सम्बन्धी प्रकरण की जॉच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री त्रिलोकीनाथ भट्ट, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी खण्ड विकास कार्यालय नैनीताल के लापता होने सम्बन्धी प्रकरण की जॉच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— कृपया उपरोक्तानुसार शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये जॉच आख्या दो माह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी/नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
4. पुलिस अधीक्षक, पौड़ी।
5. गार्ड फाइल।

उत्तरांचल शासन
न्याय अनुभाग
संख्या:- 25-नो-एल/न्याय अनुभाग/2002
देहरादून:दिनांक: 18/6/2002

अधिसूचना
नियुक्ति

नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय श्री विक्रम सिंह नेगी, ग्राम नाथूनगर, पो.आ. पतलिया कोटाबाग, तहसील कालाढुंगी (नैनीताल) को दिनांक 16.06.2002 से पांच वर्ष की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की तहसील रामनगर के लिए नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स,1956 के नियम-8 के उपनियम(4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री विक्रम सिंह नेगी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी रजिस्टर में प्रविष्ट कर ली जाय ।

आज्ञा से
आर० पी० पाण्डेय
सचिव एवं विधि परामर्शी ।

संख्या:- 25-नो-एल (1)/न्याय अनुभाग/2002-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- नोटरी प्रमाण-पत्र के साथ जिला जज, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध करा दें ।
2- जिलाधिकारी, नैनीताल ।
3- श्री विक्रम सिंह नेगी, ग्राम नाथूनगर, पो.आ.-पतलिया कोटाबाग, तहसील कालाढुंगी (नैनीताल) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर व मुहर के नमूने की तीन प्रतियाँ जिला जज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (50 प्रतियाँ) ।
5- विधायी अनुभाग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित ।

आज्ञा से,
(यू० सी० ध्यानी)
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ।

उत्तरांचल शासन
न्याय अनुभाग
संख्या:-24-नो-एल/न्याय अनुभाग/2002
देहरादून:दिनांक: 19/8 जुलाई,2002

अधिसूचना
नियुक्ति

नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय श्री घनानन्द जोशी, पुत्र स्व० श्री नारायण दत्त जोशी निवासी देवलचौड, पो० मानपुर, रामपुर रोड हल्द्वानी (नैनीताल)को दिनांक 16.08.2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के लिए नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स,1956 के नियम-8 के उपनियम(4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह निर्देश देते हैं कि श्री घनानन्द जोशी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे नोटरी पंजिका में प्रविष्टि कर ली जाय ।

आज्ञा से,
आर० पी० पाण्डेय,
सचिव एवं विधि परामर्शी ।

(1)/न्याय अनुभाग/2002-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

नोटरी प्रमाण-पत्र के साथ जिला जज, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध करा दें ।

जिलाधिकारी, नैनीताल ।

श्री घनानन्द जोशी, पुत्र स्व० श्री नारायण दत्त जोशी, निवासी देवलचौड, पो० मानपुर, रामपुर रोड हल्द्वानी (नैनीताल)को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर व मुहर नमूने की तीन प्रतियाँ जिला जज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (50 प्रतियाँ) ।

विधायी अनुभाग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित ।

आज्ञा से,
19/8
(यू० सी० ध्यानी)
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ।

उत्तरांचल शासन

न्याय अनुभाग

संख्या:- 26-नो-एल/न्याय अनुभाग/2002

देहरादून:दिनांक: 19/8/ जुलाई,2002

अधिसूचना

नियुक्ति

नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय श्री घनश्याम बडौला, निवासी भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी (नैनीताल) को दिनांक 16.08.2002 से पांच वर्ष की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के लिए नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स,1956 के नियम-8 के (उपनियम) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री घनश्याम बडौला का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्टि कर ली जाय।

आज्ञा से,

आर० पी० पाण्डेय,

सचिव एवं विधि परामर्शी।

संख्या:- 26-नो-एल (1)/न्याय अनुभाग/2002-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- नोटरी प्रमाण-पत्र के साथ जिला जज, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध करा दें।

2- जिलाधिकारी, नैनीताल।

3- श्री घनश्याम बडौला, निवासी भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी (नैनीताल) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर व मुहर नमूने की तीन प्रतियाँ जिला जज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (50 प्रतियाँ)।

5- विधायी अनुभाग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित।

आज्ञा से,

Dhyani 19/8

(यू० सी० ध्यानी)

अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

-284-

उत्तरांचल शासन

न्याय अनुभाग

संख्या:- 27-नो-एल/न्याय अनुभाग/2002

देहरादून:दिनांक: 19/8/ ~~जुलाई~~,2002

अधिसूचना

नियुक्ति

नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय श्री कैलाश चन्द्र जोशी, ग्राम हरिपुर मोतिया मुखानी, पो.आ.-देवलचौड, थाना व तहसील हल्द्वानी (नैनीताल)को दिनांक16.08.2002 से पांच वर्ष की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के लिए नोटरी नियुक्त करते है और नोटरीज रूल्स,1956 के नियम-8 के उपनियम(4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री कैलाश चन्द्र जोशी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट कर ली जाय ।

आज्ञा से,

सचिव एवं विधि परामर्शी ।

संख्या:- 27-नो-एल (1)/न्याय अनुभाग/2002-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- नोटरी प्रमाण-पत्र के साथ जिला जज, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित नोटरी को उपलब्ध करा दें ।

2- जिलाधिकारी, नैनीताल ।

3- श्री कैलाश चन्द्र जोशी, ग्राम हरिपुर मोतिया मुखानी, पो.आ.-देवलचौड, थाना व तहसील हल्द्वानी (नैनीताल) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर व मुहर नमूने की तीन प्रतियाँ जिला जज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु (50 प्रतियाँ) ।

5- विधायी अनुभाग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित ।

आज्ञा से,

19/8

(यू० सी० ध्यानी)

अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ।

उत्तरांचल शासन

न्याय अनुभाग

संख्या: [illegible]-के-[redacted]/न्याय अनुभाग/2002

देहरादून:दिनांक: 2[illegible] अगस्त,2002

<u>अधिसूचना</u>

[illegible] अधि[illegible]म, 1952 एवं तत्सम्बन्धी नोटरी रूल्स, 1956 के [illegible] [illegible] का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल राज्य [illegible] [illegible] तहसीलों में जनपद न्यायाधीश का न्यायालय कार्यर[illegible] [illegible] स्थान पर कार्यरत वरिष्ठतम न्यायिक अधिक[illegible] [illegible] में वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी जो परगना [illegible] को इस उद्देश्य के निमित्त सक्षम प्राधिकारी [illegible] किये जाने [illegible] स्वीकृति प्रदान करते है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नोटरी [illegible] किसी उपरोक्त अधिकारी की आख्या सम्बन्धित जनपद [illegible] द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगी ।

आज्ञा से,

आर.पी.पाण्डेय,

सचिव ।

<u>संख्या:- [illegible] -[illegible](1)/न्याय अनुभाग/2002-तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
2- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
3- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल ।
4- समस्त अपर जनपद न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
5- समस्त सिविल जज(सी.डि.) एवं सिविल जज(जू.डि.) उत्तरांचल ।
6- समस्त परगना मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल ।
7- उपनिदेश, फोटो लिथो प्रेस, रूड़की, उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं इसकी 100 प्रतियाँ शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(यू.सी.ध्यानी)

अपर सचिव ।

प्रेषक, परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल
गाँधीनगर, देहरादून ।

पत्रांक /दुर्घटना/राहत/2002 दिनांक-अक्टूबर [illegible], 2002

सेवा में, जिलाधिकारी, (नैनीताल)
उत्तरांचल ।

विषय: वाहन दुर्घटनाओं में सहायता राशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रत्येक जिलाधिकारी की ओर से अपने जनपद के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की वाहनों से घटित दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मृतक/घायलों को सहायता राशि दिये जाने हेतु संस्तुति की जाती है जिनमें कुछ प्राइवेट वाहन/ट्रक आदि भी होते हैं । इस सम्बन्ध में विभिन्न जिलाधिकारियों की ओर से दुर्घटना में राहत दिये जाने सम्बन्धी शासनादेशों, सार्वजनिक सेवा यान के अधीन दुर्घटना होने पर कराधान नियमों आदि के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मोटर यान कराधान नियमावली-1998 के नियम-30 में दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को राहत की हकदारी हेतु अधिनियम संख्या-1373/30-4-99 दिनांक-30.4.99 द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :-

"30. राहत की हकदारी- (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान, जिसके सम्बन्ध में धारा-6 की उपधारा (1) या (2) के अधीन अतिरिक्त कर या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अधिभार का भुगतान किया जा चुका है, के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या ऐसे यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी राहत पाने के हकदार होंगे ।

(2)- प्रत्येक दुर्घटना के सम्बन्ध में उप नियम (1) के अधीन राहत की मात्रा ऐसी होगी जैसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

(3). रीति जिससे निधि प्रशासित होगी और उपयोग की जायेगी-
(1) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, नियम-30 के उप नियम (1) के अधीन राहत के लिये व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जाँच करायेगा जो डिप्टी कलेक्टर/मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति का न हो और राहत की धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त को अपनी संस्तुति करेगा ।

--- 2

(2) ... नियम (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट से संस्तुति प्राप्त ... आयुक्त उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से ... जिला मजिस्ट्रेट के निस्तारण पर आबंटित करेगा ... स्वीकृत, ... और ऐसे राहत के हकदार व्यक्तियों ... ।

(3)- जिला मजिस्ट्रेट पूर्ववर्ती मास में उसकी अधिकारिता में ... दुर्घटनाओं का विवरण ... उत्तरवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन परिवहन आयुक्त को ... और परिवहन आयुक्त दुर्घटनाओं का समेकित मासिक विवरण प्रत्येक उत्तरवर्ती मास ... पच्चीसवें दिन सरकार को भेजेगा ।

अतः आप ... जिले में घटित दुर्घटनाओं में उपरोक्त कार्यवाही ... निर्धारित करने की कृपा करें तथा जनपद में ... प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा ... कार्यालय को भेजने की कृपा करें ।

उत्तरांचल ... घटी विभिन्न दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ... द्वारा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों से सम्बन्धित डाटा मांगा गया है जो मुख्यतः निम्नवत् है :-

1- दुर्घटना का स्थान (ग्रामीण/शहरी क्षेत्र)
2- सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय/राज्यीय या अन्य मार्ग पर) समतल अथवा ऊबड़-खाबड़ भूमि
3- स्थानानुसार (यथा- स्कूल, कालेज, धार्मिक जगह, सिनेमा, अस्पताल, खुली जगह आदि)
4- मौसमानुसार (यथा- स्वच्छ, धुँध, कोहरा, हल्की वर्षा, भारी वर्षा, अधिक गरम बरफ, ओले आदि)
5- वाहक का प्रकार या आब्जेक्ट जिससे दुर्घटना हुयी - यथा-साईकिल/पैदल यात्री/... आदि
6- माडल
7- दुर्घटना की प्रकृति- यथा-आगे/पीछे टकराने के कारण, दाँये बाँये टकराने से या अन्य कारण
8- अन्य कारण- यथा- चालक की गलती, अन्य वाहन की गलती, यांत्रिक खराबी, हल्की रोशनी के कारण दाँये/बाँये मोड़ने से, ओवरटेकिंग, रिवर्सिंग आदि
9- चालक की गलतियाँ- नशे में, अधिक गति से, अन्य वाहन/राहगीर को उचित रास्ता न देने पर, गलत मोड़ने पर, गलत सिगनल पर, हेड लाइट का गलत प्रयोग अन्य चालक की गलतियाँ
10- अन्य गाड़ी का विवरण जिससे घटना हुयी- ओवरलोडेड/ओवरक्राउडेड, ब्रेकों में खराबी पंचर अथवा बर्स्ट टायर अन्य गम्भीर यांत्रिक खराबी, व्यवसायिक वाहन की दशा में परमिट ...

ना में मारे गये व्यक्तियों की आयु.

मिट्टी अथवा कीचड़ में, सड़क निर्माण पर, मोड़/गहराई लिये हुये, हल्का झुकाव, ... मार्ग, टी/वाई जंकशन, ... रेलवे क्रासिंग इत्यादि.

18- दुर्घटना में ...ग्रसित वाहन चालक के अनुसार विवरण	- चालक की ../पैदल चलने वाले की ... चालक की ... क्षिक योग्यता, वाहन चलाने वाला व्यक्ति-प्राइवेट ... स्वामी व्यवसायिक वाहन स्वामी अथवा पेड चालक या अन्य ... लाइसेंस का प्रकार

अतः निवेदन है कि दुर्घटना की जाँच आख्या प्रेषित करते समय अन्य ... के साथ साथ जाँच अधिकारी को उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषित किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करेंगे। ... से सम्बन्धित अनुसूची संलग्न की जा रही है।

भवदीय,

(आर० तिवारी)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल।

– १९१

उत्तरॉचल शासन
गृह विभाग
संख्याः 35/187/गृह–1/2002
देहरादूनः दिनॉकः 2 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरॉचल शासन, राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को ,आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है ,जो आवश्यक व समीचीन हो ;

तथा चूंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरॉचल राज्य में लागू है ;

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, 2000) की धारा 87 शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि दण्ड प्रक्रिया (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 उत्तरॉचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के लागू होगी :–

उत्तरॉचल (दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ –

यह आदेश उत्तरॉचल (दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश ,2002 कहलायेगा ।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरॉचल" पढा जाना :–

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 में जहॉ जहॉ शब्द "उत्तर प्रदेश" के रूप में आया है वहॉ वहॉ वह शब्द "उत्तरॉचल" के रूप में पढा जायेगा ।

आज्ञा से ,

एस. के. दास,
प्रमुख सचिव।

- 210 -

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग 5

सं0 618 / वि0 अनु0 5 / स्टाम्प / 2002

देहरादून: दिनांक: 07 अक्टूबर 2002

पं0 2002
वि0 IX
पत्रा ने सं0
प्रेषण RA
रजिस्टर संख्या 40
दिनांक 18-Nov-02

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 व उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रयोजनार्थ निष्पादित बंधक विलेखों पर रु0 70 प्रति हजार स्टाम्प शुल्क के स्थान पर रु0 1.00 लाख तक के ऋणों पर स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 618(1) / वित्त अनु0–5 / स्टाम्प / 2002 दिनांक उक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव एवं आयुक्त उत्तरांचल शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3– आयुक्त कर / महानिरीक्षक निबन्धन उत्तरांचल देहरादून।
4– महालेखाकार उत्तरांचल, सत्यनिष्ठाभवन थार्न हिल रोड इलाहाबाद।
5– उपनिदेशक राजकीय प्रेस रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की 200 प्रतियॉं उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी प्रतियॉं वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6– न्याय / विधायी अनुभाग।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव

Stamp krishi.Doc

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग
संख्याः 2226/स.क./02–321(समाज कल्याण)/2002
देहरादूनः दिनांकः 08 नवम्बर 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल सरकार उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 36 वर्ष 1975) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(अधिनियम संख्या 29 सन 2000) की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं, कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश; 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2 'उत्तर प्रदेश' के स्थान पर 'उत्तरांचल' पढ़ा जानाः उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 में जहाँ–जहाँ शब्द 'उत्तर प्रदेश' आया है वहाँ–वहाँ यह शब्द 'उत्तरांचल' के रूप में पढा जायेगा।

3 विधान परिषद शब्द का निरसनः मूल अधिनियम में जहाँ–जहाँ पर शब्द 'विधान परिषद' आया है को निरसित समझा जायेगा।

4 विधान मण्डल के स्थान पर विधान सभा पढ़ा जानाः– उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 में जहाँ–जहाँ पर शब्द 'विधान मण्डल' आया है वहाँ–वहाँ वह शब्द 'विधान सभा' के रूप में पढा जायेगा।

5 उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975 की धारा 10 में उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित दो उपधारा क्रमशः 5(क) व (ख) रख दी जायेगी :–

5 (क) यदि मामले की परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाये कि उस व्यक्ति द्वारा जो पूर्ववत् रूप से भिक्षुक माना गया है, पुनः *भिक्षा माँगने कि सम्भावना नही है तो* वह उस व्यक्ति को, सम्यक भर्त्सना के पश्चात प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध पत्र पर

... है कि वह उस अवधि में जिसमें ... पर ... रहे ... रहेगा और सदाचार रखेगा।

5 (ख) ... किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी अवधि के लिए जो ... और दो वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरूद्ध करने का आदेश दे ... कि न्यायालय किसी अनवर्ती आदेश द्वारा और ... कारणों से, ऐसी निरोध अवधि को कम कर सकता है।

...R OF RECEIPTS...

...tion Fees	Exam...
...ation Fees ...ction 21 ... of the ...ct Emigra- ...bour Act, ... LXXII ...f 1932	En...r's and Engine Driver's Ex...ination fee

...ख्या: 2226/स.क./02--321(समाज कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
निजी सचिव मा. मंत्री सैनिक कल्याण उत्तरांचल।
स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
निदेशक समाज कल्याण उत्तरांचल देहरादून।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि ... गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ समाज कल्याण अनुभाग शासन देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।
गार्ड फाईल।

-3-

संख्या : [illegible]13/चि-2-2002-440/[illegible]

[illegible] आर० जैन,
[illegible]
[illegible] शासन।

सेवा में,
[illegible]
[illegible], स्वास्थ्य एवं प०क०,
[illegible]
मुख्य रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु, उत्तरांचल।

[illegible] JAN 2003

चिकित्सा अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 31 दिसम्बर, 2002

विषय :- जन्म-मृत्यु पंजीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर अन्तर्विभागीय (Interdepartmental) समन्वय समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 17प/पी0/5/86/2002/28942 दिनांक 26 नवम्बर 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण योजना को सफल बनाने तथा उसके लिये अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तर पर अन्तर्विभागीय कमेटी के गठन से संबंधित पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 25/16-10-157/62 दिनांक 28.06.1974 जो कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत उत्तरांचल में भी लागू है, का अतिक्रमण करते हुये राज्यपाल महोदय राज्य स्तर पर निम्नवत अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का गठन करते है :-

1.	सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0	:	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	:	सदस्य
3.	सचिव, नगर विकास विभाग	:	सदस्य
4.	महारजिस्ट्रार, भारत सरकार के प्रतिनिधि, उत्तरांचल	:	सदस्य
5.	आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	:	सदस्य
6.	महानिदेशक, उत्तरांचल पुलिस अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	:	सदस्य
7.	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0	:	सदस्य
8.	निदेशक, जनगणना कार्य, उत्तरांचल	:	सदस्य
9.	निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	:	सदस्य
10.	निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल		सदस्य
11.	निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल		सदस्य
12.	निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग		सदस्य

पत्र........
विभाग........
पत्रावली सं........
क्रम सं........
प्राप्तिकर्ता........
दिनांक........

i. [illegible] निदेशक, [illegible] कार्यक्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, [illegible]

ii. [illegible] निदेशक/संख्याधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

2- मुझे यह भी कहने का निदेशा हुआ है कि उक्त प्रयोजनार्थ राज्यपाल महोदय प्रदेश के [illegible] जिलों में निम्नवत जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन भी तात्कालिक प्रभाव से करते हैं :

1.	जिलाधिकारी	:	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	:	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	:	सदस्य
4.	जिला विकास अधिकारी	:	सदस्य
5.	जिला सूचना अधिकारी	:	सदस्य
6.	जिला पंचायत राज अधिकारी	:	सदस्य
7.	संबंधित जिला मुख्यालय की नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी	:	सदस्य
8.	जिला संख्याधिकारी	:	सदस्य
9.	बेसिक शिक्षा अधिकारी	:	सदस्य
10.	उप मुख्य चिकित्साधिकारी/ अपर जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु	:	सदस्य/सचिव

3- राज्य स्तर पर गठित समन्वय समिति की बैठक शासन के मुख्यालय (देहरादून) में तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक जिलों के मुख्यालयों पर त्रैमासिक हुआ करेगी और इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों को कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : 1913(1)/चि-2-2002-440/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, नगर विकास, उत्तरांचल शासन।
4. महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, 2 - मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तरांचल, देहरादून।

[illegible]
निदेशक पंचायती राज, उत्तरांचल।
[illegible], उत्तरांचल।
[illegible] जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
[illegible] पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
[illegible] पंचायत राज अधिकारी, उत्तरांचल।
[illegible] शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
[illegible] अनुभाग 1/ पंचायती राज अनुभाग।

आज्ञा से,
(अमर सिंह)
अनु सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।
संख्या 1100/15-ए0जे0ए0/2003 दिनांक 24-1-2003
प्रतिलिपि अध्यक्ष/ समस्त सदस्यगणों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिलाधिकारी, नैनीताल।
2- पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला विकास अधिकारी जिला सूचना अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/ नैनीताल।
3- अधिशासी अधिकारी/नगरपालिका परिषद, नैनीताल।
4- जिला संख्याधिकारी, नैनीताल
5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
6- उप मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर जिला रजिस्ट्रार नगरीय नैनीताल।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, नैनीताल।

उत्तरांचल शासन
सिंचाई विभाग
5 /नौ-1-सि0/2003
दिनांक 31 जनवरी, 03

वर्ष 2002-03
विभाग XX
पत्रावली सं. 5A
पृष्ठ सं.
पूर्ण पृष्ठ संख्या 1472
दिनांक 3-3-2003

कार्यालय ज्ञाप :-

श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सेवा संघों की मान्यता नियमावली ... के नियम-3(1) के प्राविधानों के अनुसार एवं उक्त नियमावली ... उल्लिखित ... शर्तों के अधीन "मिनिस्टीरियल ... एसोसिएशन ... कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल प्रदेश" को मान्यता ... करने की ... स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

गोपाल ...
अपर सचिव

संख्या: ... /नौ-1-सि0/2003/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
2- सचिव, मा0मुख्य मंत्री, उत्तरांचल ।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
4- समस्त सचिव, अपर सचिव, उत्तरांचल शासन ।
5- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून ।
6- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
7- मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
9- प्रान्तीय महामंत्री, मिनिस्टीरियल ... एसोसिएशन ... मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल प्रदेश, ... यमुना कालोनी, देहरादून ।
10- गार्ड फाईल ।

उत्तरांचल शासन
सिंचाई विभाग

संख्या: 1139/नौ-1-सि0/2003
देहरादून: दिनांक 10 जनवरी,03

:-कार्यालय ज्ञाप:-

[illegible] महोदय, उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) [illegible] 1979 [illegible] प्राविधानों के अनुसार एवं उक्त नियमावली में [illegible] नियमों [illegible] डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर[illegible] को मा[illegible] की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2003

गोपाल [illegible] द्विवेदी
अपर [illegible]

संख्या: [illegible] /1/नौ-1-सि0/2003/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- [illegible] राज्यपाल, उत्तरांचल।
2- [illegible] मंत्री, उत्तरांचल।
3- [illegible], मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4- [illegible] अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
5- [illegible] अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी।
7- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
8- मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
10- अध्यक्ष, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, प्रान्तीय कार्यालय, अधिशासी [illegible], कार्यालय खण्ड, देहरादून।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्टा)
अनु सचिव।

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग
संख्या : 442–स.क.–03–87(समाज कल्याण)/2002
देहरादून: दिनांक 18फरवरी 2003

कार्यालय ज्ञाप

... हज समिति के गठन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्याः 434/हज समिति/2001 ... को अतिक्रमित करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय हज अधिनियम, 2002 की ... प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य हज समिति में निम्नलिखित व्यक्तियो ... में इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए एतद्द्वारा नामित करते हैः–

1. श्री ... अहमद, मा. विधायक, लालढांग, हरिद्वार।
2. श्रीमती सबीना खातून, सदस्य, नगर पालिका परिषद, विकास नगर, देहरादून।
3. श्रीमती ... अगर, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जसपुर, उधमसिंह नगर।
4. श्री ...उद्दीन कुरैशी, सदस्य नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. मौलाना जाहिद रजा रिजवी, शहर काजी, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर।
6. मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी, शहर काजी, देहरादून।
7. मौलाना सिब्ते हसन, मदरसा इमामिया, मंगलौर, हरिद्वार।
8. श्री ए. एन. फारूकी, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, देहरादून।
9. श्री ...र अहमद तेवाडी, पूर्व सदस्य, नगर पालिका, दुर्ग बाजार, बागेश्वर।
10. श्री ...ल नवाज खान, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तरांचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून।
11. काजी नसीम अहमद, भाट कोट रोड, पिथौरागढ।
12. श्री ...द जहीर, जे–72 शिवालिक नगर, बी.एच.ई.एल. रानीपुर, हरिद्वार।
13. श्री ... अहमद, विशेष कार्याधिकारी, हज, वक्फ व अल्पसंख्यक आयोग, उत्तरांचल शासन, कार्यपालक अधिकारी, उत्तरांचल राज्य हज समिति।

... के. वर्मा
सचिव

:: 2 ::

समाज कल्याण)/2002 तद्‌दिनांक

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

सदस्यगण, उत्तरांचल राज्य हज समिति।

महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

मा. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल।

सचिव, मा. मंत्री, समाज कल्याण, उत्तरांचल।

सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

क समाज कल्याण उत्तरांचल।

क सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरां

देशक, दूरदर्शन को प्रचारार्थ।

उपनिदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूडकी, उत्तरांचल अधिसूचना इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना गजट के आगामी अंक में प्रका कर 500 मुद्रित समाज कल्याण अनुभाग उत्तरांचल शासन देहरादून को उपलब्ध का कष्ट करें।

11 गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शा[illegible]
समाज कल्याण अनु[illegible]ग
[illegible] संख्या : 3041/स0क0/2003-35(स[illegible] कल्याण)
देहरादून : दिनांक 19 नव[illegible]र, 2003

कार्यालय ज्ञाप

शासकीय अधिसूचना सख्या 1922/स0क0/200[illegible] 2002 [illegible] 29सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तरांचल अल्पसख्यक आयोग [illegible] सरदार [illegible] सिंह को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।

[illegible] क्रम में श्री राज्यपाल उत्तरांचल अल्पसंख्यक आ[illegible] [illegible] मंत्री का [illegible]र प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते [illegible] [illegible]रूप उक्त [illegible] (मंत्रि परिषद) अनुभाग के शासनादेश संख्या 14/1/2001 [illegible] 2001 में [illegible] वेतन/भत्ते/स्टाफ व अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

आयोग के कार्यालय की स्थापना होने तक अध्यक्ष [illegible] का पता [illegible] मोहर सिंह, भैंसिया फार्म, बाजपुर, जनपद-ऊधमसिंह न[illegible] [illegible] संख्या [illegible]/281054 है।

(एस. के. [illegible])
सचिव।

संख्या 3041(1)/[illegible]/2003 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तरांचल।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल शासन, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी.
8. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
11. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
13. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
14. गार्ड फाइल।
15. गोपन (मंत्रि परिषद) अनुभाग।

आज्ञा से,

(विनोद चन्द्र रावत)
अपर सचिव।